



सत्यमेव जयते

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

(2009-10 से 2013-14)

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
संघ सरकार (सिविल)
2015 की प्रतिवेदन सं. 36
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

(2009-10 से 2013-14)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु

संघ सरकार (सिविल)
2015 की प्रतिवेदन सं. 36
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सारांश	v - x
अध्याय – I	प्रस्तावना	1 - 13
अध्याय – II	योजना तथा आवृत्तन	14- 27
अध्याय – III	योजना का कार्यान्वयन	28 – 71
अध्याय – IV	वित्तीय प्रबंधन	72 – 90
अध्याय – V	प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन	91 – 102
अध्याय – VI	निष्कर्ष	103 - 105
अनुबंध		107 – 170
संकेताक्षरों की सूची		171 - 172

प्राक्कथन

दो दशकों से मध्याह्न भोजन योजना की विद्यमानता तथा कई वर्षों से योजना के विषयों में कई सुधार करने में सरकार की पहलशक्ति के बावजूद, योजना का वास्तविक कार्यान्वयन समूचे बोर्ड में विभिन्न कमियों और त्रुटियों से ग्रस्त है। 2007-08 के दौरान योजना की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा ने कई भय-सूचक चिन्ह लगाए जैसे नामांकन आंकड़ों को अधिक बताए जाने, लीकेज के मामले, वित्तीय अनुशासन-हीनता, भोजन की खराब गुणवत्ता तथा अपर्याप्त मॉनीटरिंग आदि, जो अभी भी विद्यमान हैं।

इस प्रतिवेदन में उन 27 राज्यों (मिजोरम को छोड़कर) तथा सात संघ-राज्य क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम निहित हैं जहां यह योजना चालू थी। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य/जिला नोडल विभागों तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों/केन्द्रों में 2009-10 से 2013-14 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए।

हमें आशा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया यह प्रतिवेदन संशोधित योजना पहुँचाने में सहायक होगा।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षा द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) नामांकन, अवधारण और उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढ़ाने के लिए अगस्त 1995 में शुरू की गई थी जो साथ-साथ बच्चों के पोषण स्तर को प्रभावित करती थी। इस योजना के तहत न्यूनतम 300 कैलोरी तथा 8-12 ग्राम प्रोटीन और सूक्ष्म-पोषकों की पर्याप्त मात्रा के साथ पका हुआ भोजन देने पर बल दिया गया है। यह योजना 2008-09 से उच्च प्राथमिक श्रेणियों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बढ़ा दी गई थी। इस योजना पर हमने पहले 2007 में समीक्षा की तथा उसके परिणाम संसद में अक्टूबर 2008 में प्रस्तुत सी.ए.जी. के 2008 के प्रतिवेदन सं.13 में सम्मिलित किए थे। लोक लेखा समिति (15वीं लोक सभा) ने एम.डी.एम. योजना के सी.ए.जी. के 2008 के प्रतिवेदन संख्या 13 पर अपनी नवीं रिपोर्ट (तत्पश्चात् 28वीं रिपोर्ट) में कई सिफारिशों की थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी देखा गया कि क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई की है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम. योजना) में बच्चों के नामांकन में वे विद्यालय शामिल किए गए थे जिनमें कई से 2009-10 में 14.69 करोड़ बच्चों से 2013-14 में 13.87 करोड़ बच्चों की लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। इसके विपरीत, निजी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में उसी अवधि के दौरान 4.02 करोड़ से 5.53 करोड़ की 38 प्रतिशत वृद्धि देखी गई थी जो यह दर्शाता था कि मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.) अपने आप में ही विद्यालय में बच्चों को रोकने की एक पर्याप्त शर्त नहीं थी तथा ऐसे समाज में वह वर्ग बढ़ रहा है जो शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता की मांग करता है।

(पैरा सं. 2.2)

- यह इस बात का एहसास करने का समय है कि भोजन प्रदान करना, शिक्षा के बड़े उद्देश्य की सेवा का एक अन्त है। यह प्रवृत्ति साफ तौर से देखी गई थी जो यह दर्शाती थी कि भोजन देने का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब कि माता-पिता की अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की उम्मीदें भी पूरी हों।

(पैरा सं. 2.2)

- एम.डी.एम. योजना का एक उद्देश्य वंचित वर्ग से संबंधित गरीब बच्चों को अधिक नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करना है। तथापि, अधिकतर राज्यों ने वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों की पहचान के लिए कोई मानदण्ड नहीं बनाया था। न ही इन राज्यों ने उक्त बच्चों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण किया था। परिणामतः महत्त्वपूर्ण उद्देश्य केवल कागजों पर ही रह गया।

(पैरा सं. 2.3)

- एम.डी.एम. का लाभ उठाने वाले बच्चों की संख्या पर आंकड़ों के समावेश हेतु विद्यमान तन्त्र के साथ भारी समझौता किया गया था। विभिन्न स्रोतों से एकत्र एम.डी.एम. का लाभ उठाने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या की प्रतिशतता, खाद्यान्नों और उन्हें पकाने की लागत का दावा करने के लिए मंत्रालय को राज्यों द्वारा भेजी गई प्रतिशतता से निरन्तर कम थी। लेखापरीक्षा ने एम.डी.एम. का लाभ उठाने वाले छात्रों, खाद्यान्नों की चोरी के अनियमित विपथन, स्फीत परिवहन लागतों के प्रस्तुतिकरण, खाद्यान्नों की आपूर्ति से संबंधित आंकड़ों की हेराफेरी, सभी के बड़े पैमाने पर लीकेज और गबन से संबंधित आंकड़ों को संस्थागत रूप में बढ़ा चढ़ा कर बताने के साक्ष्य दिए जिनके कारण योजना में हानियां और गबन हुए।

(पैरा सं. 2.6, 3.1, 3.2 एवं 3.8)

- नमूना-जांच किए गए अधिकतर विद्यालयों में, निर्धारित निरीक्षण नहीं किए गए थे जिससे खाद्यान्नों की स्वच्छ औसत गुणवत्ता तथा दिए गए मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए अधिकतर विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं जैसे रसोई शैडों, समुचित बर्तनों, पेयजल सुविधा आदि का अभाव था। खुले स्थानों पर अस्वास्थ्यकर स्थितियों में भोजन बनाए जाने के बहुत से उदाहरण थे जिनसे बच्चों को स्वास्थ्य का खतरा था।

(पैरा सं. 3.4 एवं 3.7)

- राज्यों में नमूना-जांच किए गए विद्यालयों की लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि बहुत से राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों में नियमित चिकित्सा-जांच नहीं की

गई थी। निर्धारित स्वास्थ्य जांच के अभाव में, बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार का पता लगाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण औजार लगभग छोड़ ही दिया गया था। अधिकतर राज्यों में बच्चों को सूक्ष्म-पोषक पूरक तथा डी-वार्मिंग औषधियां वितरित नहीं की गई थी।

(पैरा सं. 3.6.1 एवं 3.6.2)

- हमने भी देखा कि कुछ मामलों में बच्चों को आपूर्त भोजन की गुणवत्ता में खाद्यान्नों का उपयोग 100/150 ग्रा. की निर्धारित मात्रा से कम था। इसका एक कारण यह था कि बच्चों ने निर्धारित मात्रा से कम भोजन का उपयोग किया था। इन तथ्यों के मद्देनजर, सूखे राशन की मात्रा के लिए निर्धारित प्रतिमानों की समीक्षा की आवश्यकता थी।

(पैरा सं. 3.6.6)

- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, भोजन के पोषक तत्व तभी सुनिश्चित किए जा सकते हैं जब खाद्यान्नों तथा सामग्री की मात्रा उचित अनुपात में प्रयोग की जाए। लेखापरीक्षा ने देखा कि कुछ मामलों में खाद्यान्नों का उपयोग तथा अन्य सामग्री को पकाने की लागत एक-दूसरे के समनुरूप नहीं थी, जिसके कारण आंकड़ों की जालसाजी का अनुमान लगाया गया।

(पैरा सं. 3.6.6)

- कम से कम नौ राज्यों के नमूना-जांच किए गए विद्यालयों में बच्चों को निर्धारित पोषण नहीं दिया गया था। दिल्ली में, इस उद्देश्य के लिए लगाई गई एक एजेंसी द्वारा जांचे गए 2102 में से 1876 नमूने (89 प्रतिशत) निर्धारित पोषण मानकों को पूरा करने में विफल रहे।

(पैरा सं. 3.6.6)

- योजना में निर्धारित मॉनीटरिंग और निरीक्षण प्रावधानों का प्रभावी ढंग से अनुसरण नहीं किया गया था। राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर संचालन तथा मॉनीटरिंग समितियों की बैठकें नियमित रूप से नहीं हुई थी। प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु प्रदत्त निधियों का बहुत ही कम उपयोग हुआ। अतः सुशासन की प्रथाओं का अनुसरण नहीं किया गया था।

(पैरा सं. 5.2, 5.3 एवं 5.4)

- लोक लेखा समिति (15वीं लोक सभा) ने एम.डी.एम. योजना के सी.ए.जी के 2008 के प्रतिवेदन संख्या 13 पर अपनी नवीं रिपोर्ट (बाद में, 28वीं रिपोर्ट) में कई सिफारिशों की थी। तथापि, वर्तमान लेखापरीक्षा से पता चला कि मंत्रालय द्वारा सूचित कार्रवाई के बावजूद, समिति की चिन्ताएं अधिकतर दूर नहीं हुई थी।

(पैरा सं. 1.10, तालिका 1.3)

निष्कर्ष एवं सिफारिशें:

हमारी लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि वास्तविक कार्यान्वयन अभी भी समूचे बोर्ड में विभिन्न कमियों और त्रुटियों से ग्रस्त है। पांच वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तरों में निजी विद्यालयों की तुलना में शामिल किए गए एम.डी.एम विद्यालयों का नामांकन आंकड़ों में विरोधी प्रवृत्तियां दर्ज थी। जबकि निजी विद्यालयों में नामांकन में 38 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, तथापि इसमें एम.डी.एम आवृत्त सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में 5.58 प्रतिशत की गिरावट आई थी जो इस प्रचलित बोध की सूचक है कि निजी विद्यालय बेहतर शिक्षा माहौल प्रदान करते हैं। लेखापरीक्षा ने मॉनीटरिंग संस्थानों द्वारा नमूनागत विद्यालयों के दौरे के दिन के दौरान एम.डी.एम. का लाभ उठाने वाले बच्चों की संख्या के प्रति सूचित किए गए एम.डी.एम. का लाभ उठाने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित आंकड़ों में बेमेलता देखी। निर्धारित शर्त कि एफ.सी.आई. द्वारा कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के खाद्यान्न जारी किए जाएं, को नियमित निरीक्षणों द्वारा सुनिश्चित किया जाना था। तथापि, अधिकतर राज्यों में इस संबंध में निरीक्षण नहीं किए गए थे जिसके कारण बच्चों को घटिया गुणवत्ता का चावल दिया गया। बच्चों की चिकित्सा-जांच पर्याप्त संख्या में नहीं की गई थी, जिसके अभाव में पोषण स्थिति पर एम.डी.एम. योजना तथा बच्चों पर अपेक्षित सूक्ष्म पोषक पुरकों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका। वित्तीय अनुशासनहीनता जैसे गलत उपयोग प्रमाण-पत्र देना, निधियों का दुर्विनियोजन, खाद्यान्नों की उच्च लागत का दावा करने के लिए आंकड़ों की हेरा-फेरी के मामले बड़ी संख्या में थे। मंत्रालय तथा राज्यों दोनों के द्वारा मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी।

हम निम्नलिखित बातों की सिफारिश करते हैं:

- मंत्रालय को किफायती ढंग से तथा कुशलपूर्वक योजना लागू करने के लिए एम.डी.एम का लाभ उठाने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या पर विश्वसनीय आंकड़ों के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। राज्यों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के स्वतंत्र मिलान के माध्यम से ध्यानपूर्वक जांच की जानी चाहिए। आंकड़ों में हेरा-फेरी को रोकने के लिए एम.डी.एम का लाभ उठाने वाले बच्चों के संबंध में सहमति प्राप्त करने की प्रणाली अन्तर्विष्ट की जाए।
- एम.डी.एम. योजना के अन्तर्गत निर्धारित पोषक प्रतिमानों तथा उष्मीय-मान के साथ भोजन प्रदान करने के लिए भोजन पकाने की लागत की दरें स्फीति के अनुपात में संशोधित की जाएं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण की प्रणाली सुदृढ़ की जानी चाहिए कि एफ.सी.आई डिपो से निर्धारित कम से कम उचित औसत गुणवत्ता के खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। इस संबंध में त्रुटियों के लिए राज्य सरकार को जवाबदेही नियत करनी चाहिए।
- यद्यपि एम.डी.एम. योजनाएं अभी भी भारत के ग्रामीण तथा अन्दरूनी इलाकों की बड़ी तहों में विद्यालय शिक्षा में केन्द्रीय भूमिका निभा रही थी, तथापि नई वास्तविकताओं के लिए उसे और दक्ष तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए प्रचलित सामाजिक-आर्थिक शर्तों को ध्यान में रखते हुए महानगरों, शहरी तथा उपनगरीय क्षेत्रों, में रूप तथा तत्व दोनों में उसके कार्यान्वयन में परिवर्तन आवश्यक थे।
- अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे रसोई शैडों तथा पेयजल सुविधा के प्रावधान में कमियों को दूर करने के लिए अन्य विभागों के साथ अभिसरण क्रियाकलाप तेज किए जाने चाहिए। मंत्रालय को निर्धारित नियमित स्वास्थ्य-जांच सुनिश्चित करनी चाहिए तथा राज्यों को बच्चों के पोषण-स्तरों में सुधार का पता लगाने के लिए उक्त स्वास्थ्य-जांच के परिणाम के दस्तावेज रखने की सलाह भी देनी चाहिए। सभी विद्यालयों में तोलन-यंत्रों तथा लम्बाई-रिकार्डों का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- एम.डी.एम. योजना को स्वाद तथा उपलब्धता की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए एकरसता को कम करने के लिए सूखा राशन आधारित भोजन के बजाय वैकल्पिक पोषण, स्थानीय उत्पादों का प्रावधान करके स्वरूप में बहुरंगी तथा लचीला बनाया जाना चाहिए।

- लीकेज तथा दुर्विनियोजन से बचने के लिए सभी स्तरों पर मॉनीटरिंग और निरीक्षण तन्त्र मजबूत किया जाना चाहिए। कुप्रथाओं को रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। योजना के निर्विघ्न कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग के लिए संचालन एवं मॉनीटरिंग समितियों (एस.एम.सी.) की निर्धारित संख्या में बैठकें आयोजित की जाएं।
- मंत्रालय को मॉनीटरिंग संस्थानों द्वारा प्रस्तुत सूचना के प्रवाह की प्रणाली और इसका आगे राज्यों के साथ अनुपालन मजबूत करना चाहिए ताकि मॉनीटरिंग संस्थानों द्वारा बताई गई त्रुटियों को सुधारने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा सके। शिकायत सुधार तन्त्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जा सके।

अध्याय-1

प्रस्तावना

प्राथमिक शिक्षा की पोषणिक सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (सामान्य रूप से मिड डे मील योजना के रूप में ज्ञात), 15 आगस्त 1995 को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के रूप में आरम्भ की गई थी। योजना नामांकन, अवधारण और उपस्थिति बढ़ाने के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को बढ़ाने और साथ साथ 1997-98 तक चरण बद्ध रीति में देश व्यापी प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के आहार पर प्रभाव डालने को अभिप्रेत थी। कार्यक्रम आरम्भ में सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक चरण (कक्षा I से V तक) पर बच्चों पर केन्द्रीत थी। अक्टूबर 2002 में शिक्षा गारंटी योजना (ई जी एस) और वैकल्पिक तथा नवीकरणीय शिक्षा (ए आई ई) केन्द्रों (अब विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में ज्ञात) में अध्ययनरत बच्चों को शामिल करने के लिए इसे बढ़ाया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इसे सहायता प्राप्त मदरसों/मकतबों तक और बढ़ाया गया था (अप्रैल 2008)।

दिसम्बर 2004 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योजना के लिए संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए। इन मार्गनिर्देशों में निम्नतम 300 कैलोरी तथा 8-12 ग्राम प्रोटीन मात्रा वाले पके खाने पर जोर दिया गया था। वंचित वर्गों से सम्बन्धित बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा अवधारण पर विशेष केन्द्र था। प्राथमिक चरण पर छात्रों को पोषणिक सहायता सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी प्रदान की जानी थी। प्रबन्धन, निगरानी तथा मूल्यांकन की सहायता भी परिकल्पित की गई थी।

योजना आगे सितम्बर 2006 में संशोधित की गई थी संशोधित उद्देश्य निम्न थे:


- i) सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और ई जी एस/ए आई ई केन्द्रों में कक्षा 1-v में बच्चों की पोषणिक स्थिति सुधारना।
- ii) वंचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और कक्षा कार्यकलापों पर सकेन्द्रित करने के लिए उनकी सहायता करना।

- iii) गर्मियों की छुट्टी के दौरान, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पौषणिक सहायता प्रदान करना।

सितम्बर 2006 के संशोधित मार्गनिर्देशों में पके एम डी एम की पौषणिक मात्रा 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन मात्रा, जबकि साथ साथ अनिवार्य माइक्रोन्यूट्रिएन्ट तथा कीड़े मारने की दवाओं तक बढ़ाई गई थी योजना। 2008-09 से उच्च प्राथमिक स्तर तक बढ़ाई गई थी।

1.1 संगठनात्मक ढांचा

एम डी एम योजना की मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग) द्वारा व्यवस्था की जा रही है। सचिव, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के अन्तर्गत, संयुक्त सचिव (प्राथमिक शिक्षा-1) योजना का प्रभारी है। योजना के अन्तर्गत, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में, तीन उप सचिव तथा एक निर्देशक संयुक्त सचिव की सहायता करते हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए, सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्यों/यूटी सरकारों का है। एम डी एम योजना के कार्यान्वयन का एक प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:-



मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

1.2 बजट तथा व्यय

बजट आबंटन तथा व्यय के ब्यौरे नीचे तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.1 बजट अनुमान तथा व्यय के व्यौरे

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	निर्गम	व्यय	अधिव्य(+) घाटा(-)
2009-10	8000.00	7359.15	6937.26	5621.67	1315.59
2010-11	9440.00	9440.00	9124.52	7786.56	1337.96
2011-12	10380.00	10239.01	9890.72	9235.82	654.90
2012-13	11937.00	11500.00	10858.16	10196.98	661.18
2013-14	13215.00	12189.16	10910.35	10873.75	36.60
		जोड़	47721.01	43714.78	4006.23

1.3 वित्तीय सहायता

एम डी एम योजना मुख्यतया एच आर डी मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित की जाती है। केन्द्रीय सहायता निम्न के रूप में राज्यों को प्रदान की जाती है:

- i) निकटतम एफ सी आई गोदाम से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक में 100 ग्राम/150ग्राम प्रति बालक प्रति स्कूल दिवस की दर पर मुफ्त खाद्यान्नों (गेहूँ/चावल) की आपूर्ति करना,
- ii) निम्नलिखित सीमा के अध्यक्षीन, प्राथमिक स्कूल को निकटतम एफ सी आई गोदाम से खाद्यान्नों के परिवहन में खर्च की गई वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करना

(क) 11 विशेष श्रेणी राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जे एण्ड के, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के लिए ₹100 प्रति क्विंटल (1दिसम्बर 2009 से ₹125प्रति क्विंटल तक संशोधित) और

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

- (ख) सभी अन्य राज्यों तथा यूटी के लिए `75 प्रति क्विंटल
- iii) तालिका 1.2 में दी गई दरों पर प्रति बालक प्रति स्कूल दिवस खाना पकाने की लागत के लिए सहायता प्रदान करना:

तालिका 1.2 खाना पकाने की लागत की दरें

(राशि ` में)

अवधि	प्राथमिक स्तर				उच्च प्राथमिक स्तर ¹			
	गैर एन ई आर राज्य		एन ई आर राज्य		गैर एन ई आर राज्य		एन ई आर राज्य	
	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
सितम्बर 2006 से	1.50	0.50	1.80	0.20	2.00	0.50	2.30	0.20
दिसम्बर 2009 से	1.88	0.62	2.25	0.25	2.81	0.94	3.38	0.37
अप्रैल 2010 से	2.02	0.67	2.42	0.27	3.02	1.01	3.63	0.40
अप्रैल 2011 से	2.17	0.72	2.60	0.29	3.25	1.09	3.91	0.43
जुलाई 2012 से	2.33	0.78	2.80	0.31	3.49	1.16	4.19	0.46
जुलाई 2013 से	2.51	0.83	3.01	0.33	3.75	1.25	4.50	0.50

क) खाना पकाने की लागत के अतिरिक्त रसोइया एवं सहायक के मानदेय के लिए `1000 प्रति माह की सहायता 90:10 आधार पर केन्द्र तथा एन ई आर राज्यों के बीच और 75:25 आधार पर अन्य राज्यों/यूटी के साथ बांटी जाती है। (25 छात्रों तक वाले स्कूल में एक, 26 से 100 तक छात्रों वाले स्कूलों के लिए दो रसोइया एवं सहायक और 100 छात्रों तक की प्रत्येक वृद्धि के लिए एक अतिरिक्त रसोइया एवं सहायक लगाया जाए)

¹ योजना का, 2007-08 से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में तथा 2008-09 से देश व्यापी स्तर पर विस्तार किया गया।

- ख) राज्य सरकार/यूटी प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता की बढी दर का पात्र होने के उद्देश्य से उपर्युक्त निम्नतम अंशदान प्रदान करना अपेक्षित होगा।
- iv) “सूखा प्रभावित” के रूप में राज्य सरकारों द्वारा घोषित क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को गर्मी की छुट्टियों के दौरान दोपहर के पके खाने के लिए सहायता प्रदान करना।
- v) ₹60,000 प्रति यूनिट की अधिकतम लागत तक चरणबद्ध रीति में रसोई सह स्टोर का निर्माण करने के लिए सहायता प्रदान कर। राज्यों से अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ समाभिरूपता का सक्रिय रूप से अनुसरण करने की प्रत्याशा की गई थी।
- vi) औसतन ₹5000 प्रति स्कूल की दर की लागत पर रसोई साधनों का प्रावधान करने तथा बदलने के लिए चरणबद्ध रीति में सहायता प्रदान करना राज्यों/यूटी प्रशासनों को स्कूल की वास्तविक आवश्यकताओं (वर्शर्तें कि राज्य/यूटी प्रशासनों का सम्पूर्ण औसत ₹5000 प्रति स्कूल रहता है) के आधार पर नीचे सूचीबद्ध मदों पर खर्च करने की नम्यता होगी।
- क) खाना पकाने के उपकरण (स्टोव, चूल्हा आदि)
- ख) खाद्यान्नों तथा अन्य संघटकों के भण्डारण के लिए कन्टेनर
- ग) खाना पकाने तथा परोसने के बरतन
- vii) प्रबन्धन, निगरानी तथा मूल्यांकन (एम एम ई) के लिए राज्यों/यूटी को (क) मुक्त खाद्यान्न (ख) परिवहन लागत और (ग) खाना पकाने की लागत पर कुल सहायता के 1.8 प्रतिशत की दर पर सहायता प्रदान करना। उपर्युक्त राशि का अन्य 0.2 प्रतिशत प्रबन्धन, निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपयोग किया जाएगा।

एम डी एम योजना का, राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर प्रबन्धन ढांचा है।

राष्ट्रीय स्तर

- राष्ट्रीय संचालन एवं निगरानी समिति
- कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड

राज्य स्तर

- राज्य निगरानी समितियां
- राज्य नोडल विभाग
- जिला/ब्लॉक स्तर निगरानी समितियां
- जिला/ब्लॉक स्तर नोडल एजेंसी

1.4 कार्यान्वयन

योजना मार्गनिर्देश 2006 के अनुसार सभी सरकारी स्कूलों, ई जी एस तथा ए आई ई केन्द्रों में प्रत्येक बालक को पोषक, पका एम डी एम प्रदान करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। राज्य/केन्द्र के उत्तरदायित्व नीचे दिए गए हैं:

- (i) प्रत्येक राज्य सरकार/यू टी प्रशासन योजना पर खर्च के अपने स्वयं के प्रतिमान निर्धारित तथा अधिसूचित (राज्य प्रतिमान) करेगा जिसके आधार पर यह कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु निधियां आबंटित करेगा।
- (ii) राज्य प्रतिमान पोषक पके भोजन का नियमित तथा अविरत प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए रूपात्मकताएं सूचित करेंगे। राज्य सरकारें/यू टी विस्तृत मार्गनिर्देश विकसित तथा परिचालित करेंगे।
- (iii) प्रत्येक राज्य सरकार/यू टी प्रशासन अपने विभागों में से एक को नोडल विभाग पदनामित करेगा जो कार्यक्रम कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व लेगा और जिला तथा ब्लॉक स्तर (अर्थात् जिला कलेक्टर, जिला/मध्यवर्ति पंचायत आदि) पर एक नोडल अधिकारी अथवा एजेंसी भी, जिसे जिला/ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, के रूप में नामित करेगा।

- (iv) दोपहर भोजन को पकाने/आपूर्ति का उत्तरदायित्व स्थानीय स्त्रियों/माताओं, नेहरू युवा केन्द्रों से सम्बन्धित स्थानीय युवा क्लब, स्वैच्छिक संगठनों तथा गांव शिक्षा समिति (वी ई सी)/ स्कूल प्रबन्धन एवं विकास समिति (एस एम डी सी)/अविभावक शिक्षक संघ (पी.टी.ए.)/ग्राम पंचायतों/नगर पालिका द्वारा सीधे लगाए गए कार्मिकों को सौंपा जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों, जहाँ केन्द्रीयकृत रसोई संगठन स्कूलों के समूह के लिए सम्भव है, में खाना पकाना, जहाँ कहीं सम्भव हो, केन्द्रीयकृत रसोई में आरम्भ किया जाए और पका गर्म खाना तब विभिन्न स्कूलों को विश्वसनीय परिवहन के माध्यम से स्वास्थ्यकर स्थितियों के अन्तर्गत ले जाया जाय।
- (v) मंत्रालय कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित, खाद्यान्नों के जिला-वार आवंटन को, पकाने लागतों, रसोईघर-सह-भंडार के निर्माण, पकाने व रसोईघर उपकरणों तथा एम.एम.ई. आवंटनों को राज्य नोडल विभाग तथा एफ.सी.आई. को सूचित करेगा। राज्य नोडल विभाग, आगामी वित्तीय वर्ष हेतु जिला-वार आवंटनों को, सभी जिला नोडल एजेंसियों को सूचित करेगा।
- (vi) खाद्यान्न, भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) द्वारा प्रदान किए जाएंगे। एफ सी आई खाद्यान्नों की लगातार उपलब्धता के लिए उत्तरदायी होगा। राज्य सरकार/यू टी प्रशासन सामायिक रीति में प्रत्येक स्कूल आदि को खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध करेंगे।

1.5 लेखापरीक्षा अभिगम और कार्यप्रणाली

एम डी एम की निष्पादन लेखापरीक्षा एम एच आर डी और 27 राज्यों (मिजोरम को छोड़कर) तथा 7 संघ शासित क्षेत्रों, जहाँ योजना प्रचालनाधीन थी, में की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा 24 अगस्त 2014 को मंत्रालय के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस से आरम्भ की गई जिसमें लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली, क्षेत्र, उद्देश्य तथा मानदण्ड पर चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रक्रिया में स्कूलों, ब्लॉकों, जिलों, राज्यों तथा मंत्रालय स्तर पर योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच शामिल थी। लेखापरीक्षा के समापन और लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समेकन के बाद 15 जुलाई 2015 को मंत्रालय के साथ एक्जिट कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी। मंत्रालय ने एक्जिट कान्फ्रेंस के दौरान दिए गए आश्वासन के बावजूद अब तक (सितम्बर 2015) लेखापरीक्षा परिणामों के उत्तर नहीं भेजे थे।

1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि शामिल करती है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित स्तरों पर योजना का कार्यान्वयन शामिल किया गया:

केन्द्रीय स्तर	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग
राज्य स्तर	राज्य नोडल विभाग
जिला/ब्लॉक स्तर	जिला नोडल विभाग
तृणमूल स्तर	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल/केन्द्र

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिचयन

योजना 28 राज्यों 7 यू टीस के सभी जिलों में 9.12 करोड़ बच्चों को कवर कर 7.75 लाख प्राथमिक स्कूलों/ईजीएस/ ए आई ई केन्द्रों/मदरसों/मकतबों और 4.76 करोड़ बच्चों को कवर कर, 3.83 लाख उच्च प्राथमिक स्कूलों/ई जी एस/ए आई ई केन्द्रों/मदरसों/मकतबों में कार्यान्वित की जाती है।

भिन्न यूनिटों के चयन हेतु निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया गया था।

लेखापरीक्षा में 34 राज्यों/यू टी के कुल 113 जिलों तथा 3376 स्कूलों की नमूना जांच की गई। लेखापरीक्षा हेतु चयनित जिलों तथा स्कूलों का राज्य वार ब्यौरा अनुबन्ध-1 में दिया गया है।

1.	राज्य	मिजोरम को छोड़कर सभी राज्य तथा यू टी			
2.	जिले	जिलों में, जी पी एस डब्ल्यू ओ आर विधि द्वारा चयन किए जाने वाले निम्नतम दो के अध्यक्षीन, राज्य के अन्दर 15 प्रतिशत जिले			
3.	स्कूल	प्रत्येक जिले में एस आर एस डब्ल्यू ओ आर विधि द्वारा चयनित 30 स्कूल प्रति जिला			
		क्षेत्र का नाम (ब्लॉक)	क्षेत्र की संख्या (ब्लॉक)	प्राथमिक स्कूल/ई जी एस/ए आई ई केन्द्र/मदरसा/मकतब	उच्च प्राथमिक स्कूल/ई जी एस/ ए आई ई केन्द्र/मदरसा/मकतब
		ग्रामीण	3	14	7
		शहरी	1	6	3
		जोड	4	20	10
नोट: यदि ग्रामीण/शहरी क्षेत्र दोनों में स्कूलों की संख्या भिन्न थीं तो वे एक दूसरे से प्रतिपूर्ति की गई थीं इस प्रकार सुनिश्चित कर के कि जोड प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर क्रमशः 20/10 रहती है।					

1.8 लेखापरीक्षा उद्देश्य

योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा यह सत्यापित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- योजना चरणबद्ध रीति में कार्यान्वित की जा रही थी ताकि सभी पांच प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर स्कूली बच्चों को कवर किया जा सके।
- योजना ने प्राथमिक शिक्षा में नामांकन, अवधारण और उपस्थिति बढ़ाने का अपना उद्देश्य प्राप्त किया
- योजना ने प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की पौषणिक स्थिति सुधारने का अपना उद्देश्य प्राप्त किया
- आबंटित निधियां मितव्ययी तथा दक्ष रीति में उपयोग की जा रही थीं।
- योजना के कार्यन्वयन की प्रभावी रूप से निगरानी की जा रही थी।

1.9 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए मानदण्ड के निम्नलिखित स्रोत अपनाए गए थे:

- प्राथमिक शिक्षा (एम डी एम) 2006 की पौषणिक सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर योजना मार्गनिर्देश।
- एस डी एम के अन्तर्गत जिला स्तर पर एफ सी आई को खाद्यान्नों की लागत के भुगतान के विकेन्द्रीकरण के मार्गनिर्देश (फरवरी 2010)।
- एस डी एम योजना के अन्तर्गत गुणवत्ता, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के जुलाई-2013 के मार्ग निर्देश।
- एम डी एम योजना के अन्तर्गत खर्च करने के लिए सम्बन्धित राज्यों द्वारा बनाए गए प्रतिमान।
- एम एच आर डी/राज्य सरकारों/यू टी प्रशासन द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र तथा निर्देश
- वार्षिक कार्य योजना तथा विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार बजट
- सामान्य वित्तीय नियमावली
- बच्चों के नामांकन, उपस्थिति अवधारण और पौषणिक स्थिति के डाटा।

- बच्चों की पौषणिक स्थिति के निर्धारण हेतु माप प्रणाली और पौषणिक स्थिति में सुधार।
- निगरानी तन्त्र और विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन/अनुवर्ती कार्रवाई तथा निर्धारित सुधारक कार्रवाई
- योजना पर मूल्यांकन रिपोर्ट
- आन्तरिक नियंत्रण संरचना और इसकी प्रभावकारिता

1.10 पूर्व लेखापरीक्षाएं

एम डी एम योजना के कार्यचालन की निष्पादन लेखापरीक्षा 2002-03 से 2006-07 तक की अवधि को कवर कर पूर्व में भी की गई थी और परिणाम नियंत्रक महालेखापरीक्षाक के 2008 के प्रतिवेदन सं.13 में सूचित किए गए थे। उपर कथित प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रमुख कमियां थी:

- बच्चों के नामांकन, उपस्थिति तथा अवधारण स्तरों में वृद्धि के अनुसार कार्यक्रम के प्रभाव का निर्धारण न करना।
- कमजोर आन्तरिक नियंत्रण तथा निगरानी के उदाहरण
- केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर संचालन तथा निगरानी समितियों की बैठकों में कमी
- एम डी एम की सम्पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों का अपर्याप्त निरीक्षण
- अपूर्ण अवसंरचना निधियों का विलम्बित निर्गम और स्फीत परिवहन लागतों आदि के उदाहरण
- खाना बनाने तथा परोसने का पर्यवेक्षण करने में पर्याप्त अध्यापन समय लगाने वाले अध्यापकों के उदाहरण परिणामस्वरूप अध्यायन घटों की हानि हुई।

लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर लेखापरीक्षा में निम्नलिखित सिफारिशों की गई थीं

- स्कूलों से वास्तविक नामांकन, उपस्थिति और अवधारण के डाटा प्रग्रहण की विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करना
- बच्चों के पौषणिक स्तर की पहुँच के लिए तन्त्र स्थापित करना।

- एफ सी आई से खाद्यान्नों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- सभी स्तरों पर निरीक्षण तथा निगरानी तन्त्र सुदृढ़ करना।
- एम डी एम के कार्यान्वयन हेतु अनिवार्य अवसंरचना प्रदान करना।

एम डी एम योजना के, सी ए जी के प्रतिवेदन 2008 के सं.13 पर लोक लेखा समिति (15 वी लोक सभा) ने अपनी नौवी रिपोर्ट (बाद में 28 वीं रिपोर्ट) में अवलोकन/सिफारिशों की थीं। मंत्रालय ने, पी ए सी की नौवी रिपोर्ट के अवलोकनों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजी (सितम्बर 2010)।

2009-10 से 2013-14 तक की अवधि की एम डी एम योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में पता चला कि सी ए जी के पूर्ण प्रतिवेदन में यथा उल्लिखित अधिकांश कामियां पी ए सी को मंत्रालय द्वारा भेजे गए आश्वासन के बावजूद अब भी विद्यमान थी, जैसा नीचे तालिका 1.3 में स्पष्ट किया गया है:

तालिका 1.3 लोक लेखा समिति के अवलोकनों/ सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	लोक लेखा समिति (पी ए सी) के अवलोकन/सिफारिशें	मंत्रालय की प्रतिक्रिया (ए टी एन)	वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति
1.	2007-08 तथा 2008-09 वर्षों के दौरान निधियों के कम उपयोग के कारणों का विश्लेषण	मंत्रालय ने बताया कि केन्द्रीय सहायता का कम उपयोग राज्य स्तर से जिला/स्कूल स्तर तक निधियों में विलम्ब के कारण था। इसके अलावा राज्यों तथा यू टी को जी ओ आई द्वारा केन्द्रीय सहायता जारी होने के एक माह के अन्दर स्कूलों को निधियां जारी करने की सलाह दी गई थी।	विभिन्न स्तरों पर निधियों के कम उपयोग और जारी करने में विलम्ब के दृष्टान्त देखे गए थे (पैरा सं.4.1 तथा तालिका 4.1)।
2.	दोपहर भोजन प्रदान करने के लिए जनता निजी भागीदारी (पी पी पी) तथा सहयोगी स्वैच्छिक संगठनों/एन जी ओ की खोज करना	एन जी ओ/ एस एम जी को लगाने और माताओं को शामिल करने के लिए मार्गनिर्देश सितम्बर 2010 में परिचालित किए गए थे।	एम डी एम प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में एन जी ओ और एस एच जी लगाने के बावजूद लेखापरीक्षा में पका खाना प्रदान करने में कमियां देखी गई (पैरा सं.3.5 पैरा सं. 3.6.4 की केस स्टडी सं. 2 तथा पैरा सं.4.5)। इसके अलावा खाना तैयार करने

			के पर्यवेक्षण में माताओं को शामिल न करने के दृष्टान्त देखे गए थे (पैरा सं.3.6.5)।
3.	वास्तविक नामांकन और उपस्थिति के आधार पर खाद्यान्न आबंटित करने के उपाय विकसित करें। खाद्यान्नों के उपयोग की राज्यों द्वारा निगरानी की जाए।	मंत्रालय ने बताया कि खाद्यान्न सामान्यता बच्चों, जिन्होंने एम डी एम प्राप्त किया, की संख्या और स्कूल दिवसों की संख्या, जिन पर पूर्व नर्व के दौरान खाना दिया गया था, के अनुसार वास्तविक निष्पादन को ध्यान में रखकर कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पी ए बी) द्वारा दिए अनुमोदन के आधार पर आबंटित किया जा रहा था। एम डी एम योजना की प्रगति की निगरानी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी जिसमें एम डी एम के लिए अपनाए गए और वास्तविक एम डी एम प्राप्त वास्तविक नामांकन तथा पी ए जी द्वारा अनुमोदित बच्चों की संख्या है।	बताए गए निगरानी तन्त्र के बावजूद खाद्यान्नों के अधिक/कम उठाने के दृष्टान्त अब भी विद्यमान थे (पैरा सं.3.1)। मंत्रालय तथा राज्यों से प्राप्त एम डी एम योजना के अन्तर्गत बच्चों के नामांकन, कनरेज के डाटा के बीच भिन्नताएं थी (पैरा सं.2.7)
4.	समिति ने चाहा कि मंत्रालय खाद्यान्नों की आपूर्ति की लगातार निगरानी करे और जिससे क्षेत्र तथा आंधी पानी मौसम वाले क्षेत्रों/जिले में बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए राज्यों को स्पष्ट निर्देश भी दे।	मंत्रालय ने खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए (फरवरी 2010) मार्गनिर्देशों के अनुसार भारतीय खाद्यनिगम (एफ सी आई) खाद्यान्नों की अच्छी गुणवत्ता, उचित औसत गुणवत्ता से कम नहीं, की पर्याप्त मात्रा की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। राज्यों/यू टी से अपेक्षा की गई थी कि प्रत्येक उपभोक्ता यूनिट अप्रत्याशित आवश्यकताओं के कारण विघटन से बचने के लिए एक माह के लिए आवश्यक खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाए।	एफ ए क्यू के खाद्यान्नों की आपूर्ति न होने, बफर स्टाक बनाए न रखने आदि के दृष्टान्त देखने में आए (पैरा सं.3.3 तथा 3.4)।
5.	निधियों तथा खाद्यान्नों के विपथन की जबाब देही का निर्धारण	खाद्यान्नों/निधियों के विपथन के मामले, शीघ्र ही उचित कार्रवाई आरम्भ करने के लिए उन्हें अनुरोध	निधियों के विपथन के दृष्टान्त देखे गए थे (पैरा सं.4.2)।

		कर, सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाए गए थे।	
6.	रसोई एवं भण्डार निर्माण की नीति की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए और आगे और समय गवाए बिना अपेक्षित रसोइयों के निर्माण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।	मंत्रालय ने 60000 प्रति यूनिट प्लेट दर से कुर्सी से प्रतिमान और 1 दिसम्बर 2007 से अभिभावी दर अनुसूची के आधार पर को रसोई एवं भण्डार की निर्माण लागत संशोधित की। रसोई एवं भण्डार के निर्माण के लिए निधियां भी जारी की गई थीं।	खाना पकाने का आधारभूत ढांचा अर्थात् रसोई एवं भण्डार की अनुपलब्धता, निधियों का उपयोग न करने, अविवेकी संस्वीकृती और निधियों का निर्गम तथा के सी एस के निर्माण की निधियों के अवरोधन के उदाहरण देखे गए थे (पैरा सं.3.7 तथा 4.6)।
7.	अध्यापन समय की हानि से बचने के लिए पर्याप्त सहायता तन्त्र सुनिश्चित करना।	खाना पकाने तथा पर्यवेक्षण की प्रक्रिया में अध्यापकों को शामिल न करना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए थे।	अध्यापकों को शामिल करने के कोई ऐसे मामले नहीं देखे गए थे।
8.	संचालन एवं निगरानी समितियाँ (एस एम सी) का नियमित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा सक्रिय कार्रवाई	नियमित अन्तरालों पर सभी स्तरों पर एस एम सी की बैठकें आयोजित करने के लिए सभी राज्यों/यूटी को स्मरण कराया गया था (अगस्त 2010)।	राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तथा ब्लॉक स्तर पर बैठकों में कमी हुई थीं (पैरा संख्या 5.2 तथा 5.3)।
9	मंत्रालय तथा राज्य सरकार वांछित परिणामों अर्थात् स्वास्थ्य तथा पोषाहार के साथ इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए योजना का प्रभाव निर्धारित करें।	मंत्रालय ने बताया कि एम डी एम योजना का मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया था। मंत्रालय ने आवश्यक उपचारी कार्रवाई के लिए राज्यों/यू टी को परिणामों से अवगत कराया था।	नियमित स्वास्थ्य जांचों का आयोजन न करना, बच्चों को माइक्रो पुष्टिकर प्रदान न करने के उदाहरण देखे गए थे (पैरा सं. 3.6.1 तथा 3.6.2)

जैसा उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है पी ए सी की चिन्ताएं पूर्णतया असमाधित रहीं।

अध्याय-॥

योजना तथा आवृतन

2.1 वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार करना

एम.डी.एम. योजना स्कूल स्तर पर अनुरक्षित एवं ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर संकलित सूचना के आधार पर राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (वा.का.यो. एवं ब.) तैयार करने के महत्व को निर्धारित करती है। यह योजना के ऊपर से नीचे अभिगम की अपेक्षा नीचे से ऊपर अभिगम की परिकल्पना करती है। यह सुनिश्चित करने कि वे भागीदारी योजना प्रक्रियाओं के माध्यम से स्कूल स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं, यह आवश्यक है कि योजना तैयार करने की प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण हो। वा.का.यो. एवं ब. ढांचा जहाँ तक एम.डी.एम. योजना के कार्यान्वयन का संबंध है, राज्य के वर्तमान परिदृश्य का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने के लिए परिकल्पित किया गया है इसमें प्रबन्धन ढांचा, कार्यान्वयन प्रक्रियाएं, निगरानी प्रणाली, लक्ष्य समूहों के सामाजिक ब्यौरे, अवसंरचना स्थिति, मूल्यांकन अध्ययनों के परिणाम, समस्याओं से निपटने की युक्तियां, समुदाय भागीदारी, बेहतर प्रथाएं और नई पहलें आदि शामिल होते हैं। अपने वा.का.यो. एवं ब में राज्यों/संघशासित क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित सूचना शामिल की जाएगी:

- (i) स्कूलों के कार्यदिवसों की प्रत्याशित संख्या।
- (ii) बच्चों, जिन्होंने एम.डी.एम. का लाभ लिया है, की औसत संख्या पर जिला-वार सूचना।
- (iii) कक्षा I-V में नामांकन पर जिला-वार सूचना और बच्चों, जो चालू वर्ष में एम.डी.एम. का लाभ लेने को अनुमानित हैं, की संख्या।
- (iv) पूर्व वर्ष में आवंटित खाद्यानों के उठान तथा उपयोग के जिला-वार ब्यौरे।
- (v) पूर्व वर्ष में खाना पकाने की लागत के प्रति केन्द्रीय सहायता के आवंटन और उपयोग के जिला-वार ब्यौरे।

- (vi) चालू वर्ष के लिए खाना पकाने की लागत के प्रति खाद्यानों तथा केन्द्रीय सहायता के जिला-वार ब्यौरे आदि।

ये योजनाएं मंत्रालय के कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। विचार विमर्शों और का.अ.बो. द्वारा दिए गए अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित के लिए केन्द्रीय सहायता संस्वीकृत/जारी की जाएगी:-

- (i) खाद्यानों की मात्रा का जिला-वार आवंटन।
- (ii) खाना पकाने की सहायता का जिला-वार आवंटन।
- (iii) परिवहन आर्थिक सहायता।
- (iv) प्रबंधन, निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए निधियां
- (v) रसोई एवं भण्डार के निर्माण तथा रसोई उपकरणों के लिए जिला-वार आवंटन।

विभिन्न राज्यों के वा.का.यो. एवं ब. की संवीक्षा में पता चला कि 16 राज्यों² ने अपने वा.का.यो. एवं ब. तैयार करते समय नीचे से ऊपर अभिगम का अनुपालन नहीं किया था। नीचे से ऊपर अभिगम के अभाव में इन राज्यों के वा.का.यो. एवं ब. बच्चों के नामांकन, स्कूलों/मदरसों/मकतबों/शि.गा.यो./वै.अ.शि. केंद्रों की संख्या आदि का वास्तविक चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। हमने निम्नलिखित चरणों में कमियां देखी:

- **आंध्र प्रदेश** में राज्य सरकार ने ₹84.91 करोड़ की अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए वा.का.यो. एवं ब. में नामांकन के आंकड़े बढ़ा कर दर्शाये थे। वर्ष 2010-11 के वा.का.यो. एवं ब. में शामिल सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों तथा स्थानीय निकाय स्कूलों के नामांकन आंकड़े बिना किसी परिवर्तन के 2011-12 के लिए भी बनाए रखे गए थे जबकि वास्तविक नामांकन आंकड़ों ने 2011-12 के दौरान कमी दर्शाई थी।
- **छत्तीसगढ़** में राज्य नोडल विभाग ने वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा (वै.अ.शि.) केन्द्रों और राजीव गांधी शिक्षा मिशन (रा.गा.शि.मि.) के

² आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल

अन्तर्गत 93 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 24 से सम्बन्धित डाटा प्राप्त नहीं किया था। तदनुसार ये स्कूल तीन वर्षों (2011-14) के वा.का.यो. एवं ब. में शामिल नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप इन स्कूलों के छात्र भी लेखापरीक्षाधीन अवधि में एम.डी.एम. प्राप्त करने से वंचित रह गए थे। विभाग के पास राज्य में चल रहे वै.अ.शि. की संख्या से सम्बन्धित डाटा भी नहीं था।

- **उत्तर प्रदेश** में 12 नमूना जांचित जिलों³ में अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 2010-14 के दौरान राज्य में एम.डी.एम. कार्यान्वयक नोडल विभाग को इन जिलों द्वारा निधियों की मांगे नहीं भेजी गई थीं और स्वयं राज्य नोडल विभाग ने योजना के विभिन्न घटकों के लिए निर्धारित दरों तथा प्रतिशतताओं के आधार पर मांगें प्रक्षेपित की थीं।
- **मणिपुर** में मंत्रालय ने राज्य द्वारा प्रस्तुत वा.का.यो. एवं ब. के आधार पर वर्ष 2009-10 के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर शि.गा.यो./वै.अ.शि. केन्द्रों में क्रमशः 27,186 तथा 19,279 बच्चों के लिए एम.डी.एम. के अन्तर्गत सहायता अनुमोदित की थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि वा.का.यो. एवं ब. में यथा दावित शि.गा.यो./वै.अ.शि. केन्द्र राज्य में विद्यमान नहीं थे। यह राज्य द्वारा प्रस्तुत वा.का.यो. एवं ब. की विश्वसनीयता का गम्भीर रूप से क्षय करता है।

2.1.1 स्कूलों/शि.गा.यो./वै.अ.शि. केन्द्रों को आवृत न करना

एम.डी.एम. मार्गनिर्देश परिकल्पना करते हैं कि सभी सरकारी स्कूलों/विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों/मदरसों/मकतबों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों को गर्म पका खाना प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया था कि आठ राज्यों में कुछ स्कूल/विशेष प्रशिक्षण केन्द्र एम.डी.एम. योजना के अन्तर्गत आवृत नहीं किए गए थे और परिणामस्वरूप इन स्कूलों में अध्ययनरत बच्चे एम.डी.एम. से वंचित हो गए थे। ऐसे स्कूलों/विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे नीचे तालिका 2.1 में दिए गए हैं:

³ बरेली, बिजनौर, गाजीपुर, हरदोई, कानपुर, कुशीनगर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थ नगर

तालिका 2.1: राज्यों, जहाँ स्कूल/विशेष प्रशिक्षण केन्द्र आवृत करने से रह गए के ब्यौरे


क्र.सं.	राज्य का नाम	आवृत न किए गए स्कूल/विशेष प्रशिक्षण केन्द्र
1.	बिहार	गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, रोहतास तथा सीतामढ़ी जिलों में सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में शामिल नहीं किए गए थे जबकि गया, मुजफ्फरपुर तथा रोहतास में वै.अ.शि. केन्द्र भी योजना में शामिल नहीं किए गए थे।
2.	छत्तीसगढ़	2011-14 के दौरान 24 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवृत नहीं किए गए थे।
3.	दिल्ली	2009-10 के दौरान शि.गा.यो./वै.अ.शि. केन्द्रों में अध्ययनरत 18,000 बच्चों में से 16846 बच्चे आवृत नहीं किए गए थे।
4.	गुजरात	2013-14 के दौरान 5319 स्कूल आवृत नहीं किए गए थे।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	2010-11 के दौरान 11 प्राथमिक स्कूल आवृत नहीं किए गए थे।
6.	पंजाब	लुधियाना में 2009-14 के दौरान पांच सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से VIII में अध्ययनरत 12349 बच्चों को एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था।
7.	उत्तर प्रदेश	2009-10 से 2013-14 के दौरान 549 तथा 12101 के बीच स्कूल आवृत नहीं किए गए थे। अगस्त 2010 में राज्य सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से पदोन्नत हाई स्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्ययनरत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आवृत करने का निर्णय लिया। तथापि, सहारनपुर जिले में 87 ऐसे स्कूलों ने एम.डी.एम. प्रदान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। परिणामस्वरूप सितम्बर 2010 से सितम्बर 2011 तक इन स्कूलों में 33366 बच्चों को एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया जा सका था। इन स्कूलों में एम.डी.एम. प्रदान करने का कार्य केवल अक्टूबर 2011 में एन.जी.ओ. को सौंपा गया था।
8.	पश्चिम बंगाल	2009-10 से 2013-14 के दौरान 288 से 11002 के बीच स्कूल आवृत नहीं किए गए थे।

तथ्य यह है कि राज्य सरकारों ने स्कूलों की पर्याप्त संख्या को एम.डी.एम. की परिधि से बाहर रखा, न केवल राज्य एम.डी.एम. के प्रावधानों का पूर्णतया पालन करने में विफल रहे, बल्कि योजना के अन्तर्गत सभी स्कूलों की पहचान करने तथा आवृत करने के सन्तुलित तन्त्र की भी कमी रही।

2.2 नामांकन पर प्रभाव

एम.डी.एम. योजना स्कूलों तक बच्चों को आकर्षित करने और नामांकन में सुधार लाने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी। 2009-10 से 2013-14 तक के दौरान सरकारी स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों तथा मदरसों/मकतबों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का नामांकन नीचे चार्ट में दिया गया है:

चार्ट: एम.डी.एम. आवृत स्कूलों में नामांकन




(स्रोत: मंत्रालय से डाटा)

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि बच्चों के नामांकन ने गत वर्षों (2010-11 के दौरान को छोड़कर) लगातार कमी दर्ज की है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन का राज्यवार डाटा अनुबन्ध-11 में दिया गया है। नामांकन डाटा के विश्लेषण से निम्नलिखित पता चला:

- 2009-10 से 2013-14 तक के दौरान नामांकनों में घटती प्रवृत्ति हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी में देखी गई थी। अन्य राज्यों में नामांकन की विविध प्रवृत्ति थी।
- प्राथमिक स्तर पर नामांकन 10.34 करोड़ (2009-10) से 9.12 करोड़ (2013-14) तक घट गया अर्थात् 12 प्रतिशत की कमी।

- तथापि उच्च प्राथमिक स्तर में नामांकन 4.35 करोड़ (2009-10) से 4.76 करोड़ (2013-14) तक बढ़ गया अर्थात् 9 प्रतिशत की वृद्धि।

2009-10 से 2013-14 के दौरान निजी स्कूलों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर्शाने वाला चार्ट नीचे दिया गया है:



(स्रोत: सर्व शिक्षा अभियान का डाटा)

उपर्युक्त डाटा से स्पष्ट निष्कर्ष है। एक पांच वर्षीय लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तरों में एम.डी.एम. आवृत स्कूलों तथा निजी स्कूलों में नामांकन ने विपरीत प्रवृत्तियां दर्ज कीं। जबकि निजी स्कूलों में नामांकन 38 प्रतिशत तक बढ़ गया, वहीं यह एम.डी.एम. आवृत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 5.58 प्रतिशत तक कम हो गया जो स्पष्टतया स्थापित करता है कि जनसंख्या का एक बढ़ता वर्ग है जो मुफ्त खाने की अपेक्षा शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देता है। दूसरा, ये यह भी दर्शाता है कि स्वयं मुफ्त एम.डी.एम. भी स्कूल में बच्चों को रोकने की एक पर्याप्त शर्त नहीं है जब तक इसे अध्यापन/सीखने के परिणामों में सुधार के साथ नहीं जोड़ा जाता है।

यह समझने का समय है कि खाना शिक्षा के बड़े प्रयोजन की आवश्यकता को पूरा करने वाला साधनों का एक अंत है। स्पष्ट प्रवृत्तियां देखी गई थीं जिन्होंने दर्शाया कि खाने का अपना प्रयोजन तभी पूरा होगा जब अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के संबंध में अभिभावकों की प्रत्याशाएं पूरी हो जाए।

2.3 वंचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों की पहचान

एम.डी.एम. योजना के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य वंचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल जाने और कक्षा कार्यकलापों पर उन्हें केन्द्रित करने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह देखा गया था कि अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ज. एवं क., झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली की राज्य सरकारों ने वंचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों की पहचान करने के लिए कोई मानदण्ड नहीं बनाया था। ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए न ही कोई सर्वेक्षण किया गया था।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में गरीब तथा वंचित वर्गों की पहचान करने का अगस्त 2011 में सहायक निदेशक, शिक्षा (प्रशासन) द्वारा निर्धारित किया गया था। मानदण्ड के अनुसार वंचित वर्गों से सम्बन्धित बच्चे तीन श्रेणियों, अर्थात् (i) अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित बच्चे (ii) अन्य पिछड़ा वर्गों से सम्बन्धित बच्चे (iii) अनाथ, झाड़ू वालों के परिवारों के बच्चे, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे तथा एच.आई.वी. प्रभावित अथवा संक्रमित बच्चों में विभक्त किए गए थे। तथापि, कुल लक्ष्य जनसंख्या में से वंचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों की संख्या की अभी पहचान की जानी थी (दिसम्बर 2014)।

किसी मानदण्ड अथवा सर्वेक्षण के अभाव में स्कूल जाने के लिए वंचित वर्गों से सम्बन्धित गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने का एम.डी.एम. योजना का एक प्रमुख उद्देश्य केवल कागजों पर रहा।

2.4 योजना के बारे में जानकारी

मंत्रालय के निर्देश दिनांक 22 जुलाई 2013 टी.वी., रेडियो, समाचार पत्रों आदि के द्वारा अभिज्ञात तथा पात्र परन्तु नामांकित नहीं बच्चों के माता पिता के बीच योजना के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष योजनाएं बनाने की परिकल्पना की गई। लेखापरीक्षा में देखा कि आठ राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर तथा पंजाब में इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई थी।

2.5 आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत प्रदर्शन


मार्गनिर्देशों के पैरा 6.3 के अनुसार निम्नलिखित सूचना आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक स्कूल में साप्ताहिक/मासिक आधार पर प्रदर्शित की जानी चाहिए:

- (i) प्राप्त खाद्यानों की गुणवत्ता, प्राप्ति की तारीख
- (ii) प्रयुक्त खाद्यानों की गुणवत्ता
- (iii) खरीदे गए, प्रयुक्त अन्य संघटक
- (iv) एम.डी.एम. प्रदत्त बच्चों की संख्या
- (v) दैनिक मीनू
- (vi) कार्यक्रम में अन्तर्गस्त समुदाय सदस्यों का रोस्टर

12 राज्यों/सं.शा.क्षे. यथा अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, (7 स्कूल), गोवा, कर्नाटका, केरल, नागालैण्ड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड तथा लक्षद्वीप में नमूना जांचित स्कूलों में यह देखा गया था कि ऊपर कथित निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

2.6 बच्चों का आवृतन

राज्य, मंत्रालय को अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय नामांकित बच्चों की संख्या और तिमाही के दौरान एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले औसत बच्चों की संख्या के अनुसार उपलब्धि का विशेष उल्लेख करते हैं। सभी राज्यों में 2009-10 से 2013-14 के दौरान तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर एम.डी.एम. योजना में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर आवृत तथा नामांकित बच्चों की औसत संख्या (राज्य वार ब्यारे अनुबन्ध-11 में) का वार्षिक डाटा नीचे दिया गया है:



(स्रोत: मंत्रालय का डाटा)

उपर्युक्त से यह देखा जाए कि नामांकित बच्चों की तुलना में बच्चों का आवृत्तन 71 से 78 प्रतिशत के बीच रही। कुछ राज्यों में 2013-14 के दौरान बच्चों का आवृत्तन काफी कम थी यथा झारखण्ड (54 प्रतिशत), त्रिपुरा (60 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (55 प्रतिशत), चण्डीगढ़ (47 प्रतिशत), दिल्ली (61 प्रतिशत)। डाटा के विश्लेषण से निम्न का भी पता चला कि:

- प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की सूचित आवृत्तन में 7.85 करोड़ (2009-10) से 7.10 करोड़ (2013-14) तक लगातार कमी हुई थी।
- तथापि उच्च प्राथमिक स्कूलों ने 3.20 करोड़ बच्चों (2009-10) से 3.69 करोड़ बच्चों (2013-14) तक की वृद्धि सूचित की।

बच्चों के कम आवृत्तन के कारण निम्न को आरोप्य थे:

- नियमित रूप से स्कूल न जाने वाले बच्चे।
- कुछ बच्चे स्कूल में दिए गए खाने को पसन्द नहीं करते और अपने टिफिन में घर का बना खाना लाते हैं।
- स्कूलों को खाद्यान्नों की आपूर्ति में व्यवधान।
- कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित दिनों से कम पर खाना दिया जाना।

- नोडल विभाग, जिलों, ब्लाकों एवं स्कूलों द्वारा निधियों की प्राप्ति में विलम्ब।

वर्ष 2012-13 के लिए एम.डी.एम. योजना की निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों की निगरानी संस्थाओं (नि.सं.) की रिपोर्टों की जांच ने दर्शाया कि विभिन्न राज्यों में दौरे के दिन को एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या की प्रतिशतता मंत्रालय को सम्बन्धित राज्यों द्वारा भेजे गए डाटा की तुलना में पर्याप्त रूप से कम थी। विभिन्नताओं के ब्यौरे नीचे तालिका 2.2 में दिए गए हैं:

तालिका 2.2: निगरानी संस्था के दौरे के दिन एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	नि.सं. द्वारा देखे गए स्कूलों की संख्या	दौरे के दिन एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा भेजे गए डाटा के अनुसार एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले औसत बच्चों की प्रतिशतता	अंतर (प्रतिशत में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	160	71.57	81	9.43
2.	बिहार	200	58.12	67	8.88
3.	गुजरात	133	44.31	69	24.69
4.	कर्नाटक	240	74.32	90	15.68
5.	मध्य प्रदेश	367	55.27	72	16.73
6.	ओडिशा	160	60.11	88	27.89
7.	तमिलनाडु		84.02	87	2.98
8.	उत्तर प्रदेश	160	48.71	54	5.29

तालिका सूचित आंकड़ों की तुलना में दौरे के दिन एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में भिन्नता दर्शाती है। गुजरात (25 प्रतिशत) और ओडिशा (28 प्रतिशत) के मामले में भिन्नता अधिक उच्चरित थी। इस प्रकार एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या पर डाटा, की तुलना करने के लिए मौजूद तन्त्र का गम्भीर रूप से क्षय किया जाता है। यह तथ्य कि सूचित आंकड़े नमूना जांचित मामलों में स्थिर रूप से अधिक हैं जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया, सभी राज्यों में गलत सूचना देने की सम्भावना प्रस्तुत करता है।

इस प्रकार खाद्यान्नों तथा खाना पकाने की लागत के दुरुपयोग की सम्भावना स्पष्ट थी क्योंकि यह आंकड़ों के संस्थानीकृत अतिरंजना की प्रणाली थी जिसके कारण रिसाव तथा गबन हुए।

2.7 डाटा में भिन्नता

नामांकन डाटा, जैसा राज्य सरकारों द्वारा भेजा गया, मंत्रालय द्वारा खाद्यान्नों तथा खाना पकाने की लागत के आबंटन का आधार बनता है। मंत्रालय राज्यों द्वारा भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्टों (ति.प्र.रि.) के आधार पर नामांकन तथा एम.डी.एम. योजना के अन्तर्गत आवृत किए गए बच्चों की संख्या का भी अनुरक्षण करता है।

राज्यों से संग्रहित नामांकन और बच्चों के आवृतन का डाटा मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित डाटा से असंगत था, जो अविश्वसनीय डाटा प्रग्रहण दर्शाता है। ब्यौरे अनुबन्ध-111 में दिए गए हैं। बच्चों के आवृतन के डाटा में पर्याप्त भिन्नताएं आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ज. एवं क., झारखण्ड, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में देखी गई थीं। इस प्रकार एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों के डाटा की तुलना करने के लिए मौजूद तन्त्र से गम्भीर रूप से समझौता किया गया था।

2.8 बच्चों से विकल्प

एम.डी.एम. मार्गनिर्देशों के अनुसार गर्म पका खाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर सरकारी, स्थानीय निकाय तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और विशेष प्रशिक्षण केन्द्र में सभी बच्चों को प्रदान किया जाना है। योजना में या तो एम.डी.एम. को लेने अथवा न लेने के विकल्प के लिए बच्चों को समर्थ करने का कोई प्रावधान शामिल नहीं था। तथापि, यह देखा गया था कि कुछ बच्चों को दिए गए खाने की खराब गुणवत्ता अथवा घर से अपना स्वयं का टिफिन लाने की प्राथमिकता आदि जैसे विभिन्न कारणों के कारण एम.डी.एम. नहीं ले रहे थे। एम.डी.एम. प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या का डाटा बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह निधियों खाद्यान्नों की आवश्यकता, खाना पकाने की लागत आदि के निर्धारण, और इनके आगे निर्गम के अनुसार योजना कार्यान्वयन को प्रभावित करता है।

इस विशाल डाटा के अभाव में वा.का.यो. एवं ब. में आवश्यकता के अवास्तविक होने की संभावना है।

इसलिए यह सुनिश्चित करने कि योजना मितव्ययी रूप से तथा दक्षता से कार्यान्वित की जाती है, के उद्देश्य से राज्यों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं में उचित समायोजन का प्रावधान अवश्य किया जाए।

2.9 मुद्रा स्फीत दर के अनुसार खाना पकाने की लागत निर्धारित न करना

प्रति बच्चा प्रतिदिन खाद्यान्न आवश्यकता, प्रति बच्चा खाना पकाने की वर्तमान लागत की पर्याप्तता और खाना पकाने की लागत प्रतिमान में मुद्रा स्फीति सूचकांक में घटक के लिए उचित डिज़ाइन और संस्थापित करने के लिए मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2008 में एक राष्ट्रीय स्तर समीक्षा समिति (रा.स्त.स.स.) का गठन किया गया था। रा.स्त.स.स. ने पौषणिक प्रतिमानों की सिफारिश की, जैसा नीचे तालिका 2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.3: पौषणिक प्रतिमान

क्र.सं.	घटक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	कैलोरी	450	700
2.	प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
3.	माइक्रो पोषक	आयरन, फोलिक एसिड तथा विटामिन ए जैसे माइक्रो पोषकों की पर्याप्त मात्राएं	

समिति ने उपर्युक्त प्रतिमान प्राप्त करने के लिए प्रदान किए जाने वाले खाद्यान्नों, सब्जियों, दालों, आदि की मात्रा की भी सिफारिश की जैसा नीचे तालिका 2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.4: खाद्यान्नों, सब्जियों, दालों आदि की गुणवत्ता

क्र.सं.	मद	प्रतिदिन मात्रा	
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	खाद्यान्न	100	150
2.	पत्तीदार सब्जियां और अन्य सब्जियां	50	75
3.	दालें	20	30
4.	तेल	5	7.5
5.	मसाले	10	15

रा.स्त.स.स. ने उपर्युक्त मदों तथा श्रम प्रभारों सहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर ₹3.08/₹4.60 प्रति बच्चा खाना पकाने की लागत अपनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर खाना पकाने की लागत प्रतिवर्ष संशोधित की जानी चाहिए। आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति ने रा.स्त.स.स. की सिफारिश पर विचार किया और 1 दिसम्बर 2009 से प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ₹2.50/₹3.75 की दर पर खाना पकाने की लागत अनुमोदित की।

इसके अलावा खाना पकाने की लागत बाद के वर्षों में 1 अप्रैल से 7.5 प्रतिशत तक उर्ध्वगामी संशोधित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मंत्रालय द्वारा संशोधित खाना पकाने की लागत की दरें मुद्रास्फीति दर के अनुरूप संशोधित नहीं की गई थी। मुद्रास्फीति दर की तुलना में गैर पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में प्राथमिक स्तर पर खाना पकाने की लागत की दरें नीचे तालिका 2.5 में दी गई हैं:

तालिका 2.5: खाना पकाने की लागत की दरें

(राशि ₹ में)

वर्ष	मंत्रालय हिस्सा	राज्य हिस्सा	जोड़	पूर्व वर्ष में मुद्रास्फीति दर	मुद्रास्फीति दर के अनुसार खाना पकाने की लागत	अन्तर
2011	2.17	0.72	2.89	12.11	3.24	-0.35
2012	2.33	0.78	3.11	8.87	3.53	-0.42
2013	2.51	0.83	3.34	9.3	3.85	-0.51
2014	2.51	0.83	3.34	10.92	4.27	-0.93

इस प्रकार यह देखने में आएगा कि वर्ष 2011 से मुद्रास्फीति दर लगातार विविध रही थी परन्तु खाना पकाने की लागत की दरें मुद्रास्फीति दर के अनुरूप संशोधित नहीं की गई थीं। इसके परिणामस्वरूप योजना के मुख्य घटक के प्रति निधियों का कम प्रवाह हुआ।

मुद्रास्फीति दर के अनुसार खाना पकाने की लागत यौक्तिकीकरण न करना खाना पकाने के संघटकों की उपलब्धता पर और खाने में अपेक्षित पौषणिक मात्रा पर सीधा सम्बन्ध रखता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि सक्षम प्राधिकरण अर्थात् आर्थिक मामलों की केबिनेट समिति (आ.भा.के.स.) ने मुद्रास्फीति के आधार पर खाना पकाने की लागत संशोधित करने का अनुमोदन नहीं किया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि खाना पकाने की लागतें एम.डी.एम. योजना के अन्तर्गत निर्धारित पौषणिक प्रतिमानों तथा कैलोरीय मात्राओं के साथ खाना प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लगभग सभी राज्यों ने उल्लेख किया है कि खाना पकाने की लागत पर्याप्त नहीं थी।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एम.डी.एम. योजना खाना पकाने की लागत के पर्याप्त प्रावधान बिना कार्यान्वित की जा रही थी।

सिफारिशें:

- मंत्रालय मित्त्वययी रूप से तथा दक्षता पूर्वक योजना लागू करने के लिए म.भो. प्राप्त करने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या पर वास्तविक डाटा प्रग्रह्य करने की प्रणाली स्थापित करे। राज्यों द्वारा प्रस्तुत डाटा की स्वतंत्र जाचों के माध्यम से सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए। म.भो. प्राप्त करने वाले बच्चों के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करने की एक प्रणाली आंकड़ों की हेरा फेरी की जांच करने के लिए सम्मिलित की जाए।
- म.भो. योजना के अन्तर्गत निर्धारित पौषणिक प्रतिमानों तथा कैलोरीय मात्रा के साथ भोजन प्रदान करने के लिए खाना पकाने की लागत की दरें मुद्रास्फीति के अनुपात में संशोधित की जाय।

अध्याय-III

योजना का कार्यान्वयन

एम.डी.एम. योजना दिशानर्दिशों के अनुसार, सभी सरकारी विद्यालयों मदरसों/मकतबों तथा प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक स्तरों के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रत्येक बच्चे को पौषणिक, पका हुआ एम.डी.एम. प्रदान करने का समग्र उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों प्रशासनों के पास रहता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल होगा।

- ❖ भोजन पकाने की लगात हेतु सहायता के प्रति पर्याप्त बजटीय प्रावधानों को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम के सभी संघटकों नामतः भोजन पकाने की लागत, अवसंरचना रसोईघर उपकरणों का प्रापण आदि के प्रति निधियों के सामयिक प्रवाह हेतु प्रणालियों की स्थापना करना।
- ❖ योजना के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत राज्य के व्यय मापदण्डों को तैयार करना जो योजना के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम अंशदान से कम नहीं होंगे।
- ❖ रसोईघर-सह-स्टोर के निर्माण हेतु सुरक्षा विशिष्टताएं तैयार करना।
- ❖ भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) से सभी योग्य विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों को अनाज के निरंतर तथा अविरल प्रवाह हेतु प्रणालियों की स्थापना करना।
- ❖ यह सुनिश्चित करना कि लोजिस्टिक तथा प्रशासनिक प्रबंधन प्रत्येक योग्य विद्यालय में पौषणिक, पका हुआ एम.डी.एम. को नियमित परोसे जाने हेतु किए गए हैं। इसी प्रकार, योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए निधीयन के माध्यम से तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण द्वारा अवसंरचना के सामयिक प्रापण तथा रसोईघर उपकरणों के प्रापण हेतु लोजिस्टिक तथा प्रशासनिक प्रबंधनों को सुनिश्चित करना।

- ❖ ऐसे दिशानिर्देशों को निरूपन करना जो यथार्थ स्वैच्छिक अभिकरणों तथा सविल समिति संगठनों की पहचान करने तथा जोड़ने हेतु माप दण्ड सहित कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित तथा सुविधा प्रदान करेंगे।

3.1 खाद्यान्नों का आवंटन

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य नोडल विभाग को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक मंत्रालय को पूर्वगामी वर्ष के 30 सितम्बर को, योग्य बच्चों के नामांकन डाटा के आधार पर, अनाज के आवंटन हेतु जिला वार अनुरोध प्रस्तुत करने थे। राज्य के प्रस्ताव की संवीक्षा के पश्चात कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड (पी.ए.बी.) को जिला-वार खाद्यान्नों का आवंटन करना था। प्रत्येक राज्य सरकार/राज्य नोडल विभाग को राज्यव्यापी क्षेत्राधिकार तथा नेटवर्क वाले एकमात्र सरकारी/अर्ध-सरकारी अभिकरण अर्थात् राज्य सिविल आपूर्ति निगम को नामित करना था। यह अभिकरण एफ.सी.आई. के गोदामों से खाद्यान्न उठाने तथा उसकी तालूका/ब्लॉक स्तर पर मनोनित प्राधिकरण को आपूर्ति करने हेतु उत्तरदायी है।

राज्यों द्वारा आबंटित तथा उठाए गए अनाजों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि प्रक्षेपित नामांकन वास्तविक नामांकन की तुलना में अवास्तविक रूप से अधिक थे तथा परिणामस्वरूप मंत्रालय द्वारा अनाज के पर्याप्त रूप से अधिक आवंटन का कारण बने। नौ राज्यों⁴ जिन्होंने 2009-10 से 2013-14 के दौरान आवंटन के प्रति 80 प्रतिशत से कम अनाज उठाया था, का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है। कम अनाज उठाने के विभिन्न कारण निम्नानुसार थे:

- विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उनके वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (ए.डब्ल्यू.पी. एण्ड बी.) में बच्चों की संख्या का प्रक्षेपण अधिक था।
- नामांकन की तुलना में उन बच्चों की संख्या जिन्होंने एम.डी.एम. का लाभ उठाया था, कम थी।
- एम.डी.एम. वर्ष के दौरान कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड द्वारा स्वीकृत दिनों की संख्या से कम दिनों में प्रदान किया गया था।

⁴ असम, बिहार, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी

लेखापरीक्षा ने आठ राज्यों के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में अनाज के कम उठाए जाने के उदाहरण भी पाए जो 2.77 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के बीच थे, जैसा नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1: कम अनाज उठाए जाने के मामले

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	असम	120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में अनाज 32 प्रतिशत तक कम उठाया गया था
2.	हरियाणा	66 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 64 विद्यालयों में अनाज मापदण्डों के अनुसार प्रदान नहीं किया गया था तथा 37 विद्यालयों में अनाज में कमी 25 प्रतिशत से अधिक थी। परिणामस्वरूप, रिवाड़ी तथा सिरसा जिलों के 27 विद्यालयों में 19 से 536 दिनों के बीच की अवधि हेतु एम.डी.एम. पकाया जाना बाधित था।
3.	कर्नाटक	2009-14 के दौरान अनाज उठाने में कमी 32 से 42 प्रतिशत के बीच थी।
4.	मेघालय	नमूना जांच किए गए जिलों में 2009-14 के दौरान अनाज की 19229.40 एम.टी. की आबंटित प्रमात्रा के प्रति 598.27 एम.टी. (3.11 प्रतिशत) कम उठाया गया था।
5.	पंजाब	विभाग ने 2009-14 के दौरान आबंटित अनाज को 5.46 से 18.23 प्रतिशत तक कम उठाया था। परिणामस्वरूप, 90 चयनित विद्यालयों में से 32 में अनाज की कमी का सामना किया तथा इसका अन्य विद्यालयों से ऋण आधार पर प्रापण किया था। इसके अतिरिक्त, एम.डी.एम. को अनाज की अनुपलब्धता के कारण 20 विद्यालयों में 1011 दिनों तक प्रदान नहीं किया जा सका था।
6.	राजस्थान	नमूना जांच किए जिले झालावार में 14.54 प्रतिशत से 17 प्रतिशत के बीच कम अनाज उठाया गया था।
7.	दिल्ली	2010-14 के दौरान 857.04 से 3538.159 एम.टी. तक के बीच अनाज का कम उठाया जाना पाया गया था जो आबंटन का 9.39 से 21.85 प्रतिशत तक बनता है।
8.	पुदुचेरी	2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान विभाग द्वारा चावल उठाने में कमी 2.77 प्रतिशत से 33.13 प्रतिशत के बीच थी।

निम्नलिखित मामलों में, तथापि, राज्यों ने आबंटनों के प्रति 5182.22 एम.टी. अधिक अनाज उठाया था जैसा नीचे तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: अधिक अनाज उठाए जाने के मामले

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष	आबंटित अनाज (एम.टी. में)	उठाया गया अनाज (एम.टी. में)	उठाया गया अधिक अनाज (एम.टी. में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	2010-11	4544.67	5928.39	1383.72 (30.44 प्रतिशत)
		2011-12	6677.00	7530.00	853.00 (12.77 प्रतिशत)
2.	हिमाचल प्रदेश	2012-13	19323.70	19792.52	468.82 (2.43 प्रतिशत)
3.	नागालैण्ड	2010-11	6227.56	6570.21	342.65 (5.50 प्रतिशत)
		2011-12	5828.20	6945.99	1117.79 (19.18 प्रतिशत)
4.	दिल्ली	2013-14	29957.40	30950.87	993.47 (3.32 प्रतिशत)
5.	लक्षद्वीप	2013-14	247.12	269.89	22.77 (9.21 प्रतिशत)
कुल			72805.65	77987.87	5182.22

यद्यपि इन राज्यों ने अधिक अनाज उठाया था फिर भी लेखापरीक्षा ने इन राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में बच्चों के नामांकन में कमी पाई थी जो निर्गम केन्द्रों में पर्याप्त नियंत्रण प्रक्रिया के अभाव को दर्शाता है।

अनाज उठाने, परिवहन तथा उपयोग से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने विभिन्न अनियमितताओं को उजागर किया, जैसा निम्न मामला अध्ययनों में ब्यौरा दिया गया है:

मामला अध्ययन

1. वास्तविक खपत के अनुसार अनाज उठाना तथा उपयोग

भारत सरकार एम.डी.एम. योजना के अंतर्गत प्राथमिक हेतु 100 ग्राम तथा उच्चतर प्राथमिक हेतु 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति दिन की दर पर अनाज की मुफ्त आपूर्ति करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यू.टी., चण्डीगढ़ ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान लगातार कम अनाज उठाया जो कुल आवंटन के 49 प्रतिशत से 67 प्रतिशत के बीच था। निर्धारित मापदण्डों (100 ग्राम/150 ग्राम) के प्रति प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर अनाज का उपयोग प्रति बच्चा क्रमशः 62 से 87 ग्राम तथा 70 से 107 ग्राम के बीच था।

विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2014) में बताया कि बच्चे भोजन की कम प्रमात्रा का उपयोग करते हैं तथा इसलिए अनाज का उठाना तथा उपयोग वास्तविक खपत के अनुसार था। उत्तर, योजना प्रावधानों के संगत नहीं है।

2. बच्चों हेतु निर्धारित अनाज के उच्चतर मापदण्ड

केरल में अप्रैल 2011 से मार्च 2012 के दौरान सभी 14 जिलों में योजना के कार्यान्वयन को बाहरी अभिकरण अर्थात् विकास अध्ययन केन्द्र (सी.डी.एस.) द्वारा मूल्यांकित किया गया था। सी.डी.एस. ने पाया कि कुछ विद्यालयों ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक बच्चे हेतु निर्धारित चावल की वर्तमान प्रमात्रा की, विशेष रूप से बालिकाओं के लिए, पूरी तरह आवश्यकता नहीं थीं। सचिव, सामान्य शिक्षा विभाग ने भी लेखापरीक्षा को सूचित किया कि प्रमात्रा आवश्यकता से अधिक थी। यद्यपि निर्धारित प्रमात्रा को एम.डी.एम. खातों में डेबिट कर दिया गया था फिर भी वास्तविक उपयोग कम प्रमात्राओं का था तथा इसलिए बचत किया गया शेष अनाज त्यौहार अवसरों पर बच्चों को प्रदान किया गया था। विभाग का दृष्टिकोण इस तथ्य को उजागर करता है कि मापदण्ड वास्तविक आवश्यकता पर आधारित नहीं है तथा प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मापदण्डों की समीक्षा तथा संशोधन की आवश्यकता है।

3. एम.डी.एम. अनाज का दुरुपयोग `1.91 करोड़

मंत्रालय के अनुदेशों (फरवरी 2010) ने जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एफ.सी.आई. से चावल उठाना आपेक्षित किया। इसके अतिरिक्त, परिवहन ऐजेंट (टी.ए.) द्वारा उठाई गई चावल की प्रमात्रा तथा ब्लाक/विद्यालय प्वाईटों पर सुपुर्द की गई प्रमात्रा का चावल की किसी प्रकार की कम आपूर्ति तथा चोरी की संभावना से बचने हेतु नियमित मिलान किया जाना था।

ओडिशा में, लेखापरीक्षा ने जिला स्तर पर अनाज प्रबंधन की जांच की और पाया कि एफ.डी.आई. से उठाई गई प्रमात्रा तथा विद्यालय प्वाईटों पर प्रदान की गई प्रमात्रा के नियमित समाधान की कोई क्रियाविधि नहीं थी। इसके अतिरिक्त, टी.ए. द्वारा प्रस्तुत बिलों को सुपुर्दगी स्थान पर सुपुर्द की गई प्रमात्रा के साथ इसका मिलान किए बिना केवल सुपुर्दगी चालानों के आधार पर भुगतानों हेतु पारित किया गया था। यह कम सुपुर्दगी के साथ-साथ `1.91 करोड़ के 806.15 एम.टी. चावल के गबन का कारण बना जैसा नीचे दर्शाया गया है:

- जिला केन्द्रपारा के तीन ब्लाक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) (ऊल, मार्शघई तथा महाकालपाड़ा) के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि जबकि 2143.25 एम.टी. चावल को एफ.सी.आई. डिपो से अप्रैल 2013 तथा अगस्त 2014 के बीच उठाया गया था, फिर भी टी.ए. द्वारा वास्तविक सुपुर्दगी केवल 1758.71 एम.टी. की थी। इस प्रकार, `91.07 लाख⁵ की कीमत के 384.54 एम.टी. चावल की कम सुपुर्दगी की गई थी। परिणामी राशि को अभी भी वसूल किया जाना था। ऊल, मार्शघई तथा महाकालपाड़ा के बी.ई.ओ. ने तथ्यों को सुनिश्चित करते हुए बताया कि इसे जिला नोडल कार्यालय को सूचित किया जाएगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (जनवरी 2015)।
- केन्द्रपारा में, टी.ए. ने एफ.सी.आई. डिपो से 410.35 एम.टी. चावल उठाया था। (दिसम्बर 2011) परंतु उसने विद्यालय केन्द्रों पर केवल 362.35 एम.टी. की सुपुर्दगी की थी। इस प्रकार, `11.37 लाख की कीमत के 48.00 एम.टी. चावल की कम सुपुर्दगी की गई थी। जिला सामाजिक

⁵ 2013-14 में `2368.36 प्रति क्विंटल की दर पर सी.एम.आर. लागत को 3845.37 क्विंटल से गुणा करके

कल्याण अधिकारी (डी.एस.डब्ल्यू.ओ.) ने अनाज की अनुपाती लागत की वसूली नहीं थी तथा इसके स्थान पर जून 2012 में टी.ए. को ₹ 15.00 लाख का प्रतिभूति जमा जारी किया।

डी.एस.डब्ल्यू.ओ. ने प्रतिभूति जमा के निर्गम को स्वीकार करते समय बताया (सितम्बर 2014) कि टी.ए. को चावल के संवितरण पर शेष चालानों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।


इसी प्रकार, केन्द्रपारा में टी.ए. ने एफ.सी.आई. डिपो से 4278.698 एम.टी. एम.डी.एम. चावल उठाया (जनवरी 2012 से जनवरी 2013) तथा केवल 4022.822 एम.टी. के परिवहन का दावा किया था। इसने अनाज की कम सुपुर्दगी को दर्शाया। परिवहन लागत के प्रति दावा की गई राशि कम सुपुर्दगी किए गए शेष 255.876 एम.टी. चावल की लागत होने से ₹ 60.60 लाख की वसूली किए बिना अदा (मार्च 2013) की गई थी।

- डी.एस.डब्ल्यू.ओ. बालांगिर ने ब्लाक विकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) लोइसिंधा को ब्लाक के अंतर्गत विभिन्न प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को संवितरण हेतु 653.04 एम.टी. चावल की आपूर्ति (अप्रैल 2009 से मार्च 2011) की थी। डी.एस.डब्ल्यू.ओ. को टी.ए. द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी चालानों के साथ संबंधित बी.डी.ओ. के चावल स्टॉक रजिस्टर के प्रतिसत्यापन पर लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल 547.06 एम.टी. चावल ब्लाक केन्द्र पर प्राप्त किया गया था जबकि टी.ए. द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी चालानों ने बी.डी.ओ. द्वारा पूर्ण प्रमात्रा की प्राप्ति को दर्शाया। इसका परिणाम ₹ 25.10 लाख⁶ के मूल्य के 105.98 एम.टी. एम.डी.एम. चावल के संभावित गबन में हुआ।
- विद्यालयों में चावल सुपुर्दगी का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा ने गुडवैला ब्लाक में 13 विद्यालयों के स्टॉक रजिस्टर्स/सुपुर्दगी चालानों तथा बालांगिर जिले के लोइसिंधा तथा मुरीबाहल ब्लाकों में 26 विद्यालयों की रिपोर्ट/रिटर्न की प्रति जांच की तथा पाया कि 22 मामलों में चावल की आपूर्ति नहीं की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि टी.ए. ने 5.00

⁶ 2368.36 प्रति क्विंटल की दर पर 1 सी.एम.आर.-2013-14 में मूल्य को, 1059.800 क्विंटल से गुणा किया गया

एम.टी. चावल की सुपुर्दगी चालान प्रस्तुत किए थे जबकि 20 मामलों में टी.ए. ने विद्यालयों में प्राप्त चावल की तुलना में 6.75 एम.टी. चावल की अधिक सुपुर्दगी का दावा किया था। इसी प्रकार कटक जिले में कटक सदर ब्लाक तथा अथगढ़ ब्लाक में नमूना जांच पर उजागर हुआ कि 9 विद्यालयों से संबंधित 13 मामलों में 2.15 एम.टी.चावल की कम/गैर-आपूर्ति थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आपूर्ति को टी.ए. द्वारा सुपुर्दगी चालानों से धोखे से फेर बदल करके बढ़ाया गया था, जैसा नीचे चित्र में दर्शाया गया है:



चित्र 1: विद्यालय के पास 300 कि.ग्रा. चावल की सुपुर्दगी दर्शाने वाले चालान

चित्र 2: ब्लाक नोडल अधिकारी (बी.एन.ओ.) को 1300कि.ग्रा.की सुपुर्दगी का दावा करते टी.ए. द्वारा प्रस्तुत चालान

ये मामले दर्शाते हैं कि अनाज के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी जिला स्तरीय अधिकारी उचित सचेतना रखने में विफल रहा।

4. उत्तर प्रदेश में अनाज का कपटपूर्ण उठायाजाना/ गैर-सुपुर्दगी

- मिर्जापुर जिले के मनिहान ब्लाक में 4.47 लाख के मूल्य का 89.58 एम.टी. अनाज अक्टूबर 2013 में डी.आर.एम.ओ. द्वारा एम.डी.एम.ए./मूल शिक्षा अधिकारी (बी.एस.ए.) से आवंटन के बिना उठाया गया था। अनाज की अनियमित रूप से कोटेदारों को सुपुर्दगी की गई थी।

- **गाजीपुर** में, ₹66.70 लाख के मूल्य का गेहूँ (4898.77 क्विंटल) तथा चावल (8207.18 क्विंटल) को नवम्बर 2010 से अगस्त 2013 की अवधि के दौरान कोटेदारों द्वारा ब्लाक गोदाम से उठाया गया था परंतु सामग्री की विद्यालयों को सुपुर्दगी नहीं की गई थी।
- **मिर्जापुर** में, एफ.सी.आई. से उठाए गए तथा 2009-14 के दौरान अदा किए गए ₹80.58 लाख के मूल्य के 1627.23 एम.टी. अनाज की स्थिति गैर - निर्धारणीय रही।
- जिला **गाजीपुर** में, ₹59.77 लाख के मूल्य के 1174 एम.टी. अनाज को जबकि एफ.सी.आई. से उठाया गया था, परंतु ब्लाक गोदामों को इसकी सुपुर्दगी नहीं की गई थी।
- **सहारनपुर** में, एफ.सी.आई. से उठाए गए⁷ तथा यू.पी.एफ; एवं सी.एस.डी. के ब्लॉक गोदामों⁸ में उपलब्ध अनाज में 302 एम.टी. की विभिन्नता थी।

5. एम.डी.एम. योजना का संदेहास्पद कार्यान्वयन

मणीपुर में, चंदैल जिले के नौ नमूना जांच किए गए विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 2011-14 के दौरान बच्चों को एम.डी.एम. 3391 विद्यालय दिवसों पर प्रदान किया गया था जबकि उसी अवधि के दौरान कुल विद्यालय दिवसों को केवल 3191 तक परिकल्पित किया गया था जो अभिलेखों के झूठे होने तथा लीक होने की संभावता को दर्शाता है। इसी प्रकार इम्फाल पूर्व जिले के मामले में उदाहरण पाए गए थे जहाँ एम.डी.एम. को 4101 कुल उपलब्ध विद्यालय दिवसों के प्रति 4715 विद्यालय दिवसों हेतु प्रदान किया गया सूचित किया गया है।

6. सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों एम.डी.एम. की आपूर्ति गै.स.सं. द्वारा की गई थी। प्राथमिक विद्यालय बजदारन-11 जिला सहारनपुर के शहरी क्षेत्र में स्थित था। शिक्षक की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय अक्टूबर 2011 से बंद था। तथापि, इटरोकिटव ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली (आई.वी.आर.एस.) ने 2014-15 के दौरान (अक्टूबर

⁷ डी.आर.एम.ओ. द्वारा प्रस्तुत बिलों के अनुसार

⁸ कार्यालय क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, सहारनपुर में अनुरक्षित खाता-बही के अनुसार

2014 तक) 1779 भोजन प्रदान किए गए थे। पहले के वर्षों के दौरान प्रदान किए गए भोजन के संबंध में डाटा आई.वी.आर.एस. पर उपलब्ध नहीं था। मामला फर्जी अभिलेखों के सृजन को दर्शाता है जिसकी जांच की आवश्यकता है।

3.2 आबंटित तथा उठाए गए अनाज में विभिन्नता

लेखापरीक्षा के दौरान, 2009-10 से 2013-14 की अवधि हेतु अनाज उठाने पर डाटा 29 राज्यों से प्राप्त किया गया था, उसकी, मंत्रालय के पास उपलब्ध डाटा के साथ तुलना की गई थी। इन आंकड़ों की तुलना अनुबंध- V में दी गई है।

- आंकड़ों के विश्लेषण ने राज्यों द्वारा उठाए गए अनाज के आंकड़ों तथा मंत्रालय के बीच असंगतियां थी।
- 14 राज्यों ने मंत्रालय के अभिलेखों की तुलना में 225473.20 एम.टी. अनाज को कम उठाए जाने को सूचित किया था। इन 14 राज्यों में से आठ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली ने 222959.14 एम.टी. अनाज कम उठाया था। इस प्रकार, मंत्रालय के अभिलेखों के संबंध में कम उठाए जाने को दर्शाने वाले अनाज के आंकड़ों में विभिन्नता, अनाज के गबन तथा चोरी की संभावना को दर्शाती है।
- 16 राज्यों ने मंत्रालय के अभिलेखों की तुलना पर अनाज के अधिक उठाए जाने को सूचित किया था। बेमेल 56685.70 एम.टी की सीमा तक था। छः राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान ने 53249.49 एम.टी. अनाज के अधिक उठाए जाने को सूचित किया था। इसलिए डाटा की सम्पूर्णता संदेहास्पद थी।
- अनाज की प्रमात्रा में विभिन्नता दर्शाती है कि संबंधित नोडल विभाग आबंटित अनाज के उपयोग के संबंध में मंत्रालय को गलत आवधिक रिटर्न/उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहे थे।

3.3 सेवा प्रदाताओं के पास अनाज के सुरक्षित भण्डार की अनुपलब्धता

विकेन्द्रीकरण हेतु दिशानिर्देशों के पैरा 2.6 ने अभिकल्पित किया कि जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक उपभोक्ता इकाई अनाज के सुरक्षित भण्डार का अनुरक्षण कर रही है जो अप्रत्याशित आवश्यकताओं के कारण बाधा से बचने हेतु एक माह तक अपेक्षित है।

राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में चयनित विद्यालयों की लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड, नागालैण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी) में अनाज के सुरक्षित भण्डार का अनुरक्षण करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

तमिलनाडु में 148 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 21 से 41 विद्यालयों में 2009-10 से 2013-14 के दौरान अपेक्षित सुरक्षित भण्डार नहीं था।

गोवा में, लेखापरीक्षा द्वारा दौरो किए गए 29 स्वयं सेवी समूहों (एस.एच.जी.) में एक महीने की आवश्यकता हेतु अनाज के किसी सुरक्षित भण्डार का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

दिल्ली में, जनवरी से मार्च 2014 तक की अवधि का स्टॉक रजिस्टर ने अनाज के ऋणात्मक अथवा अंत शेषों को दर्शाया जो 227.33 एम.टी. से 1005.05 एम.टी. के बीच थे। इस प्रकार, लेखांकन तथा सत्यापन प्रक्रियाएं समग्र रूप से अपर्याप्त थीं।

इसलिए, एक माह हेतु अनाज के सुरक्षित भण्डार के गैर-अनुरक्षण ने बच्चों को सभी कार्य दिवसों पर गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किए जाने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। लेखापरीक्षा ने 20 राज्यों में एम.डी.एम. में विघटन के पर्याप्त मामले पाए। ब्यौरे **अनुबंध-VI** में दिए गए हैं।

3.4 अनाज की स्पष्ट औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) को सुनिश्चित नहीं किया गया

एम.डी.एम. दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को उपलब्ध उत्तम गुणवत्ता का अनाज जारी करना था, जो किसी भी मामले में, कम से कम औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) का होगा तथा वह अच्छी गुणवत्ता के अनाज की पर्याप्त प्रमात्रा को निरंतर उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगा। जिलाधीश को यह सुनिश्चित करना था कि एफ.सी.आई. द्वारा कम से कम एफ.ए.क्यू. के अनाज जारी किए गए थे। इसे एफ.सी.आई. प्रतिनिधि तथा कलेक्टर के एक मनोनित को मिलाकर बने एक दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए था।

34 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जिला/विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच ने प्रकट किया कि:

अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड तथा दिल्ली के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों एफ.ए.क्यू. के संबंध में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

असम, बिहार, मेघालय, झारखण्ड तथा पुदुचेरी में विद्यालयों की नमूना जांच ने दर्शाया किया अनाज की गुणवत्ता की जांच करने हेतु कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

मामला अध्ययन

1. अच्छी गुणवत्ता के चावल हेतु खुले बाजार में बदले गए बेचे गए चावल की खराब गुणवत्ता

गोवा में 85 स्वयं सेवी समूह (एस.एच.जी.), जो 2009-14 के दौरान बच्चों को एम.डी.एम. की आपूर्ति कर रहे थे, ने घटिया गुणवत्ता के कारण एफ.सी.आई. से प्राप्त चावल तथा गेंहु को वापस नहीं किया था परंतु अच्छी गुणवत्ता हेतु इसे खुले बाजार में बदला अथवा बेचा था।

29 एस.एच.जी. में से, लेखापरीक्षा ने पाया कि 17 एस.एच.जी. ने एफ.सी.आई. द्वारा आपूर्ति किए गए 3468.04 क्विंटल चावल को खुले बाजार से बदला/बेचा था। इसके

अतिरिक्त, 16 एस.एच.जी. ने एफ.सी.आई. द्वारा आपूर्ति किए गए चावल तथा गेहूं दोनों को बेचा था। जबकि 12 एस.एच.जी. ने चावल का उपयोग किया तथा गेहूं को बेचा था फिर भी एक एस.एच.जी. ने चावल को बदला तथा गेहूं का उपयोग किया था। चावल का मूल्य `30 से `35 प्रति कि.ग्रा. के बीच था। इसी अवधि के दौरान 28 एस.एच.जी. ने खुले बाजार में 5369.16 क्विंटल गेहूं बदला/बेचा था। इस प्रकार एफ.सी.आई. द्वारा 855 एस.एच.जी. को आपूर्ति की गई चावल/गेहूं की भारी प्रमात्रा को खुले बाजार में प्रवाहित किया गया था जो यह भी दर्शाता है कि एफ.सी.आई. द्वारा आपूर्ति किए गए चावल न तो एफ.ए.क्यू. के थे और न ही बच्चों को परोसे जाने हेतु उपयुक्त थे।

एस.एच.जी. द्वारा घटिया गुणवत्ता के चावल के बदले में प्राप्त चावल की प्रमात्रा अनिश्चय तथा बेहिसाब थी। इसलिए, लेखापरीक्षा आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका कि क्या बच्चों को निर्धारित भोजन की इष्टतम प्रमात्रा प्रदान की गई थी।

2. जिला स्तर पर अनाज की एफ.ए.क्यू. को सुनिश्चित नहीं किया गया था

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम (एम.पी.एस.सी.एस.सी.) 2013-14 के दौरान विकेन्द्रित प्रापण (डी.सी.पी.) योजना के अंतर्गत अनाज की आपूर्ति करने को प्राधिकृत था। नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों ने प्रकट किया कि एम.पी.एस.सी.एस.सी. ने कोटि 'क' के चावल के बजाए एम.डी.एम. हेतु सामान्य कोटि के चावल की आपूर्ति की थी जिसकी पहले 2012-13 तक एफ.सी.आई. द्वारा आपूर्ति की जा रही थी। इस प्रकार, एफ.ए.क्यू. अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं थी जैसा निम्न चित्र में दर्शाया गया है:



चित्र 3: चावल के भण्डार में भारतीय भोजन कीट लार्वा का प्रजनन
पी.एस. धर्मदास ब्लॉक पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपूर, मध्य प्रदेश

दिनांक 14 अक्टूबर 2014



चित्र 4: सीले स्थान पर बोरो में अनाज के भण्डारण के कारण भारतीय भोजन कीट लार्वा का प्रजनन- एम.एस. पोदी चोड़ी, जिला अनूपपूर मध्यप्रदेश दिनांक 16 अक्टूबर 2014

3. एफ.सी.आई. द्वारा उत्तम गुणवत्ता के अनाज की आपूर्ति न किया जाना

उत्तर प्रदेश में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कोटि 'क' चावल की आपूर्ति करने के बजाए एफ.सी.आई. ने 2009-14 के दौरान 660011.72 एम.टी. (आपूर्ति किए गए कुल 939111.301 एम.टी. चावल का 70.64 प्रतिशत) आम कच्चे चावल (आर.आर.सी.) की आपूर्ति की थी। इस प्रकार, योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एफ.सी.आई. द्वारा उत्तम गुणवत्ता के चावल जारी नहीं किए गए थे।

एफ.सी.आई. ने बताया कि कोटि 'क' के चावल केवल तभी जारी किए गए थे जब कोई आम चावल नहीं था या कोटि 'क' चावल पिछली अवधि से संबंधित है। एफ.सी.आई. का उत्तर अनाज जारी करने हेतु मंत्रालय के दिशानिर्देशों अनुकूल नहीं था।

लक्षद्वीप में बच्चों तथा माता-पिता ने एफ.सी.आई. द्वारा आपूर्ति किए गए चावल की घटिया गुणवत्ता के संबंध में शिकायत की। बाद में एफ.सी.आई. ने 2013-14 के आगे से अच्छी गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति करना प्रारम्भ कर दिया।

दिल्ली में 2009-2014 के दौरान जांच हेतु अनाज का कोई नमूना नहीं उठाया गया था। यह भी पाया गया था कि उठाए जाने के समय अनाज की गुणवत्ता पर कोटि 'क' के रूप में लेबल लगाया जा रहा था परंतु यह गुणवत्ता एम.डी.एम. रसोई घर तक नहीं पहुंची थी। यह इस तथ्य से उजागर हुआ कि एक सेवा प्रदाता की दक्षिण पश्चिम दिल्ली के केन्द्रीय रसोईघर के अनाज उपलब्ध स्टॉक को घटिया पाया गया था तथा वह कीड़ों से ग्रस्त था और गैर-अनाज तत्व शामिल थे जिसकी व्यापक सफाई की आवश्यकता थी। यह दर्शाता है कि चावल एफ.ए.क्यू. का नहीं था।

जैसा उपर्युक्त से स्पष्ट है कि घटिया गुणवत्ता के चावल की आपूर्ति किए जाने के कई मामले थे जो बच्चों को स्वास्थ्य संकट की ओर प्रस्तुत करते थे। नियमित जांच के माध्यम से एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की प्रणाली बड़े पैमाने पर अनुपलब्ध थी।

3.5 पका हुआ भोजन प्रदान किए जाने में विघटन

एम.डी.एम. योजना प्रावधान करती है कि विद्यालय में उपस्थित हो रहे प्रत्येक बच्चे को सभी विद्यालय दिवसों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जाएगा। दिशानिर्देशों का पैरा 3.3 अभिकल्पना करता है कि राज्य पौष्टिक पके हुए भोजन के नियमित तथा निरंतर प्रावधान को सुनिश्चित करने हेतु मापदण्डों तथा रीतियों को विनिर्दिष्ट करे। राज्य सरकार/सं.शा.क्षे. प्रशासनों को आम बाधाओं, जो पके हुए दोपहर के भोजन की नियमित आपूर्ति के मार्ग में आ सकती है, को ध्यान में रखते हुए विस्तृत दिशानिर्देशों को विकसित तथा प्रचारित करना था।

इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2001 में निर्देश दिया था कि सभी राज्यों को एक वर्ष में कम से कम 210 दिनों तक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करना चाहिए।

20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करने में सार्थक विघटन पाए गए थे। विघटन के कारण अनाज की कमी/प्राप्ति में विलम्ब, निधियों की अनुपलब्धता, रसोइयों का अभाव आदि को आरोपित थे। ब्यौरे अनुबंध-VI में दिए गए हैं।

मामला अध्ययन

1. संयुक्त निरीक्षण के दिन एम.डी.एम. प्रदान न किया जाना

मध्यप्रदेश में, दस जिलों के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में सितंबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच किए गए संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि सात नमूना जांच किए गए जिलों (अनूपपूर, भोपाल, धार, ग्वालियर, जबलपूर, राजगढ़ तथा विधिश) में 12 विद्यालयों में निरीक्षण के दिन एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था। बच्चों को भोजन प्रदान न करने के मुख्य कारण स्वयं सेवी समूह (एस.एच.जी.) द्वारा भोजन की गैर-आपूर्ति, रसोइयों का अभाव आदि थे।

3.6 बच्चों के पौषणिक स्तर की वृद्धि

सरकार का एक योजना उद्देश्य प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक बच्चों के पौषणिक स्तर का सुधार करना था। बच्चों की स्वास्थ्य स्थितियों को जनक शिक्षक संघ (पी.टी.ए.)/विद्यालय स्तरीय प्रबंधन तथा विकास समितियां (एस.एम.डी.सी.) द्वारा मॉनीटर किया जाना था। अभी भी स्वास्थ्य तथा पौषण पहलुओं का यह समावेशन कागज पर ही रहा क्योंकि बच्चों में स्वास्थ्य स्तरों में संवृद्धित विकास को मॉनीटर करने हेतु कोई मूल संकेतकों अथवा पौषणिक स्थिति के माप हेतु विशिष्ट मापदण्डों (ऊचाई तथा भार आदि) को मंत्रालय द्वारा, बेंचमार्क के रूप में कार्य करने हेतु, स्थापित नहीं किया गया था।

यह केवल 2007 में था, कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को, बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच करने का अनुरोध किया था तथा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत पौषणिक मॉनीटरिंग सहित विद्यालयों स्वास्थ्य कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने हेतु भी जनवरी 2007 में अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, एम.एच.आर.डी. ने मई 2013 में सभी राज्यों/सं.शा.क्षे. के शिक्षा सचिवों तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को भी, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अच्छे कार्यान्वयन हेतु एक संदेश प्रेषित किया था। बच्चों के आवृत्तन पर डाटा एकत्रित करने अथवा पौषणिक स्थिति में सुधार का पत्ता लगाने हेतु कोई अनुपालना कार्रवाई नहीं की गई थी।

3.6.1 सूक्ष्मपोषको तथा स्वास्थ्य जांचो का प्रबन्ध

दिशानिर्देशों के पैरा 4.5 ने निर्धारित किया कि एम.डी.एम. को (क) डी-वार्मिंग तथा विटामिन ए सम्पूरण हेतु छः माही खुराक, (ख) साप्ताहिक आईरन तथा फोलिक एसिड संपूरक, जिंक तथा (ग) स्थानीय क्षेत्र में पाई गई आम कमियों पर निर्भर अन्य सामान्य सम्पूरणों के प्रबन्ध के माध्यम से सूक्ष्मपोषक सम्पूरणों तथा डी-वार्मिंग से पूरक किया जाना चाहिए।

छः राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैण्ड तथा सिक्किम) के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में बच्चों में क्षेत्र विशिष्ट रोगों के फैलाव की रोकथाम हेतु, एक बचाव उपाय के रूप में, बच्चों को सूक्ष्मपोषक तथा सम्पूरक प्रदान नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, 17 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को पाया:


- बच्चों में क्षेत्र विशिष्ट कमी की पहचान नहीं की गई थी।
- चिकित्सा शिविरों का आयोजन करने में कमी थीं।
- बच्चों में सूक्ष्मपोषक की गोलियों का संवितरण नहीं किया जा रहा था।
- बच्चे कम वजन के पाए गए थे तथा उन्हें विटामिन ए तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं सहित रूग्ण निदान किया गया था। उन्हें पर्याप्त सूक्ष्मपोषक सम्पूरक प्रदान नहीं किए गए थे।
- डी-वार्मिंग की छः माही खुराक तथा आईरन तथा फोलिक एसिड, जिंक जैसे साप्ताहिक सम्पूरक बच्चों को नियमित रूप से प्रदान नहीं किए गए थे।
- गोलियों का विद्यालयों में ढेर लगा पाया गया। अधिकांश गोलियों की शैल्फ लाईफ समाप्त थी।

राज्य-वार कमियों को अनुबंध-VII में उजागर किया गया है तथा कुछ मामलों का नीचे मामला अध्ययन के रूप में ब्योरा दिया गया है:

मामला अध्ययन

ओडिशा में, 148 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 134 में 2009-14 के दौरान आई.एफ.ए. तथा एलबेंडोजोल गोलियां बच्चों को प्रदान नहीं की गई थीं। केन्द्रपारा जिले के अंतर्गत उदयभट उच्च प्राथमिक क्लस्टर विद्यालय के संयुक्त निरीक्षण ने प्रकट किया कि कार्यालय कक्ष में गोलियों की बड़ी प्रमात्रा का ढेर लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिकांश मामलों में गोलियों की अंतिम तिथि भी समाप्त हो चुकी थी।

क्र.सं.	गोली का नाम	प्रमात्रा	निम्न को समाप्त
1.	एलबेंडोजोल ओरल सस्पेंशन (बैच सं. 24072- बी.जी. 21)	400	जून 2014
2.	एलबेंडोजोल गोली 1 पी. 400 एम.जी. (बैच सं. ए.बी/1003)	1330	अक्टूबर 2014
3.	फोलिक एसिड तथा फेरस गोली एन.एफ.आई. (छोटी) (बैच सं. एफ.आई.टी. 29-116)	16000	जून 2014
4.	फोलिक एसिड तथा फेरस गोली (बड़ी) (बैच सं. एफ.एफ.टी. 29-109)	12000	मई 2014



चित्र 5: केन्द्रपारा जिले में उदयभट उच्च प्राथमिक क्लस्टर विद्यालय में रखी गई अवसित दवाईयां

बालांगिर जिले में आईरन तथा डी-वार्मिंग गोलियां किसी भी नमूना जांच किए गए विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थी जबकि इन गोलियों का बड़े स्टॉक का जिला के अंतर्गत ब्लाक शिक्षा कार्यालयों में ढेर लगाया हुआ था। इन गोलियों की प्राप्ति की तिथि उपलब्ध नहीं थी।



चित्र 6: बालांगिर जिले में बी.ई.ओ. कार्यालय, मुरीबाहल में आई.एफ.ए. एवं डी-वार्मिंग गोलियों का ढेर लगाना।



चित्र 7: बालांगिर जिले में बी.ई.ओ. कार्यालय, गुडवैल में आई.ए.एफ. गोलियों का ढेर लगाना।

ऊपर प्रस्तुत उदाहरणों ने दर्शाया कि गोलियों का प्रापण आवश्यकता का निर्धारण किए बिना किया गया था। इस प्रकार, आवश्यकता पहचान हेतु प्रणालीगत प्रक्रिया तथा बुद्धिसंगत प्रापण नीतियों की कमी थी।

3.6.1.1 क्षेत्र विशिष्ट पौषणिक कमियों की पहचान हेतु सर्वेक्षण/अध्ययन

अनुबंध 11 का पैरा 2.9, दिशानिर्देशों के भाग II ख बताता है कि बच्चों में पौषणिक स्तरो की जांच करने हेतु सर्वेक्षण किया जाना था।

2009-10 से 2013-14 के दौरान आन्ध्र प्रदेश, अ. एवं नि. द्वीपसमूह, गोवा, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों/सं.श.क्षे. में क्षेत्र विशिष्ट पौषणिक कमियों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं किया गया था।

3.6.2 स्वास्थ्य जांचो की अनुपालना का अभाव

राज्यों में नमूना जांच किए गए विद्यालयों की लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि कम से कम आठ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, बिहार, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपूर तथा नागालैण्ड) में नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी। अन्य 14 राज्यों में की गई स्वास्थ्य जांचो की स्थिति तालिका 3.3 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार है:

तालिका 3.3: की गई स्वास्थ्य जांचो के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 2008 के दौरान की गई स्वास्थ्य जांचो की स्थिति
1.	गोवा	स्वास्थ्य जांच 14 विद्यालयों में वर्ष में एक बार, 10 विद्यालयों में वर्ष में दो बार की गई थी जबकि 3 विद्यालयों में कोई स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी।
2.	हरियाणा	60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से चार में स्वास्थ्य जांच नहीं की गई है।
3.	झारखण्ड	120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 115 ने स्वास्थ्य जांच शिवरो का आयोजन नहीं किया था।
4.	कर्नाटक	120 विद्यालयों में केवल 5 स्वास्थ्य जांच की गई थीं।
5.	केरल	60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 28 ने निर्धारित स्वास्थ्य जांच नहीं की थी।
6.	मध्य प्रदेश	300 विद्यालयों में से 247 में स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी। 53 नमूना जांच किए गए विद्यालयों, जहां स्वास्थ्य जांच की गई थी, में 186 बच्चो को या तो कुपोषित, विटामिन ए की कमी या फिर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित पाये गये।
7.	मेघालय	60 विद्यालयों में से 41 (68 प्रतिशत) ने बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं की थी।
8.	पंजाब	90 विद्यालयों में से 14 विद्यालयों (16 प्रतिशत) में डाक्टरो ने दौरै नहीं किए थे।

9.	तमिलनाडु	150 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 38 में वर्ष में केवल एक बार स्वास्थ्य जांच की गई थीं तथा 933 बच्चों को या तो कम वजन के, रूग्ण या फिर पोषकों की कमी पाया गया था।
10.	त्रिपुरा	नमूना जांच किए गए पश्चिम त्रिपुरा जिला में स्वास्थ्य जांच 8 प्रतिशत से 38 प्रतिशत विद्यालयों में की गई थीं जिनमें कुल नामांकित बच्चों में से केवल 6 प्रतिशत से 28 प्रतिशत बच्चों को शामिल किया गया था।
11.	उत्तराखण्ड	विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच वर्ष में दो बार की जानी थी परंतु अलमोड़ा तथा टिहरी के 60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में क्रमशः केवल 28 प्रतिशत तथा 36 प्रतिशत स्वास्थ्य जांच की गई थी।
12.	उत्तर प्रदेश	360 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 135 में कभी भी स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी।
13.	पश्चिम बंगाल	58 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में वर्ष 2009-14 के दौरान केवल 40 स्वास्थ्य जांच की गई थीं तथा कुल नामांकित बच्चों के केवल 7.96 प्रतिशत को शामिल किया गया था।
14.	चण्डीगढ़	2009-10 से 2013-14 के दौरान औसत आधार पर प्रत्येक वर्ष 119 स्वास्थ्य जांच की गई थीं तथा कुल नामांकित बच्चों के 57 प्रतिशत को शामिल किया गया था।

इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा सिक्किम में नियमित स्वास्थ्य जांच के अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों का अनुरक्षण नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश में नमूना जांच किए गए विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने बताया (सितंबर-नवम्बर 2014) कि बच्चों का स्वास्थ्य जांच कर रहे दलों ने विद्यालयों में अनुरक्षित रजिस्ट्रों में परिणामों को दर्ज नहीं किया था।

असम में, 120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 42 ने स्वास्थ्य जांचों के किसी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया था।

कर्नाटक में बच्चों के वजन, ऊंचाई तथा अन्य स्वास्थ्य स्थिति के अभिलेखों वाले रजिस्टर का, 120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से, 66 में अनुरक्षण नहीं किया गया था।

पंजाब में 90 विद्यालयों में से 61 तथा उत्तर प्रदेश में 360 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 227 में स्वास्थ्य कार्डों तथा स्वास्थ्य रजिस्ट्रो का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

इस प्रकार स्वास्थ्य जांच की प्रणाली बड़े पैमाने पर उपेक्षित रही।

3.6.3 तौल मशीने/ऊचाँई रिकार्डर

असम, लक्षद्वीप तथा सिक्किम के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में तौल मशीने तथा ऊचाँई रिकार्डर विद्यालयों को प्रदान नहीं किए गए थे जबकि अरुणाचल प्रदेश में तौल मशीने/ऊचाँई रिकार्डर 2006-07 से खराब थे। उत्तर प्रदेश में, 360 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 153 में तौल मशीने उपलब्ध नहीं थीं। पंजाब में 15 प्रतिशत विद्यालयों को तौल मशीने प्रदान नहीं की गई थीं।

छत्तीसगढ़ में 3057 विद्यालयों में से रायगढ़ में केवल 900 विद्यालयों में तौल मशीने तथा उचाँई रिकार्डर थे।

राजस्थान में पांच नमूना जांच किए गए जिलों में ऊचाँई मापने की मशीनों में 87.61 प्रतिशत तथा तौल मशीनों में 68.66 प्रतिशत की कमी थी।

त्रिपुरा में शिक्षा निदेशालय ने 6.37 लाख की 227 तौल मशीनों का प्रापण किया तथा इनका आगे विद्यालयों को संवितरण करने हेतु विद्यालय निरीक्षको (आई.एस.) को संवितरित किया 96 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से तौल मशीने केवल नौ विद्यालयों में उपलब्ध थीं जो दर्शाती है कि मशीनों को प्रत्याशित उपयोग में नहीं लाया जा रहा था।

3.6.4 गुणवत्ता भोजन का आश्वासन

जुलाई 2013 के एम.एच.आर.डी. के दिशानिर्देशों ने बताया कि एम.डी.एम. योजना के अंतर्गत गुणवत्ता, सुरक्षा तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्य/सं.शा.क्षे. एम.डी.एम. की नमूना जांच कराने हेतु सी.एस.आई.आर. संस्थानों/पंजीकृत प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड को नियुक्त करेंगे।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 18 राज्यों/सं.शा.क्षे. (आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अ.एवं नि. द्वीपसमूह, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश) के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में राज्य सरकारों ने बच्चों को गुणवत्ता भोजन को सुनिश्चित करने हेतु पके हुए भोजन की नमूना जांच कराने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं को नियुक्त नहीं किया था।

गुजरात में, नमूना जांच किए गए जिलों ने भोजन के नमूनों की जांच करने हेतु किसी पंजीकृत प्रयोगशाला को नियुक्त नहीं किया था। 120 विद्यालयों के संयुक्त फील्ड दौरे के दौरान यह पाया गया था कि 2009-14 के दौरान 102 विद्यालयों में भोजन के नमूनों की जांच नहीं की गई थी।

ओडिशा के 148 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में बच्चों द्वारा उपभोग किए गए भोजन अथवा भोजन तैयार करने में उपयोग किए गए अनाज की गुणवत्ता की किसी भी प्रयोगशाला में जांच नहीं की गई थी।

अच्छे अभ्यास

एम.डी.एम. का सम्पूर्ण करने हेतु किचन गार्डन

अरुणाचल प्रदेश में सरकारी माध्यमिक विद्यालय, तेंगा, पश्चिम कामेंग जिला के विद्यालय प्राधिकारियों ने सब्जियां उगाने तथा दोपहर के भोजन का सम्पूर्ण करने हेतु विद्यालय के परिसर में किचन गार्डन की एक अच्छी पहल प्रारम्भ की थी जैसा नीचे चित्र से देखा जा सकता है:



चित्र 8: सरकारी माध्यमिक विद्यालय, तेंगा, पश्चिम कामेंग में किचन गार्डन

त्रिपुरा में किचन गार्डन को 55 विद्यालयों में शुरू किया गया था। इस अभ्यास को सभी विद्यालयों में प्रोत्साहित किया जा रहा था। ग्राम पंचायतों/नगर पंचायतों से इस उद्देश्य हेतु मनरेगा से कुछ श्रमदिवस प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

मणिपुर में भी विद्यालयों में किचन गार्डनिंग को विकसित किया गया था।

मध्य प्रदेश में, **भोपाल** तथा **जबलपुर** में रोटियां इलेक्ट्रिक मशीनों में बनाई गई थीं। परंतु उचित प्रकार से पकी नहीं थी जैसा चित्र में दर्शाया गया है:



चित्र 9 : इलेक्ट्रिक मशीन पर बनी आधी-पकी रोटी जिसे एन.जी.ओ. द्वारा प्राथमिक विद्यालय विजय नगर, भोपाल में प्रदान किया गया था, दिनांक 18 सितंबर 2014

मामला अध्ययन

1. भण्डारण हेतु मानीकीकृत प्रक्रियाओं का अनुपालन न किया जाना

एम.डी.एम. कार्यक्रम अपेक्षित करता है कि सुरक्षा तथा हाईजीन मानको को निर्धारित किया जाना चाहिए तथा उनका सख्ती से आचरण किया जाना चाहिए। एम.डी.एम. यह भी अनुबद्ध करता है कि गुणवत्ता तथा सुरक्षा पहलु हेतु अनाज को इंफेस्टेशन से बचाने हेतु, हवाबंद कंटेनरों/डिब्बों में नमी से दूर किसी स्थान पर भण्डारण किया जाना चाहिए। भोजन पकाने हेतु एक उठा हुआ प्लेटफार्म, पर्याप्त प्रकाश, उपयुक्त वायु-संचालन तथा निकासी एवं व्यर्थ निपटान के प्रबंध होने चाहिए। भोजन पकाने तथा परोसे जाने वाले बर्तन को प्रत्येक दिन उपयोग के

पश्चात उचित प्रकार से साफ तथा सुखाया जाना चाहिए।

चण्डीगढ़ में तीन स्थानों अर्थात् सेक्टर 22,30 तथा 30 पर रखे गए अनाज में भण्डारण हेतु पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं। परिणामस्वरूप, अनाज भण्डारण के दौरान, विशेषकर वर्षा के मौसम के दौरान, कीड़ों से अतिक्रमित हुआ। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कीड़ों से अतिक्रमित अनाज की शिकायतें भोजन पकाने वाले अभिकरणों से प्राप्त हो रही थीं।

2. अस्वस्थकर परिस्थितियों में खराब गुणवत्ता के भोजन का पकाया जाना

चण्डीगढ़ में तीन अभिकरणों अर्थात् चण्डीगढ़ होटल प्रबंधन संस्थान (सी.आई.एच.एम.), अम्बेडकर होटल प्रबंधन संस्थान (ए.आई.एच.एम.) तथा चण्डीगढ़ औद्योगिक तथा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (सी.आई.टी.सी.ओ.) चण्डीगढ़ के विद्यालयों में एम.डी.एम. पकाने हेतु नियुक्त थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि बच्चों/निरीक्षक (एम.डी.एम.) से सी.आई.टी.सी.ओ. द्वारा पकाए गए भोजन की खराब गुणवत्ता की कुछ शिकायतें प्राप्त की गई थीं। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दो विद्यालयों के संबंध में 162 बच्चों में से 122 (75 प्रतिशत) ने सूचित किया कि सी.आई.टी.सी.ओ. द्वारा पकाया गया भोजन उचित प्रकार से पका हुआ नहीं था, खराब स्वाद का था तथा कई बार स्वाद में खट्टा था। सी.आई.टी.सी.ओ. रसोई के दौरे के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि भोजन को अस्वस्थकर परिस्थितियों में पकाया जा रहा था। खाना पकाने हेतु टूटे तथा गंदे बर्तनों का उपयोग किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त खाना पकाने हेतु उपयोग किया गये क्षेत्र में अंधेरा तथा कम रोशनी थी।



चित्र 10: सी.आई.टी.सी.ओ. का रसोई घर क्षेत्र

विभाग ने अपने उत्तर (दिसंबर 2014) में बताया कि भोजन की खराब गुणवत्ता तथा स्वाद से संबंधित मामले को सी.आई.टी.सी.ओ. तथा उच्च प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था तथा सी.आई.टी.सी.ओ. को सुधारात्मक उपाय करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। विभाग की कार्रवाई नरम होना प्रकट होती है तथा बल्कि सी.आई.टी.सी.ओ. के विरुद्ध एम.डी.एम. के सुरक्षा तथा हाईजीन मानको से समझौता करने हेतु सख्त कार्रवाई की मांग करती है।

3.6.4.1 विषाक्त भोजन/अस्पताल में भर्ती तथा बीमारी के उदाहरण

ओडिशा में 2013-14 के दौरान 19 विद्यालयों के 210 छात्रों ने एम.डी.एम. खाने के पश्चात बीमार महसूस किया तथा उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

आन्ध्र प्रदेश, अदीलाबाद जिले में विषाक्त भोजन के चार मामले हुए थे तथा बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

छत्तीसगढ़ में भोजन के नमूनों की जांच न कराने का परिणाम विद्यालयों में भोजन संदूषण की छः घटनाएं हुई थीं। 108 बच्चों को 2009-14 के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

दिल्ली में 25 नवम्बर 2009 को एस.के.वी. विद्यालय, त्रिलोकपुरी में सेवा प्रदाता (मैसर्स राव रघुबीर सिंह सेवा समिति) द्वारा प्रदान किए गए भोजन की खराब गुणवत्ता के कारण 126 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। परिणामस्वरूप एम.डी.एम. आपूर्ति को 26 नवम्बर 2009 से 6 दिसंबर 2009 तक रोका रहा था।

इसी प्रकार, 2009-12 के दौरान एम.डी.एम. खाने के पश्चात बच्चों के बीमार पड़ने की विद्यालय में हुई 10 अलग घटनाओं, का परिणाम 305 बच्चों (सर्वोदया कन्या विद्यालय, त्रिलोकपुरी में अस्पताल में भर्ती कराए गए 126 बच्चों सहित) को अस्पताल में भर्ती कराने में हुआ। इसी प्रकार की घटना जूलाई 2013 में सभापुर में पूर्वी दिल्ली नगर निगम विद्यालय में हुई थी जिसका परिणाम पांच छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराने में हुआ था।

3.6.5 गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षको तथा माताओं को शामिल करने की योजना कार्य नहीं कर रही थी

दिशानिर्देशों का पैरा 4.3 अनुबंध करता है कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने हेतु शामिल किया जाना चाहिए कि (क) बच्चों को अच्छी गुणवत्ता, पौष्टिक भोजन प्रदान किया गया था, (ख) वास्तविक रूप से प्रदान किया जाना तथा खाया जाना स्वस्थकर स्थिति के अंतर्गत एकजुटता की भावना में तथा व्यवस्थित तरीके से शुरू किया गया था, तथा यह सुनिश्चित किया गया था कि तैयार किए गए भोजन को बच्चों को प्रदान किए जाने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित दो से तीन व्यस्कों द्वारा चखा गया था।

योजना के दिशानिर्देश (पैरा 4.4 का अनुबंध 10) विद्यालय में बच्चों को प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच करने में बच्चों की माताओं को शामिल किए जाने की आवश्यकता पर बल डालते हैं।

नौ राज्यों (असम, बिहार, दमन एवं दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मणिपुर तथा लक्षद्वीप) में बच्चों को प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को चखने में शिक्षक शामिल नहीं थे। न ही इस संबंध में नमूना जांच किए गए विद्यालयों में किसी अभिलेख/रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा था। यह बच्चों को प्रदान किए गए भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु स्थापित जांचो तथा संतुलनो से समझौता करता है।

हिमाचल प्रदेश में संबंधित विद्यालयों के प्राधानाध्यापकों ने बताया (अगस्त-नवम्बर 2014) कि बच्चों की माताएं आकस्मिक दंग से विद्यालय का दौरा करती थी जबकि कर्नाटक में विद्यालयों ने उत्तर दिया कि वे विद्यालय आने तथा भोजन को चखने के अनिच्छुक थी। अन्य छः राज्यों की स्थिति नीचे तालिका 3.4 में दी गई है:

तालिका 3.4: पके हुए भोजन को न चखने के अवसर

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	नमूना जांच किए गए 120 विद्यालयों में से 86 में भोजन पकाने तथा बच्चों को खाना खिलाने का पर्यवेक्षण करने में माताओं की कोई भागीदारी नहीं थी। यह प्रमाणित करने हेतु किसी रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था कि पके हुए भोजन को शिक्षक द्वारा चखा गया था।
2.	हरियाणा	24 चयनित विद्यालयों, जहां पके हुए एम.डी.एम. की आई.एस.के.ओ.एन. द्वारा आपूर्ति की जा रही थी, में से केवल 6 विद्यालयों (25 प्रतिशत) में भोजन की गुणवत्ता पर शिक्षक की प्रतिपुष्टि सकारात्मक थी। बच्चों की प्रतिपुष्टि केवल 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ली गई थी जहां यह केवल 2 (25 प्रतिशत) विद्यालयों में सकारात्मक थी। इस प्रकार 75 प्रतिशत विद्यालयों में नकारात्मक प्रतिपुष्टि थी।
3.	ओडिशा	139 विद्यालयों (94 प्रतिशत) में भोजन पकाने तथा बच्चों को खाना खिलाने का पर्यवेक्षण करने में माताएं शामिल नहीं थीं।
4.	पंजाब	90 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 59 विद्यालयों में माताएं पर्यवेक्षण करने/एम.डी.एम. हेतु भोजन तैयार करने में शामिल नहीं थीं।
5.	त्रिपुरा	96 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 11 (11 प्रतिशत) में भोजन को, बच्चों को प्रदान किए जाने से पहले, किसी भी शिक्षक अथवा माता द्वारा चखा नहीं गया था।
6.	उत्तर प्रदेश	29 विद्यालयों में शिक्षक यह सुनिश्चित करने में शामिल नहीं थे कि बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का भोजन प्रदान किया गया था, जबकि 207 विद्यालयों में भोजन पकाने तथा बच्चों को प्रदान किए जाने का पर्यवेक्षण करने हेतु माताएं उपस्थित नहीं थीं।

इस प्रकार, बच्चों को प्रदान किए गए भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रणाली या तो स्थापित नहीं थी या फिर प्रलेखन की कमी के कारण इसके कार्य करने की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता था।

3.6.6 कैलोरी मान को सुनिश्चित न किया जाना

योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना दिशानिर्देशों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक हेतु एम.डी.एम. में पोषणिक सामग्री क्रमशः (i) कैलोरी-450 तथा 700 तथा (ii) प्रोटीन-12 ग्राम तथा 20 ग्राम को निर्धारित किया। उपरोक्त पौषणिक सामग्री को निम्नलिखित सामग्रियों को प्रति बच्चा प्रति विद्यालय दिवस अनुसार बने एक पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है:

क्र.सं.	मद	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1.	चावल/ गेहूँ	100 ग्राम	150 ग्राम
2.	दालें	20 ग्राम	30 ग्राम
3.	सब्जियां	50 ग्राम	75 ग्राम
4.	तेल	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.	सूक्ष्म पुष्टिकर	एन.आर.एच.एम. के साथ अभिसरण में आइरन, फॉलिक एसिड, विटामिन-ए आदि जैसे सूक्ष्मपुष्टिकरो की पर्याप्त प्रमात्राएं	

छत्तीसगढ़, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा के नमूना जांच किए गए विद्यालयों में बच्चों को प्रदान किए जा रहे पके हुए भोजन में प्रदत्त न्यूनतम कैलोरी तथा प्रोटीन सामग्री को सुनिश्चित करने हेतु किसी अभिलेख/रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था, जबकि उत्तर तथा मध्य अण्डमान में यह सुनिश्चित करने हेतु कि बच्चों को विनिर्दिष्ट संघटक प्रदान किए जा रहे थे, कोई प्रणाली स्थापित नहीं थी। इस प्रकार, एम.डी.एम. का लाभ उठा रहे बच्चों को आपूर्ति किए गए भोजन की अपेक्षित कैलोरी तथा प्रोटीन सामग्री को सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

मामला अध्ययन

पके हुए भोजन के नमूने, जो निर्धारित मानको को पूरा करने में विफल रहे

दिल्ली में 2010-14 की अवधि के दौरान श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (एस.आर.आई.आई.आर.) ने 37 सेवा प्रदाताओं के पके हुए भोजन के नमूनों की जांच की थी। एस.आर.आई.आई.आर. ने पाया कि नमूनों की उच्च प्रतिशतता (89 प्रतिशत) निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल रही जैसा नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	जांच किए गए नमूने की संख्या	विफल रहे नमूनों की संख्या	विफल रहे नमूनों की प्रतिशतता
2010-11	352	333	94
2011-12	565	541	95
2012-13	559	500	89
2013-14	626	502	80
कुल	2102	1876	89

इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान इन मामलों में कैलोरी का न्यूनतम तथा अधिकतम महत्व 137.90 तथा 559.40 कैलोरी के बीच था तथा प्रोटीन का महत्व 4.3 तथा 15.2 ग्राम के बीच था जो निर्धारित पौषणिक मान से कम था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि निदेशालय ने 31 मार्च 2014 को वर्ष 2014-15 हेतु 31 सेवा प्रदाताओं के आपूर्ति आदेशों को बढ़ाया, जबकि उनके अनाज के नमूने विफल थे। इसमें 12 सेवा प्रदाता वे शामिल थे जिन्हें पिछले चार वर्षों से प्रत्येक वर्ष दंडित किया गया था, जो इस प्रकार निरन्तर विफलता को दर्शाता है। निदेशालय ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की थी तथा इसकी बजाए 37 चूककर्ता सेवा-प्रदाताओं पर केवल ₹ 77.25 लाख का दण्ड लगाया था।

नौ राज्यों में चयनित विद्यालयों/जिलों में अनाज की निर्धारित प्रमात्रा के प्रति बच्चों को प्रदान किए गए भोजन में अनाज की आपूर्ति में कमी पाई गई थी जिसने दर्शाया कि इन क्षेत्रों में यह निर्धारित पोषण बच्चों को प्रदान नहीं किया गया था।

कर्नाटक में, आई.एस.के.सी.ओ.एन., एक एन.जी.ओ. ने बल्लारी जिले के तालुकाओं (बल्लारी तथा होसापेट) में 304 विद्यालयों के बच्चों को एम.डी.एम. की आपूर्ति की थी। फिर भी इसने एम.डी.एम. तैयार करने में निर्धारित मापदण्डों से कम 10,44,536 कि.ग्रा. चावल का उपयोग किया था। ब्यौरे अनुबंध-VIII में दिए गए हैं।

3.6.7 डबल फोर्टिफाइड नमक का उपयोग

जुलाई 2013 के मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, एम.डी.एम. को पकाने हेतु केवल "डबल फोर्टिफाइड नमक" का उपयोग किया जाना चाहिए।

गोवा में सभी स्वयं सेवी समूह डबल फोर्टिफाइड नमक के स्थान पर आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश- 360 नमूना जांच किए गए पी.एस. तथा यू.पी.एस. के भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि 18 विद्यालयों में तो आयोडीनयुक्त नमक का भी उपयोग नहीं किया गया था।

दिल्ली में रसोई में, डबल फोर्टिफाइड नमक का उपयोग, बाजार में इसकी अनुपलब्धता के कारण, नहीं किया जा रहा था।

3.6.8 विद्यालयों में आपातकालीन चिकित्सा योजना का अभाव

एम.एच.आर.डी. द्वारा जारी दिशानिर्देशों, दिनांक 22 जुलाई 2013, का पैराग्राफ (XI) विद्यालय में किसी अप्रिय घटना के मामले में, विद्यालय के बच्चों को चिकित्सा उपचार प्रदान करने हेतु आपातकालीन चिकित्सा योजना की अभिकल्पना करने का प्रावधान करता है। जिला प्राधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए, कि बच्चों को पास की चिकित्सा सुविधा में अथवा विद्यालय हेतु एक डाक्टर की नियुक्ति करके, तत्काल चिकित्सा संज्ञान प्रदान किया जाता है।

दिल्ली में चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने बताया (सितंबर से दिसंबर 2014) कि यद्यपि, किसी औपचारिक आपातकालीन योजना की अभिकल्पना नहीं की गई थी, फिर भी, किसी घटना के मामले में, उपचार करीबी सरकारी अस्पताल में अथवा प्राईवेट डाक्टर द्वारा किया जाएगा।

गोवा में यह पाया गया था कि 60 में से किसी भी विद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा योजना के अंतर्गत कोई डाक्टर नियुक्त नहीं किया गया था। सभी विद्यालय, क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्भर थे, जो अधिकांश मामलों में करीबी स्थान पर स्थित नहीं था। विभाग ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक को आपातकालीन चिकित्सा योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया था।

मणिपुर में, नमूना विद्यालयों द्वारा किसी आपातकालीन चिकित्सा योजना की अभिकल्पना नहीं की गई थी।

पंजाब में लेखापरीक्षा ने पाया कि 90 नमूना जांच किए गए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 80 में विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा कोई आपातकालीन योजना तैयार तथा प्रकाशित नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त निदेशालय/जिला स्तर पर इस संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

त्रिपुरा में विभाग ने किसी आपातकालिन चिकित्सा योजना की अभिकल्पना नहीं की थी।

3.6.9 अभिसरण कार्यों का अभाव

एम.डी.एम. योजना के दिशानिर्देशों ने प्रावधान है कि कार्यक्रम को, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित कुछ अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ, समीपी अभिसरण में कार्यान्वित किया जाना है जिससे कि योजना के कार्यान्वयन हेतु रसोइ घर-सह-भण्डार, जल आपूर्ति, रसोइघर उपकरणों, स्वास्थ्य जांच हेतु विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सूक्ष्म-पुष्टिकरों का सम्पूरण, डी-वार्मिंग दवाईयां आदि जैसी सभी आवश्यकताओं को न्यूनतम संभावित समय सीमा में सभी विद्यालयों को प्रदान किया जा सके। उन मदों का विवरण जिन्हे अन्य योजना/कार्यक्रम के साथ समीपी अभिसरण की आवश्यकता है, अनुबंध-IX में दिया गया है।

मंत्रालय द्वारा योजना की त्रुटिपूर्ण मॉनीटरिंग तथा अन्य योजनाओं के साथ गैर-अभिसरण के कारण लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:

- केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता के बावजूद, रसोइघर-सह-भण्डार का निर्माण नहीं किया गया था तथा एम.डी.एम. को खुली तथा अस्वस्थकर परिस्थितियों में पकाया जा रहा था।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.आर.एम.) के साथ अभिसरण में किसी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन नहीं किया गया था।
- मंत्रालय की भूमिका बजट के आवंटन तक सीमित थी। इसने पेयजल, खाना पकाने हेतु रसोइघर उपकरण तथा उपयुक्त एवं सामयिक स्वास्थ्य जांचों जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया था।

- राज्यों ने योजनाओं के विभिन्न संघटकों पर विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से योजना के अभिसरण की योजना नहीं की थी। गैर-अभिसरण तथा विभिन्न पणधारकों के बीच समन्वय की कमी के कुछ उदाहरण नीचे तालिका 3.5 में दिए गए हैं:

तालिका 3.5: गैर-अभिसरण के मामले

एम.डी.एम. योजना संघटक	योजनाओं के साथ अभिसरण/समन्वय की कमी	राज्य
स्वास्थ्य जांच	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	केरल
रसोई शेड का निर्माण	-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना - सर्व शिक्षा अभियान - शहरी गरिबों हेतु मूल सेवाएं - शहरी श्रम रोजगार कार्यक्रम	मेघालय एवं उत्तर प्रदेश
पेयजल	-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम - स्वजलधारा	उत्तर प्रदेश
रसोईघर उपकरण	-सर्व शिक्षा अभियान	उत्तर प्रदेश

इसके अतिरिक्त, 34 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जिला/ब्लॉक/विद्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आधार पर 19 राज्यों के विभागों ने संबंधित विभागीय कार्यकर्ताओं से रसोईघर शेडों के निर्माण, पेय जल के प्रावधान, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि के संबंध में योगदान प्राप्त नहीं किए थे, जो एक ही उद्देश्य के प्रति विभिन्न अभिकरणों के, असंयुक्त प्रयासों का कारण बना। 19 राज्यों में अभिसरण की स्थिति अनुबंध-X में दी गई है। इस प्रकार, अभिसरण कार्यों को समन्वित ढंग से नहीं किया गया था।

3.7 पूर्ण रूप से अपर्याप्त/असंतोषजनक खाना पकाने की अवसरंचना

अवसरंचना सुविधाओं जैसे कि विद्यालय स्तर पर रसोइघर-सह-भण्डार बच्चों को स्वास्थ्यकर, हाइजीनिक तथा गर्म पका हुए भोजन की आपूर्ति तथा अनाज के सुरक्षित भण्डारण का प्रावधान भी, एम.डी.एम. योजना के उपयुक्त कार्यान्वयन हेतु एक आवश्यक संघटक है। रसोइघर-सह-भण्डार अथवा अपर्याप्त सुविधाओं का अभाव बच्चों को स्वास्थ्य संकटों के साथ-साथ अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना के जोखिम में डालेगा। रसोइघर-सह-भण्डार के प्रावधान को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, के तहत अनिवार्य भी बनाया गया था।

मंत्रालय ने मार्च 2014, तक विद्यालयों हेतु रसोइघर शैडों की 10,01,054 इकाईयां संस्वीकृत की थी। राज्यो/सं.शा.क्षे. ने 31 मार्च 2014 तक केवल 6,70,595 इकाईयों (67 प्रतिशत), का निर्माण किया है। **आन्ध्र प्रदेश** (17 प्रतिशत), **केरल** (13 प्रतिशत), **तमिलनाडु** (27 प्रतिशत), **मणिपुर** (38 प्रतिशत), **महाराष्ट्र** तथा **राजस्थान** (58 प्रतिशत), **झारखण्ड** (53 प्रतिशत), **उत्तराखण्ड** तथा **ओडिशा** (52 प्रतिशत), **अ.एवं नि. द्वीपसमूह** तथा **दा.एवं ना. हवेली** (2 प्रतिशत) के राज्यों/सं.शा.क्षे. में, निर्माण कार्य संस्वीकृत रसोइघर सह-भण्डारों के 60 प्रतिशत से भी कम, समाप्त किया गया था। (राज्य-वार स्थिति **अनुबंध-XI** में)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 26 नमूना जांच किए गए राज्यों में यह सुविधाएं अधिकतर त्रुटिपूर्ण थीं जैसा **अनुबंध-XII** में विवरण दिया गया है।

तीन राज्यों/सं.शा.क्षे., **दादरा एवं नागर हवेली** (100 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय), **मणिपुर** (93.33 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय) तथा **अरुणाचल प्रदेश** (77.77 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय) में रसोइघर शैड नहीं थे। बिहार, **लक्षद्वीप** (100 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय), **अरुणाचल प्रदेश** (98 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय), **केरल**, **मणिपुर** तथा **नागालैण्ड** (90 प्रतिशत नमूना जांच किए गए विद्यालय), में एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं थे। **छत्तीसगढ़** में, 100 प्रतिशत नमूना जांच किए विद्यालय में पेय जल सुविधा नहीं थीं।

अतः 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 2854 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 931 विद्यालयों में पक्का रसोईघर शैड नहीं था, 684 में रसोई उपकरण बर्तन नहीं थे, 1389 में एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं थे तथा 396 विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं थी।

मध्य प्रदेश अनुपपूर जिले में 30 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से छः में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक से अधिक रसोईघर शैड का निर्माण किया पाया गया था। एक विद्यालय से संबंधित फोटोग्राफ नीचे दी गई है:



चित्र 11: प्राथमिक विद्यालय मुलियाठोला, अनुपपुर, मध्यप्रदेश में निर्मित कई रसोईघर शैड दिनांक 01 नवम्बर 2014

असम में, तीन नमूना जांच किए गए विद्यालयों में कोई रसोईघर शैड उपलब्ध नहीं थे तथा भोजन विद्यालय के गलियारे में पकाया जा रहा था जैसा नीचे दिए फोटोग्राफ से स्पष्ट है:



चित्र 12 ताराजन एच.एस.- जोरहट

चित्र 13: 5 वार्ड एल.पी.एस.- मरियानी, जोरहट

इसी प्रकार, जी.पी.एस. एच.बी. कॉलोनी, हमिरपूर, हिमाचल प्रदेश में रसोईघर शैड के अभाव में भोजन को कक्षा में पकाया जा रहा था जैसा नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:



चित्र 14: जी.पी.एस. एच.बी. कॉलोनी, हमिरपूर, हिमाचल प्रदेश में रसोईघर शैड के अभाव में भोजन को कक्षा में पकाया जा रहा था जैसा नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है:

तमिलनाडु में, पंचायत यूनियन माध्यमिक विद्यालय, पुल्लारम्बक्कम में रसोईघर शैड का निर्माण किया गया था परंतु उसे ठेकेदार द्वारा सुपुर्द नहीं किया गया था। पंचायत यूनियन माध्यमिक विद्यालय, नईक्कनूर में यह पाया गया था कि विद्यालय की पानी की अनुपलब्धता के कारण बच्चों को बाहर से पानी लाना पड़ता था जैसा नीचे चित्रों में दर्शाया गया है :



चित्र 15: ठेकेदार द्वारा 2 वर्षों तक के.सी.एस. को सुपुर्द नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप निर्मित इमारत का उपयोग नहीं किया गया था (पी.यू.एम.एस., पुल्लारम्बावकम विद्यालय)



चित्र 16: पी.यू.पी.एस., नईक्कनूर में बच्चों को पानी के काम में लगाया गया पाया गया था।

ओडिशा में सात⁹ विद्यालयों में नए रसोइघर शैड के निर्माण के बावजूद भोजन शैड में नहीं पकाया गया था क्योंकि शैड के आकार को भोजन पकाने हेतु अपर्याप्त माना गया था। परिणामस्वरूप, संबंधित व्यय निष्फल प्रस्तुत हुआ था। अखुआ ओडंगा उच्च विद्यालय, अखुआ ओडंगा के रसोइघर का चित्र नीचे दिया गया है :



चित्र 17: छोटा आकार (10'X9') होने के कारण चित्र 18: रसोइघर शैड में अपर्याप्त स्थान एम.डी.एम. को नवनिर्मित रसोइघर शैड में नहीं के कारण एम.डी.एम. को पुरानो कक्षा में पकाया गया था पकाया गया है।

जिला रायगढ़, मध्यप्रदेश में एक विद्यालय में उपयुक्त बर्तनो की अनुपलब्धता के कारण एम.डी.एम. को बच्चों के हाथ में दिया जा रहा था जैसा नीचे फोटोग्राफ में दर्शाया गया है:

⁹ केन्द्रापारा में अखुआ आडंगा उच्च विद्यालय, बालंगिर में बड़ाबारकमुंडा पी.एस. एवं पितपाड़ा पी.एस. कंधामाला में हाटपाड़ा पी.एस.



चित्र 19: उपयुक्त बर्तानो के अभाव के कारण छात्रों के हाथों में एम.डी.एम. दिया जाना मिडिल विद्यालय, मोड़बादली, जिला रायगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

पक्का रसोइघर शैड के अभाव के परिणामस्वरूप भोजन को खुले/वरांडाह/रसोइया-सह-सहायक के घर के साथ-साथ कक्षाओं में तैयार किया जा रहा था जो कक्षाओं में बाधा डालने के अतिरिक्त बच्चों में स्वास्थ्य संकट का जोखिम डाल रहा था।

पुदुचेरी में विभिन्न केन्द्रीय रसोइघरों से विद्यालयों को पके हुए भोजन के परिवहन हेतु उपयोग किए गए 805 बर्तानो में से 210 कसे हुए ढक्कन (ऊपरी कवर) के बिना थे। बिना कसे हुए ढक्कन वाले बर्तानों में पके हुए भोजन का परिवहन भोजन की बर्बादी तथा संदुषण के जोखिम से भरा है। निम्न फोटोग्राफो के अस्वस्थकर कार्यों को कैप्चर करते हैं:



चित्र 20: सी.के विल्लिनौर-बिना उपयुक्त ढक्कन के भोजन कन्टेनर तथा मक्खियों द्वारा सदूषित भोजन

3.8 परिवहन प्रभारों का अधिक दावा

योजना दिशानिर्देशों के पैरा 2.3 (ii) (ख) के अनुसार केन्द्र सरकार को ₹75 प्रति क्विंटल की निर्धारित सीमा के तहत पास के एफ.सी.आई. गोदाम से विद्यालयों तक अनाज के परिवहन की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति करनी थी।

10 राज्यों (मणिपुर, मेघालय, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा तथा नागालैण्ड) में नोडल अभिकरणों ने वास्तविक से अधिक के परिवहन प्रभारों का दावा किया था जिसका परिणाम 2009-10 के दौरान ₹47.49 करोड़ के अधिक दावे में हुआ जैसा अनुबंध-XIII में ब्योरा दिया गया है।

3.9 सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एम.डी.एम. प्रदान करना

एम.डी.एम. दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 (4) ने अनुबंध किया कि दोपहर का भोजन गर्मीयों की छुट्टियों के दौरान उन क्षेत्रों के विद्यालयों में भी प्रदान किया जाएगा, जिन्हे सरकार द्वारा सूखा प्रभावित के रूप में औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया था। एक क्षेत्र को सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किए जाने वाली अधिसूचना को उस समय जारी करने जब गर्मी की छुट्टियां पहले ही प्रारम्भ हो चुकी है अथवा आरम्भ होने वाली है के मामले के राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के निर्गम की प्रत्याशा में ऐसे क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन प्रदान करना चाहिए। तमिलनाडु तथा उत्तराखण्ड में ₹116.90 करोड़ की निधियों का सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग नहीं किया जा सका था। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एम.डी.एम. प्रदान करने में पाई गई कमियों के राज्य-वार ब्योरे अनुबंध-XIV में दिए गए हैं। ओडिशा के सूखा प्रभावित क्षेत्र में एम.डी.एम. में विसंगतियों को उजागर कर रहा मामला अध्ययन नीचे दिया गया है:-

मामला अध्ययन

ओडिशा में, राज्य सरकार ने वर्ष 2011, 2012 तथा 2013 के दौरान विभिन्न जिलों में कुछ ब्लकों को सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किया था। इन ब्लॉकों में विद्यालयों में गर्मीयों की छुट्टियों के दौरान एम.डी.एम. प्रदान किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011, 2012 तथा 2013 हेतु निधियां 370 दिनों, 199 दिनों तथा 35 दिनों के विलम्ब से जारी की गई थीं जैसा नीचे तालिका में दिया गया है:

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान एम.डी.एम. प्रदान न किया जाना

सूखे के रूप में घोषित फसल मौसम का नाम	क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित करने वाली अधिसूचना की तिथि	प्रभावित ब्लॉकों/जिलों की संख्या	जिले को निधि जारी करने की तिथि	जारी राशि करोड़ में
खरीफ 2010	19 अप्रैल/ 2011	128 ब्लॉक/यू.एल.बी. जिसमें 17 जिले शामिल हैं	08 मई 2012 23 नवम्बर 2012	17.31 21.97
खरीफ 2011	29 फरवरी 2012	167 ब्लॉक/यू.एल.बी. जिसमें 19 जिले शामिल हैं		
खरीफ 2012	18 फरवरी 2013	10 ब्लॉक जिसमें 04 जिले शामिल हैं	07 जून 2013	0.98

इसलिए, विभाग द्वारा गर्मी की छुट्टियां 2011 तथा 2012 की समाप्ति के पश्चात निधियां जारी की गई थी। परिणामस्वरूप, गर्मी की छुट्टियों के दौरान इन विद्यालयों में एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था।

निधि के निर्गम के पश्चात भी, राज्य नोडल कार्यालय (एम.डी.एम.) द्वारा अगली गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। एक नमूना जांच किए गए जिले (केन्द्रपारा) में लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रदान की गई (मई 2012 तथा नवम्बर 2012) ₹ 99.79 लाख की पूर्ण निधियां अप्रयुक्त (सितम्बर 2014) रहीं क्योंकि जिले में गर्मी की छुट्टियों के दौरान कोई दोपहर का भोजन प्रदान नहीं किया गया था।

इस प्रकार, कार्यान्वयन में कमी तथा जिला कार्यालयों के साथ राज्य कार्यालय के समन्वय की कमी के कारण, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चे गर्मी की छुट्टियों में पका हुआ भोजन प्राप्त करने से वंचित थे। इसके अतिरिक्त, इस पर केन्द्रीय सहायता का लाभ भी नहीं उठाया जा सका था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसंबर 2014)।

3.10 अनाज की परिवहन लागत का संशोधन

एम.डी.एम. दिशानिर्देश 2006 के अनुसार, परिवहन आर्थिक सहायता को विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु ₹ 100 प्रति क्विंटल तथा अन्य राज्यों हेतु ₹ 75 प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया था। परिवहन सहायता की दरों को विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु अनुवर्ती वर्षों में संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2013-14 हेतु परिवहन सहायता के उपयोग का विश्लेषण करते हुए पाया कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित दरे वास्तविक आधार पर नहीं थीं। कुछ उदाहरण नीचे तालिका 3.5 में दिए गए हैं।

तालिका 3.6: परिवहन लागत की दरें

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंत्रालय द्वारा निर्धारित परिवहन सहायता की दर (₹ में)	2013-14 के दौरान उठाया गया अनाज (एम.टी. में)	राज्य द्वारा परिवहन सहायता पर व्यय (₹ लाख में)	राज्य द्वारा उपगत परिवहन सहायता प्रति एम.टी. की दर (₹ में)
1.	गोवा	750	3938.02	17.85	453
2.	राजस्थान	750	109630.53	395.13	360
3.	सिक्किम	1820	2396.50	51.85	2164
4.	उत्तराखण्ड	1140	21460.22	345.46	1610
5.	उत्तर प्रदेश	750	275595.69	1945.92	706
6.	चंडीगढ़	750	910	6.39	702
7.	दमन एवं दीव	750	358.43	3.63	1013
8.	दिल्ली	750	30950.87	112.01	362
9.	दा. एवं ना. हवेली	750	952.39	11.19	1175

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2013-14 के दौरान अनाज के परिवहन की वास्तविक लागत प्रत्येक राज्य में अलग थी। कुछ राज्यों में यह मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर से अधिक थी तथा कुछ मामलों में यह निर्धारित दर से कम थी।

इस प्रकार, मंत्रालय ने अनाज के परिवहन हेतु दरों को निर्धारित करने हेतु एक वैज्ञानिक आधार को नहीं अपनाया था। परिणामस्वरूप, कुछ राज्य एम.डी.एम. योजना को कार्यान्वित करने हेतु अतिरिक्त वित्तीय भार का सामना कर रहे थे।

3.11 भा.सं. द्वारा जारी एल.पी.जी. आर्थिक सहायता के अनुपयोग

विभिन्न राज्य सरकारों/सं.शा.क्षे. प्रशासनों को सितंबर 2012 में आर्थिक सहायता की वापसी के पश्चात एल.पी.जी. सिलेंडर के प्रापण द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय हेतु केन्द्रीय सहायता के निर्गम से संबंधित मंत्रालय के अभिलेखों ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने 2012-13 के दौरान 15 राज्यों/सं.शा.क्षे. को ₹ 296.52 करोड़ जारी किए थे। तथापि, कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्य/सं.शा.क्षे. इस केन्द्रीय सहायता का उपयोग नहीं कर सके थे तथा इसे अव्ययित के रूप में सूचित किया था। इन अव्ययित शेषों को 2013-14 के दौरान राज्यों/सं.शा.क्षे. को केन्द्रीय सहायता के अनुवर्ती निर्गमों से समायोजित किया गया था जैसा मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, 2013-14 के दौरान मंत्रालय ने 17 राज्यों को आर्थिक सहायता रहित एल.पी.जी. सिलेंडरों के प्रापण के प्रति केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 320.35 करोड़ जारी किए थे। लेखापरीक्षा जांच ने निम्न प्रकट किया:-

- लेखापरीक्षा उस आधार का पता नहीं लगा सकी थी जिस पर आर्थिक सहायता सहित एल.पी.जी. सिलेंडरों के प्रापण हेतु मंत्रालय द्वारा 2012-13 तथा 2013-14 में ₹ 296.52 करोड़ तथा ₹ 320.35 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। सूचना की मांग की गई थी परंतु प्रदान नहीं की गई (मार्च 2015)।
- **आन्ध्र प्रदेश, असम, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश** राज्यों में एल.पी.जी. आर्थिक सहायता की अप्रयुक्त निधियां कुल ₹ 255.55 करोड़ थीं। त्रिपुरा में ₹ 23.58 करोड़ की राशि का विद्यालय निरीक्षक (आई.एस.) सदर द्वारा अनियमित रूप से आहरण किया गया था। अन्य राज्यों में मामलों के ब्यौरे नीचे **तालिका 3.6** में दिए गए हैं। :

तालिका 3.6: एल.पी.जी. आर्थिक सहायता के अनुपयोग के मामले

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	आन्ध्र प्रदेश	मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 हेतु एम.डी.एम. योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता रहित एल.पी.जी. सिलेंडरो के प्रापण के लिए उपगत अतिरिक्त निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु आवर्ती केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹23.34 करोड़ की राशि जारी (मार्च 2013) की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान मार्च 2014 तक अप्रयुक्त पड़ी थी।
2.	असम	मंत्रालय ने आर्थिक सहायता रहित एल.पी.जी. सिलेंडरो के प्रापण हेतु ₹3.23 करोड़ की केन्द्रीय सहायता जारी की थी जिसे राज्य सरकार मंत्रालय द्वारा मार्च 2013 (₹: लाख) तथा फरवरी 2014 (₹316.64 लाख) में प्राप्त किया गया था। पूर्ण निधि को नवम्बर 2014 तक राज्य नोडल कार्यालय (एस.एन.ओ.) को जारी नहीं किया गया था। इस प्रकार, एम.डी.एम. के अंतर्गत एल.पी.जी. के उपयोग गैस आधारित भोजन पकाने के प्रत्याशित उद्देश्य को कार्यान्वित नहीं किया गया था क्योंकि 98 प्रतिशत विद्यालय अभी भी लकड़ी का उपयोग कर रहे थे।
3.	पंजाब	मंत्रालय ने आवर्ती केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्ष 2012-13 हेतु ₹21.81 करोड़ तथा 2013-14 हेतु ₹30.80 करोड़ जारी (मार्च 2013) किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान कार्यान्वयन अभिकरण को ₹21.81 करोड़ जारी किए थे तथा ₹1.52 करोड़ का व्यय एल.पी.जी. आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति पर किया गया था तथा शेष ₹20.29 करोड़ का भोजन पकाने की लागत के प्रति उपयोग किया गया था। वर्ष 2013-14 के लिए ₹30.80 करोड़ की केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार के पास अवरूद्ध रही। इस प्रकार, विद्यालय स्तर से उनकी आवश्यकता प्राप्त किए बिना एल.पी.जी. आर्थिक सहायता की मांग का परिणाम ₹30.80 करोड़ के अवरोधन के अतिरिक्त, ₹20.29 करोड़ के अनियमित उपयोग में हुआ। विभाग ने बताया (सितंबर 2014) कि जारी की गई निधियों को गैस सिलेंडरो की रिफीलिंग की मूल पर्ची की कमी के कारण विद्यालयों को संवितरित नहीं किया जा सका था। फिर भी, डी.ई.ओ. होशियारपुर ने बताया कि ना तो विद्यालयों से एल.पी.जी. सिलेंडर की आर्थिक सहायता रहित लागत की क्षतिपूर्ति की कोई मांग की गई थी और न ही जिले द्वारा कोई मांग प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त, ₹30.80 करोड़ के संबंध में विभाग ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान निधियां जारी नहीं की थी। जिसे मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु पुनः मान्य किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निधियों की मांग को विद्यालयों से निधियों की वास्तविक आवश्यकता को प्राप्त किए बिना निदेशालय स्तर पर प्रस्तुत किया गया था।

4.	त्रिपुरा	भारत सरकार ने आर्थिक सहायता रहित एल.पी.जी. सिलेंडर के प्रापण हेतु त्रिपुरा सरकार द्वारा अपगत अतिरिक्त निधियों की प्रतिपूर्ति हेतु `70.71 लाख (2012-13: `34.50 लाख तथा 2013-14: `36.21 लाख) संस्वीकृत किए। फिर भी विद्यालय निरीक्षक (ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारी) सदर-ए के अभिलेखों से यह पाया गया था कि किसी भी विद्यालय के पास वैध एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं था। इसके अतिरिक्त, विद्यालय निरीक्षक (आई.एस.) ने 91 विद्यालय द्वारा विभिन्न अप्राधिकृत अभिकरणों से एकत्रित करके प्रस्तुत वाउचरों के आधार पर `23.58 लाख का अनियमित रूप से आहरण किया था जो `23.58 की अनियमित वापसी का कारण बना।
5.	उत्तर प्रदेश	मंत्रालय ने एल.पी.जी. की अन्तरीय लागत की प्रतिपूर्ति हेतु 2012-14 के दौरान `198.95 करोड़ जारी किए थे जिसमें से केवल `0.77 करोड़ का उपयोग किया गया था जो दर्शाता है कि मंत्रालय ने वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना निधियों की मांग की गई थी।

ऊपर प्रस्तुत उदाहरण दर्शाते हैं कि निधियां जारी करने हेतु मंत्रालय का कार्य एक सुविचारित योजना के परिणाम के बजाए आपूर्ति संचालित था।

अनुशंसाएं:

- निरीक्षणों की प्रणाली को यह सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ किया जाना चाहिए कि कम से कम स्पष्ट औसत गुणवत्ता, जैसी निर्धारित की गई है, के अनाज एफ.सी.आई. डिपो से प्राप्त किए गए हैं। राज्य सरकारों को इस संबंध में कमी हेतु जवाबदेही निर्धारित करनी चाहिए।
- अन्य विभागों के साथ अभिसरण कार्यों को रसोइघर शैंडो तथा पेय जल सुविधा के प्रावधान जैसी अवसरचरणात्मक सुविधाओं में कमियों से निपटने हेतु त्वरित किया जाना चाहिए। मंत्रालय नियमित स्वास्थ्य जांचों, जैसा निर्धारित है, को सुनिश्चित करे तथा राज्यों को बच्चों के पौषणिक स्तर में सुधार का पता लगाने हेतु ऐसी स्वास्थ्य जांचों के परिणामों का प्रलेखन करने की सलाह भी दे। प्रत्येक विद्यालय में तौल मशीन तथा ऊर्चाई रिकार्डर के प्रावधान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- एम.डी.एम. योजना प्रवृत्ति में शबल हो सकती है तथा इसे स्वाद एवं उपलब्धता के क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विरसता को कम करने हेतु सूखा राशन आधारित भोजन के बजाए वैकल्पिक पोषण, स्थानीय पैदावार का प्रावधान करके नम्य बनाया जा सकता है।

अध्याय-IV

वित्तीय प्रबंधन

एम.डी.एम. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम स्वीकृति बोर्ड द्वारा राज्यों के ए.डब्ल्यू.पी. एवं बी. की स्वीकृति के पश्चात, मंत्रालय, राज्य सरकार/सं.शा.क्षे. प्रशासन के पास उपलब्ध अव्ययित शेषों, जो पिछले वर्ष के निर्गमों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, के तहत प्रत्येक वर्ष अप्रैल/मई में केन्द्रीय सहायता की प्रथम किश्त जारी करता है। मंत्रालय, प्रथम किश्त से किए गए व्यय की प्रगति के आधार पर, सितंबर/अक्तूबर में दूसरी किश्त जारी करता है। विधि प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:



बजट अनुमान तथा व्यय

जी.एफ.आर. का नियम 48(2) परिशिष्ट 2, बजट तैयार करने का निर्देशन प्रदान करता है तथा बताता है कि बजट को उचित ध्यान के साथ तैयार किया जाना चाहिए। 2009-10 से 2013-14 के दौरान बजट अनुमानों, निर्गमों तथा व्यय के विवरण नीचे तालिका 4.1 में दिए गए हैं:

तालिका 4.1: बजट अनुमान तथा व्यय के विवरण

(` करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान (आर.ई.)	जारी किए	व्यय	आर.ई. के संबंध में आधिक्य(+)/ कमी(-)	निर्गमोंके संबंध में आधिक्य(+)/ कमी(-)
2009-10	8000.00	7359.15	6937.26	5621.67	(-)1737.48 (24 प्रतिशत)	(-) 1315.59 (19 प्रतिशत)
2010-11	9440.00	9440.00	9124.52	7786.56	(-) 1653.44 (18 प्रतिशत)	(-) 1337.96 (15 प्रतिशत)
2011-12	10380.00	10239.01	9890.72	9235.82	(-)1003.19 (10 प्रतिशत)	(-) 654.90 (6.62 प्रतिशत)

2012-13	11937.00	11500.00	10858.16	10196.98	(-) 1303.02 (11 प्रतिशत)	(-) 661.18 (6 प्रतिशत)
2013-14	13215.00	12189.16	10910.35	10873.75	(-) 1315.41 (10.79 प्रतिशत)	(-) 36.60 (0.34 प्रतिशत)
	कुल	50727.32	47721.01	43714.78	(-) 7012.54	(-) 4006.23

(स्त्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकेगा कि:

- 2009-10 से 2013-14 के दौरान बजट अनुमानों के 10 से 24 प्रतिशत के बीच निरंतर बचते थीं।
- निरंतर बचते दर्शाती हैं कि बजट बनाने की प्रक्रिया अवास्तविक थी।

बचतो के मुख्य कारण, अनाज का अधिक आबंटन, प्रबंधन, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन (एम.एम.ई.) निधि का कम उपयोग, परिवहन लागत, आदि थे।

4.1 विभिन्न स्तरों पर निधियों को जारी करने में विलम्ब

दिशानिर्देशों का पैरा 3.3(ii) तथा (iii) अनुबंध करता है कि राज्य वित्त विभाग को एम.डी.एम. हेतु प्रत्याशित निधियों को अविलम्ब जारी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं संभव हो राज्यों/सं.शा.क्षे. प्रशासनों को बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राज्य से ग्राम स्तर तक निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण पर विचार करे। लेखापरीक्षा ने विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य वित्त विभाग से नोडल विभाग को, नोडल विभाग से राज्य में जिला/ब्लॉक/विद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यान्वयन प्राधिकरणों को निधियों के निर्गम में विलम्ब के कुछ अवसर पाए थे, जैसा अनुबंध-XV में दर्शाया गया है। विभिन्न स्तरों पर निधियां जारी करने में विलम्ब, विद्यालयों में बच्चों को भोजन प्रदान करने में बाधा का कारण बना। निधियों के निर्गम में विलम्ब विभिन्न अनियमितताओं का कारण बना जैसा नीचे तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2 निधियों के निर्गम में विलम्ब के मामले

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	अरुणाचल प्रदेश	नमूना जांच किए गए जिलों (पपूमपरे, पर्व सियांग तथा पश्चिम कायेगं) में विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि एम.डी.एम. योजना प्रदान करने में बाधा से बचने हेतु शिक्षकों ने स्थानीय भण्डारों से भोजन पकाने की मदों का प्रापण किया तथा अपनी स्वयं के जेब से अथवा क्रेडिट आधार पर रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

		का भुगतान भी किया था।
2.	असम	निधियों अर्थात् भोजन पकाने की लागत को जारी करने में विलम्ब के कारण भोजन प्रदान किए जाने हेतु दिवसों को पूरा नहीं किया जा सका था।
3.	जम्मू एवं कश्मीर	कूपवारा, लेह तथा कारगिल जिलों में 2010-11 के दौरान `1.76 करोड़ की निधियों का भोजन पकाने की लागत के प्रति, विद्यालय स्थानीय निधियों से विपथन किया गया था इसी प्रकार, जम्मू में `7.48 करोड़ की सीमा तक की निधियों का विद्यालय स्थानीय निधियों में से भोजन पकाने की लागत संघटक पर व्यय किया गया था। परिणामस्वरूप, योजना निधियां, जिन्हे विलम्ब से प्राप्त किया गया था, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर `8.12 करोड़ की सीमा तक अप्रयुक्त रही।
4.	पंजाब	<p>मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु `50 करोड़ तथा `25.16 करोड़ की अनुदान संस्वीकृत की थी। अप्रैल 2012 में, महा प्रबंधक, एम.डी.एम. सैल, पंजाब सरकार को सूचित किया कि 2011-12 के दौरान जारी किए गए `75.15 करोड़ राज्य वित्त विभाग द्वारा एम.डी.एम. को इन निधियों को जारी न किए जाने के कारण 01.04.2012 तक अप्रयुक्त रहे। महा प्रबंधक ने इस राशि को वर्ष 2012-13 हेतु पुनः मान्य करने का अनुरोध भी किया। राज्य सरकार ने वर्ष 2012-13 हेतु निधियां जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए व्यय सूचित किया। जिसमें यह राशि भी शामिल थी। इस प्रकार, राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 हेतु व्यय को गलत पुस्तुत किया था। व्यय को गलत सूचित करने हेतु कारण की मांग करने पर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि `75.15 करोड़ की निधियां जुलाई 2012 में उस व्यय हेतु जारी की गई थीं जिसे क्रेडिट आधार पर राज्य में एम.डी.एम. योजना को जारी रखने हेतु दुकानदारों से ऋण लेकर पहले ही 2011-12 के दौरान किया जा चुका था। मंत्रालय ने 2012-13 में `75.15 करोड़ की निधियों का उपयोग करने की अपनी स्वीकृति अक्टूबर 2012 में प्रदान की।</p> <p>एम.डी.एम. दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार भोजन पकाने की लागत हेतु सहायता के प्रति पर्याप्त बजटीय प्रावधानों को सुनिश्चित करने तथा कार्यक्रम के सभी संघटकों अर्थात् भोजन पकाने की लागत, अवसंरचना, रसोईघर उपकरणों का प्रापण आदि के प्रति निधियों के सामयिक प्रवाह हेतु प्रणालियाँ स्थापित करने हेतु उत्तरदायी थी। इसके अतिरिक्त, किसी भी राज्य में क्रेडिट आधार पर एम.डी.एम. योजना को चलाने की कोई शर्त नहीं थी।</p> <p>इस प्रकार, राज्य वित्त विभाग, पंजाब एम.डी.एम. सैल पंजाब को समय पर निधियां जारी नहीं कर सका था तथा विद्यालय प्रशासन को क्रेडिट आधार पर योजना को जारी रखने को छोड़ा।</p>
5.	त्रिपुरा	निधियों की कमी/अनुपलब्धता के कारण एम.डी.एम. क्रेडिट आधार पर जारी थी या अस्थायी रूप से समाप्त थी।

4.2 निधियों का विपथन

लेखापरीक्षा ने आठ राज्यों में कुल ₹123.04 करोड़ की निधियों के विपथन के उदाहरण पाए थे जो कमजोर वित्तीय नियंत्रणों तथा जवाबदेही की कमी को दर्शाते हैं। राज्य वार निधियों के विपथन की सीमा नीचे तालिका 4.3 में दी गई है:

तालिका 4.3 निधियों के विपथन के मामले

क्र.सं.	राज्य	विपथन की सीमा
1.	छत्तीसगढ़	रसोइघर शैड हेतु प्राप्त ₹5.84 लाख का अन्य विविध उद्देश्यों हेतु विपथन किया गया था
2.	कर्नाटक	राज्य मोडल विभाग ने, विद्युत प्रभारों को पूरा करने, यात्रा व्यय, लेखन सामग्री की खरीद तथा होटल व्यय को पूरा करने के, प्रति ₹6.85 लाख का विपथन किया था।
3.	मध्य प्रदेश	छः ¹⁰ जिलों में ₹553.23 लाख को एम.डी.एम. से अलग उद्देश्य हेतु विपथन/उपयोग किया गया था जिसमें से ₹91.91 लाख की राशि की 31 मार्च 2014 तक प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी थी।
4.	महाराष्ट्र	2010-11 से 2013-14 के दौरान ₹91.78 करोड़ का भोजन पकाने की लागत हेतु राशि से विपथन किया गया था तथा ₹87.47 करोड़ का व्यय, बच्चों को सूडम-पुष्टिकर अनुपूरण प्रदान करने हेतु, किया गया था।
5.	ओडिशा	₹1.13 करोड़ ¹¹ का जून 2009 से जुलाई 2012 को बीच, वृद्ध आयु पेंशन के संवितरण, बाढ़ संचालन, सी.एम.आर.एफ. नरेगा हेतु विपथन किया गया था।
6.	पंजाब	₹41.00 लाख का 2012-13 के दौरान मुख्यालय कार्यालय के नवीकरण तथा किराए के प्रति विपथन किया गया था। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2014) कि भुगतान उच्च प्राधिकारियों के अदेशानुसार किया गया था। उत्तर वैद्य नहीं है क्योंकि यह एक अनियमित कार्य को वैध ठहराने का प्रयास करता है। अन्य मामले में, मंत्रालय ने एल.पी.जी. आर्थिक सहायता हेतु आवर्ती केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹21.81 करोड़ जारी किए (मार्च 2013)। राज्य सरकार ने 2012-13 के दौरान कार्यान्वयन अभिकरण को ₹21.81 करोड़ जारी किए, जिसमें से ₹1.52 करोड़ का व्यय एल.पी.जी. आर्थिक सहायता की प्रतिपूर्ति पर किया गया था तथा शेष ₹20.29 करोड़ का भोजन पकाने की लागत के प्रति विपथन किया गया था।
7.	उत्तराखण्ड	दो जिलों में ₹2.66 करोड़ का 2010-11 से 2013-14 के दौरान एक सघटक से अन्य को विपथन किया गया था।
8.	पुद्दुचेरी	₹5.42 करोड़ की केन्द्रीय सहायता का 2009-14 के दौरान राज्य कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय के सघटकों को पूरा करने हेतु विपथन किया गया था।

¹⁰ अनुपुर, भोपाल, धार, मंदसौर तथा सिद्धि

¹¹ ₹46.90 लाख बी.डी.ओ. अस्तरंगा द्वारा, ₹66.35 लाख बी.डी.ओ. सत्याबादी द्वारा

4.3 तिमाही प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाणपत्रों तथा अव्ययित शेषों को सूचित करना

राज्य नोडल विभाग को अनाज की कुल खरीद पर मासिक रिपोर्टें, परिवहन आर्थिक सहायता के प्रति तिमाही दावे तथा विस्तृत प्रगति रिपोर्टें, (बच्चों के आवृत्तन, अवसंरचना के प्रावधान की प्रगति तथा तिमाही के अंत में केन्द्रीय सहायता के अव्ययित शेष के संबंध में), को मंत्रालय को प्रस्तुत करना था। अव्ययित शेष के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने में विफलता केन्द्रीय सहायता के आगे के निर्गम को प्रभावित करेगी। रिटर्न, मंत्रालय द्वारा अनाज के अनुवर्ती आंबटन को सुविधा प्रदान करने तथा राज्यों में योजना के कार्यान्वयन को मानीटर करने हेतु भी आवश्यक थी।

उपयोग प्रमाणपत्रों को, आगामी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था।

4.3.1 तिमाही प्रगति रिपोर्ट/यू.सी.

गोवा में, 2009-10 से 2013-14 की अवधि हेतु मा.सं.वि.मं. को प्रेषित ति.प्र.रि. से यह देखा गया था कि भोजन पकाने की लागत, परिवहन, मानीटरिंग एवं मूल्यांकन तथा रसोइया-सह-सहायक के संबंध में पिछली तिमाही का अंत अनुवर्ती तिमाही के अथ शेष से मेल नहीं खाता था। विभिन्नताएं ति.प्र.रि. में आगे बढ़ाई गई शेष राशियों तथा उनमें जिसे लेखापरीक्षा द्वारा निकाला गया था के बीच पाई गई थी जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

(` लाख में)

वर्ष	ति.प्र.रि. के अनुसार अंत शेष	परिकल्पित वास्तविक अंत शेष	अंतर	अभ्युक्तियां
2009-10	215.36	422.08	206.72	केन्द्रीय सहायता तथा राज्य का अंश
2010-11	51.26	234.74	183.48	(उपर्युक्त अनुसार)
2011-12	50.83	338.34	287.51	केवल केन्द्रीय सहायता
2012-13	62.86	273.22	210.36	(उपर्युक्त अनुसार)
2013-14	117.08	614.54	497.46	(उपर्युक्त अनुसार)

इस प्रकार, मंत्रालय को प्रस्तुत किये गये आंकड़े गलत थे।

नागालैण्ड- मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2013 को वर्ष 2013-14 हेतु ₹7.34.16 लाख की तदर्थ अनुदान राशि जारी की थी। तदर्थ अनुदान को राज्य सरकार द्वारा जिलों को 28 अगस्त 2013 को जारी किया गया था। जिलों ने 8 सितंबर 2013 को ब्लॉकों/विद्यालयों को निधियां जारी की। इस प्रकार, केन्द्र से ब्लॉक स्तर/विद्यालय तक निधियाँ पहुंचने में करीबन 4.5 महीनों का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने मंत्रालय को 31 से 144 दिनों के बीच के विलम्ब के साथ वर्ष 2013-14 हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत की थी। ति.प्र.रि./उपयोग प्रमाण पत्रों तथा अन्य अपेक्षित सूचना का समय पर गैर-प्रस्तुतीकरण का व्यापक प्रभाव था तथा मंत्रालय, नागालैण्ड सरकार को समय पर पहली तथा दूसरी किश्त जारी नहीं कर सका था।

आयुक्त तथा सचिव, नागालैण्ड सरकार, ने सूचित किया कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य ने राज्य ससांधन को सहायता से योजना को कार्यान्वित करने का प्रबंध किया था। तथापि, ति.प्र.रि. के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, राज्य पर मानीटरिंग प्रणाली की प्रभावकारिता की कमी को दर्शाता है।

ओडिशा- 2013-14 तक प्राप्त ₹756.49 करोड़ की अनुदान के प्रति उपयोग प्रमाणपत्र सितंबर 2014 तक मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। राज्य नोडल कार्यालय ने बताया कि यू.सी. जिला स्तरीय कार्यालयों से संबंधित यू.सी. की अप्राप्ति के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

पंजाब- 2009-10 तथा 2012-14 में प्राप्त क्रमशः ₹5.92 करोड़ तथा ₹372.39 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के उपयोग प्रमाणपत्र मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विभाग ने बताया कि यू.सी. को जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा (अक्टूबर 2014)

4.3.2 उपयोग प्रमाणपत्रों में अव्ययित शेषों का गलत सूचित किया जाना

पांच राज्यों ने नीचे तालिका 4.4 में दिए गए विवरणों के अनुसार निधियों के उपयोग की वास्तविक स्थिति का निर्धारण किए बिना, गलत उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए:

तालिका 4.4 गलत उपयोग प्रमाणपत्रों के मामले

क्र.सं.	राज्य	उपयोग प्रमाणपत्रों के मामले
1.	बिहार	राज्य सरकार ने गैर-आवर्ती शीर्ष के अंतर्गत मार्च 2014 को शून्य अव्ययित शेष सूचित किया था जबकि ₹88.49 करोड़ का अव्ययित शेष रोकड़ वही में दर्शाया गया था।
2.	गुजरात	मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्माण कार्यों, रसोईघर उपकरणों की खरीद, गैस कनेक्शन तथा एम.एम.ई. हेतु 2006-07 तथा 2012-13 के बीच ₹166.27 करोड़ जारी किए थे। तथापि, राज्य सरकार ने इस तथ्य, कि निर्माण कार्य मार्च 2014 तक अपूर्ण थे तथा निधियां अभी भी बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी थीं, के बावजूद पूर्ण राशि हेतु मंत्रालय को उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।
3.	हरियाणा	राज्य ने मार्च 2012 को उपयोग प्रमाणपत्र में भोजन पकाने की लागत के अंतर्गत ₹18.20 करोड़ का अव्ययित शेष सूचित किया था जबकि वह वास्तव में ₹18.37 करोड़ थे।
4.	नागालैण्ड	राज्य ने मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र में ₹0.59 करोड़ की कीमत के चावल की राशि को नहीं दर्शाया था। अन्य मामले में, नोडल विभाग ने ₹8.30 करोड़ (केन्द्रीय सहायता) की राशि को नहीं दर्शाया था। अन्य मामले में नोडल विभाग ने ₹8.30 करोड़ (केन्द्रीय सहायता) को 25.3.2013 को सिविल जमा में रखा तथा राशि को 30.3.2013 (₹3.45 करोड़) तथा 30.10.2013 (₹4.85 करोड़) को दो किशतों में आहरण किया गया था। तथापि, ₹4.85 करोड़ की राशि, जिसका वर्ष 2013-14 में आहरित किया गया था, को मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्र में वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु व्यय के रूप में सूचित किया गया था। व्यय आकड़ों की गलत सूचना का परिणाम वर्ष 2012-13 हेतु बढ़ाए हुए व्यय आकड़े में भी हुआ।
5.	उत्तर प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> हरदोई जिले ने 2009-10 हेतु यू.सी. में भोजन पकाने की लागत के प्रति ₹15.20 करोड़ के अंत शेष के प्रति केवल ₹2.48 करोड़ को दर्शाया था। अन्य मामले में मंत्रालय को प्रस्तुत यू.सी. ने ₹72.90 करोड़ के व्यय को दर्शाया जबकि लेखापरीक्षित तुलन पत्र ने 2009-13 के दौरान एम.एम.ई. पर कुल व्यय को ₹57.88 करोड़ के रूप में दर्शाया था। इस प्रकार, मंत्रालय को ₹15.02 करोड़ का अधिक व्यय सूचित किया गया था।

4.3.3 अव्ययित शेषों का सूचित न किया जाना

एम.डी.एम. दिशानिर्देशों का पैरा 5.1.9 अभिकल्पना करता है कि मंत्रालय को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते समय अव्ययित शेष को सभी स्तरों अर्थात् राज्य, जिला, ब्लाक तथा विद्यालय, पर नगद शेष पर विचार करने के पश्चात ही निकाला जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 9 राज्यों¹² में ₹89.84 करोड़ के अव्ययित शेष को ब्लाक/जिला स्तर पर कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा राज्य नोडल विभाग को सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, अव्ययित शेष को सूचित न किए जाने के कारण इसकी राज्य नोडल विभाग द्वारा प्रस्तुत उपयोग प्रमाणपत्र में गणना नहीं की जा सकी थी तथा ₹89.84 करोड़ की पूर्ण राशि, उन राज्यों के प्रमाणित लेखाओं के, क्षेत्र से बाहर रही।

4.3.4 कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया

केन्द्रीय सहायता के प्रति अव्ययित शेष को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् मंत्रालय को वापस किया जाना था अथवा मंत्रालय द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में प्रदान किए जाने वाली केन्द्रीय सहायता के प्रति इसका समायोजन किया जाना था। तथापि लक्षद्वीप में 2009-10 तथा 2013-14 के बीच योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों के कुल ₹130.24 लाख के अव्ययित शेषों को न तो मंत्रालय को वापस किया गया था और न ही मंत्रालय द्वारा अगले वित्तीय वर्ष हेतु केन्द्रीय सहायता जारी करते समय इसका समायोजन किया गया था। इसके स्थान पर निधियां, सं.शा.क्षे. सरकार के बचत बैंक खाते में पड़ी थीं।

सं.शा.क्षे. सरकार द्वारा बैंक में बड़े शेषों का रखना, मंत्रालय में कमजोर आंतरिक प्रक्रिया को दर्शाता है। विभाग ने उत्तर दिया कि ₹130.24 लाख के अव्ययित शेष को मंत्रालय की सलाह से वापस किया जाएगा।

4.3.5 अप्रयुक्त परिवहन सहायता

उत्तराखण्ड में, संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹127.01¹³ लाख की परिवहन सहायता मार्च 2012 की समाप्ति पर तीन जिलों अर्थात् पौड़ी, पिथौरागढ़ तथा उधम सिंह

¹² छत्तीसगढ़-₹56.54 लाख, हरियाणा-₹38.90 करोड़, कर्नाटक-₹2.54 करोड़, मध्य प्रदेश-₹3.82 करोड़, मणिपुर-₹1.85 करोड़, लक्षद्वीप-₹1.19 करोड़, ओडिशा-₹32.73 करोड़, त्रिपुरा-₹3.47 करोड़ तथा उत्तराखण्ड-₹4.77 करोड़

¹³ पौड़ी-₹69.08 लाख, पिथौरागढ़-₹32.09 लाख तथा उधम सिंह नगर-₹25.84 लाख

नगर में अव्ययित पड़ी थी तथा इन जिलों द्वारा अनुवर्ती वर्षों में परिवहन आर्थिक सहायता की अनावश्यकता के संबंध में स्पष्ट संकेत के बावजूद 2012-14 के दौरान इन जिलों को ₹121.55¹⁴ लाख की राशि जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, 2009-14 के दौरान परिवहन सहायता का अव्ययित शेष अलमोड़ा में ₹21.86 लाख से ₹72.07 लाख के बीच था, जबकि टिहरी में इसे ₹36.61 लाख तथा ₹49.34 लाख के बीच भी, पाया गया था। इसलिए, निधियां वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना जारी की गई थीं। तथा परिणामस्वरूप अप्रयुक्त रही थीं।

4.4 अनुदान पर अर्जित ब्याज का हिसाब न रखना

दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 5.1(9) प्रावधान करता है कि प्रथम शेष (दूसरी किश्त) का निर्गम राज्य सरकार के पास उपलब्ध पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के तहत होगा तथा अव्ययित शेष को सभी स्तरों पर स्टॉक तथा नगद के शेषों पर विचार करने के पश्चात् प्राप्त किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम से कम दस राज्यों में विद्यालय/ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर पर अनुदान पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹103.95 करोड़ की राशि को अनुवर्ती निर्गमों में इसके आगे के समायोजन हेतु उपयोग प्रमाणपत्र में मंत्रालय को सूचित नहीं किया था। अर्जित ब्याज का राज्य-वार विवरण नीचे तालिका 4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5 अर्जित ब्याज के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बिहार	54.46
2.	हरियाणा	5.80
3.	हिमाचल प्रदेश	0.21
4.	झारखंड	1.60
5.	मध्य प्रदेश	26.55
6.	मेघालय	2.72
7.	ओडिशा	5.35
8.	उत्तराखंड	2.98
9.	उत्तर प्रदेश	4.11
10.	चण्डीगढ़	0.17
	कुल	103.95

¹⁴ पौड़ी-₹50.53 लाख, पिथौरागढ़-₹45.63 लाख तथा उधम सिंह नगर-₹25.39 लाख

4.5 दोपहर के भोजन के काम में लगीं एन.जी.ओ. द्वारा दान का संग्रहण

- महाराष्ट्र में, इस्कान (अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा चैतन्य समाज) खाद्य राहत संस्थान¹⁵, मुंबई को वृहत मुंबई नगर निगम (एम.सी.जी.एम.) द्वारा 2008-09 से 269 प्राथमिक विद्यालयों तथा 182 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान करने के काम में लगाया गया था। वर्ष 2009-14 हेतु इस्कान के वार्षिक लेखाओं से यह पाया गया था कि 'इस्कान ने एम.डी.एम. योजना' हेतु विभिन्न विदेशी तथा भारतीय संगठनों से कुल ₹36.08 करोड़ के दान का संग्रहण किया था।
- आन्ध्र प्रदेश में, लेखापरीक्षा ने पाया कि आई.एफ.आर.एफ. ने वर्ष 2009-14 के दौरान ₹30.95 लाख के दान का संग्रहण किया था।
- एम.डी.एम. योजना के नाम पर दान का संग्रहण करने की इस्कान/एन.जी.ओ. का कार्य अनुपयुक्त था क्योंकि योजना केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित है तथा बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करने हेतु निधियां निर्धारित मापदण्डों के अनुसार जारी की जा रही थीं।

4.6 अवसंरचना के विकास हेतु निधियां

4.6.1 के.सी.एस. की अवसंरचना हेतु निधियों का अनुपयोग

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय द्वारा आठ राज्यों में रसोईघर-सह-भण्डार (के.सी.एस.) के निर्माण तथा रसोईघर उपकरणों की खरीद/बदलाव हेतु 2006-07 तथा 2010-11 के बीच जारी ₹283.75 करोड़ की निधियां मार्च 2014 तक अप्रयुक्त पड़ी थीं। जिसने हाईजिनिक परिस्थिति में भोजन प्रदान करने के उद्देश्य को विफल किया। यह मंत्रालय द्वारा जारी निधियों के उपयोग की अनुपयुक्त मानीटरिंग को दर्शाता है। राज्य वार विशिष्ट निष्कर्षों का ब्यौरा नीचे तालिका 4.6 में दिया गया है:

¹⁵ इस्कान खाद्य राहत प्रतिष्ठान जुलाई 2004 में स्थापित तथा बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक धर्मार्थन्यास ब्रांड नाम 'अनामृत' के अंतर्गत आठ राज्यों में एन.डी.एम प्रदान करता है।

तालिका 4.6 निधियों के अनुपयोग के मामले

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	मंत्रालय ने 200-07 से 2008-09 के दौरान 50529 रसोईघर-सह-भण्डारों का निर्माण करने हेतु `303.18 करोड़ जारी किए थे। इसमें से `198.33 करोड़ का शेष छोड़ते हुए केवल `104.85 करोड़ का उपयोग किया गया था। इसी प्रकार, मंत्रालय द्वारा 2006-08 के दौरान रसोईघर उपकरणों हेतु जारी `39.23 करोड़ की निधियों में से `14.14 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही।
2.	छत्तीसगढ़	जिला पंचायत महासमूह ने जिले में स्थित 71 शहरी विद्यालयों में 71 रसोईघर सह-भण्डारों का निर्माण करने हेतु पांच शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को `27.72 लाख जारी (फरवरी 2009) किए थे परंतु पांच वर्षों के बीत जाने के पश्चात् भी निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया था जबकि राशि कार्यकारी अभिकरणों के पास व्यर्थ थी।
3.	हरियाणा	राज्य सरकार द्वारा 1336 के.सी.एस के निर्माण हेतु मार्च 2007 में कार्यान्वयन अभिकरण (हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद) को जारी `8.02 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही।
4.	कर्नाटक	2008-09 के दौरान मंत्रालय ने `60,000 की एकाई दर पर 1,293 रसोईघर सह-भण्डार के निर्माण को संस्वीकृत किया था। राज्य सरकार ने कालाबुर्गई जिला को `7.76 करोड़ जारी (फरवरी 2009) किए थे परंतु इसे आगे विद्यालयों को जारी नहीं किया गया था तथा पूर्ण राशि सरकारी खातों में रहीं। (जनवरी 2015)
5.	केरल	1285 रसोईघर सह-भण्डारों (के.सी.एस.) के निर्माण हेतु 2006-07 के दौरान जारी `7.71 करोड़ की केन्द्रीय सहायता में से `2.90 करोड़ की अनुमानित लागत के 483 के.सी.एस. का कार्य अभी भी प्रारम्भ किया जाना था। इसके अतिरिक्त, 2009-10 के दौरान 1165 के.सी.एस हेतु बाद में जारी `17.73 करोड़ की पूर्ण निधियां भी अप्रयुक्त रही।
6.	मणिपुर	मंत्रालय ने 1650 रसोई घर उपकरणों के प्रापण हेतु `82.50 लाख की राशि जारी (सितंबर 2009) की थी जिसका राज्य सरकार द्वारा, राज्य वित्त विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण उपयोग नहीं किया जा सका था। मंत्रालय द्वारा के.सी.एस. के निर्माण हेतु मार्च 2011 में जारी `29.72 करोड़ की केन्द्रीय सहायता को राज्य सरकार को संस्वीकृत तथा जारी नहीं किया गया था।
7.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद तथा बीरभय जिले में रसोई घर शैडों के निर्माण हेतु 2007-11 के दौरान जारी `3.55 करोड़ की राशि का मार्च 2014 तक उपयोग नहीं किया जा सका था।
8.	दादरा एवं नगर हवेली	मंत्रालय ने 50 रसोई घर-सह-भण्डारों के निर्माण हेतु अक्टूबर 2011 में `49.28 लाख की गैर-आवर्ती केन्द्रीय सहायता जारी की थी। राशि का मार्च 2014 तक अभी भी उपयोग किया जाना था।

4.6.2 रसोई घर-सह-भण्डार पर निधियों की निष्फल संस्वीकृति तथा निर्गम

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार राज्यों में ₹19.82 करोड़ को निधियों को या तो उन विद्यालयों जहां रसोई घर-सह-भण्डार (के.सी.एस.) पहले ही स्थापित थे को जारी किया गया था या फिर विद्यालयों की मौजूदा संख्या हेतु आवश्यकता से अधिक में जारी किया गया था। विशेष मामलों को नीचे स्पष्ट किया गया है:

मेघालय- दो उप-मण्डलीय विद्यालय शिक्षा अधिकारियों (एस.डी.एस.ई.ओ.) सोहरा तथा अमलारेम को उन विद्यालयों, जिनमें पहले से ही के.सी.एस. हैं, हेतु ₹1.07 करोड़ जारी किए गए थे। निर्गम सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के साथ अभिसरण में किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2012-13 के दौरान, ₹1.08 करोड़ की राशि एस.डी.एस.ई.ओ., जोवाई तथा खलीहरीयत को संशोधित दर के अनुसार 40 विद्यालयों में के.सी.एस. के निर्माण हेतु जारी की गई थी। तथापि, इन विद्यालयों को 2008-09 में ₹60,000 प्रति इकाई की पुरानी दर पर पहले ही के.सी.एस. की संस्वीकृति प्रदान की गई थी। इस प्रकार, संशोधित संस्वीकृति जारी करने का कार्य अनियमित था।

ओडिशा में, एम.डी.एम.के अंतर्गत शामिल 66388 विद्यालयों के प्रति रसोईघर शैडो को निर्माण हेतु निधियों की मांग करते समय मंत्रालय को 69152 विद्यालय बताए गए थे। इस बढ़ाए गए आकड़े के आधार पर मंत्रालय ने ₹60000 प्रति विद्यालय पर राज्य के 69152 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रसोईघर शैडो के निर्माण हेतु ₹405.80 करोड़ जारी (2006-07 से 2009-10) किए तथा राज्य सरकार ने मंत्रालय से आधिक्य में ₹16.58 करोड़ प्राप्त किए क्योंकि 2009-10 के दौरान 66388 विद्यालय उपलब्ध थे। यह विद्यालयों की संख्या के गलत डाटा के आधार पर अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने का संकेतक है।

इसी प्रकार, **हरियाणा** में, मार्च 2012 में जारी ₹1.09 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट को विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा इस आधार पर वापस कर दिया गया था कि विद्यालय जिनके लिए राशि प्रत्याशित थी उनमें पहले ही रसोईघर सह भण्डार थे। यह खराब योजना तथा समन्वय को दर्शाता है।

4.6.3 रसोईघर सह भण्डार के निर्माण के प्रति जारी ₹55.20 लाख की निधियों का पांच वर्षों से अधिक के लिए अवरोधन

₹55.20 लाख की केन्द्रीय सहायता 92 रसोईघर सह भण्डारों के निर्माण हेतु 2008-09 के दौरान पुद्दुचेरी को जारी की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियां दिसंबर 2014 तक अप्रयुक्त पड़ी थीं। यह इसलिए हुआ क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी विद्यालय में एम.डी.एम. की आपूर्ति प्रदान करने हेतु 12 केन्द्रीय रसोईघर तथा 52 विद्यालय केन्द्रीय केन्द्र (एस.सी.सी.) पहले ही अस्तित्व में थे। इस प्रकार, ₹55.20 लाख पांच वर्षों से अधिक के लिए अप्रयुक्त तथा अवरुद्ध रहे।

इसके अतिरिक्त, सचिव (एस.ई.एण्ड एल), एम.एच.आर.डी. ने समीक्षा बैठक (फरवरी 2012) में सलाह दी कि यू.टी.सरकारों को जहां कहीं संभव हो विद्यालय आधारित रसोई घरों को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए तथा केवल विशेष परिस्थितियों में केन्द्रीकृत/क्लस्टर रसोई घरों को बढ़ावा देना चाहिए। तथापि नोडल विभाग उनके निर्देशों पर कार्य करने में विफल रहा।

4.6.4 राज्य सरकार द्वारा डाटा को सूचित न किया जाना

आन्ध्र प्रदेश- राज्य सरकार ने, मंत्रालय से के.सी.एस. हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग करते समय, डाटा को गलत प्रस्तुत किया था जैसा नीचे ब्योरा दिया गया है:

विद्यालयों की संख्या जिनके लिए 2006-07 से 2011-12 तक केन्द्रीय सहायता प्राप्त की गई	75,283
2011-12 में राज्य में कुल विद्यालयों की संख्या (ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2012-13 के अनुसार)	74,263
विद्यालयों की संख्या जिनमें 2006-07 को पहले ही रसोई घर शैड मौजूद थे	25,203
2011-12 के दौरान केन्द्रीकृत रसोईघर के माध्यम से एन.पी.ओ. द्वारा एम.डी.एम. प्रदान किए विद्यालयों की संख्या	2,420
विद्यालयों की संख्या जिनमें रसोई घर शैड की आवश्यकता है (74263-25203-2400)	46,640
विद्यालयों की संख्या जिनके लिए जी.ओ.आई. से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त की गई थी (75283-46640)	28,643

इस प्रकार राज्य सरकार ने उन विद्यालयों जिनमें के.सी.एस. की आवश्यकता थी, के डाटा को बढ़ा कर अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त की।

मंत्रालय ने, दिसंबर 2009 में के.सी.एस. के निर्माण की लागत का संशोधन किया जो राज्य दर सारणी (एस.ओ.आर.) तथा विद्यालय में बच्चों की संख्या पर निर्भर प्लिनथ क्षेत्र मापदण्ड पर आधारित था। के.सी.एस के निर्माण की लागत को केन्द्र तथा एन.ई.आर राज्यों के बीच 90:10 पर तथा अन्य राज्यों/यू.टी. के साथ 75:25 आधार पर बांटा जाना था।

मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में प्लिनथ क्षेत्र की तीन श्रेणियां थीं:

श्रेणी	विद्यालय में बच्चों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख में)	मौजूद विद्यालयों की संख्या	जी.ओ.आई. को प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या
प्लिनथ-I	100 से नीचे	0.80	7070	शून्य
प्लिनथ-II	100 से अधिक तथा 250 से नीचे	1.00	12745	शून्य
प्लिनथ-III	250 से अधिक	1.50	4939	24754
	कुल	3.30	24754	24754

लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार को प्लिनथ-III श्रेणी (250 से अधिक छात्र संख्या वाले 4939 विद्यालयों के प्रति) के अंतर्गत 24754 रसोईघर सह भण्डारों के निर्माण हेतु निधियों की मांग करते पाया, जिसे मंत्रालय द्वारा फरवरी 2012 में संस्वीकृत किया गया था। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत डाटा गलत था तथा ₹84.91 करोड़ की अधिक केन्द्रीय सहायता का कारण बना।

4.7 इस्कान, मुंबई को अधिक भुगतान

योजना मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को सबसे पास के एफ.सी.आई. गोदाम से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक के बच्चों को क्रमशः 100 ग्राम तथा 150 ग्राम प्रति बच्चा प्रति विद्यालय दिवस की दरपर मुफ्त अनाज (चावल/गेहूं) की आपूर्ति का प्रावधान करती हैं। पके हुए भोजन में अपेक्षित कैलोरी तथा प्रोटीन प्रदान करने हेतु उपयोग किए जाने वाले अन्य सामग्रियों (दाल, सब्जियां, मसाला,

तेल, नमक, आदि) की प्रमात्रा को भी योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010-11 से 2013-14 की अवधि के दौरान प्रदान भोजन हेतु इस्कान ने 68561.81 क्विंटल चावल की निर्धारित आवश्यकता के प्रति केवल 21511.60 क्विंटल चावल उठाया था। इस प्रकार, इस्कान द्वारा चावल की औसतन खपत केवल 40 ग्राम थी। इस मापदण्ड के आधार पर अन्य सामग्रियों का अनुपात भी सीमा से कम होगा।
- तथापि, यह देखा गया था कि भोजन पकाने की लागत¹⁶ का भुगतान इस्कान को 2010-14 के दौरान पूर्ण दर पर किया गया था जिसका परिणाम इस्कान को ₹11.67 करोड़ के अधिक भुगतान में हुआ। इसके अतिरिक्त 2010-14 के दौरान इस्कान द्वारा तैयार 187 भोजन नमूनों के जाँच परिणामों ने प्रकट किया कि भोजन निर्धारित मानकों को पूरा करने में विफल थे। इस्कान को किया गया वास्तविक भुगतान तथा 40 ग्राम की दर पर उपयोग किए गए चावलके आधार पर भोजन पकाने की लागत हेतु वास्तव में स्वीकार्य भुगतान को नीचे तालिका 4.7 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.7 चावल की खपत के आधार पर इस्कान को स्वीकार्य भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर			किया गया कुल भुगतान (प्राथमिक+उच्च प्राथमिक)	कालय 8 का 1/3 स्वीकार्य भुगतान
	प्रदान किए गए भोजन	प्रति भोजन की दर पर किए गए अन्य सामग्री हेतु भुगतान	किया गया भुगतान	प्रदान किए गए भोजन	प्रति भोजन की दर पर किए गए अन्य सामग्री हेतु भुगतान	किया गया भुगतान		
2010-11	7973668	2.09	1.66	6348672	2.60	1.65	3.32	1.11
2011-12	8597121	2.60	2.23	6976135	3.85	2.69	4.92	1.64
2012-13	7248008	2.80	2.02	5915936	4.15	2.45	4.48	1.49
2013-14	7070332	3.02	2.13	5915936	4.47	2.64	4.78	1.59
				कुल		9.43	17.50	5.83

स्त्रोत: वृहत मुंबई नगर निगम (एम.सी.जी.एम.) द्वारा प्रस्तुत सूचना

¹⁶ भोजन पकाने की लागत का तात्पर्य अन्य सामग्रियों, सब्जियों तथा ईंधन की लागत है।

उत्तर में, वृहत मुंबई नगर निगम (एम.सी.जी.एम) ने बताया (दिसंबर 2014) कि इस्कान को भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया गया था। तथ्य है कि इस्कान औसतन केवल 40 ग्राम चावल प्रति भोजन का उपयोग कर रहा था जैसा ऊपर निकाला गया है तथा राज्य सरकार को पूर्ण भुगतान जारी करने से पूर्व “अन्य सामाग्रियों सहित भोजन पकाने की लागत” हेतु आनुपातिक भुगतान के निर्गम पर विचार करना चाहिए।

4.8 `64.41 लाख का गबन

छत्तीसगढ़ में, ब्लाक शिक्षा कार्यालयों (बी.ई.ओ.) में सरकारी धन के गबन के संदिग्ध मामले पाए गए थे जैसा नीचे तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8 संदिग्ध गबन के मामले

क्र.सं.	बी.ई.ओ. का नाम	राशि	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	राजनन्दगांव	`29.03 लाख	2005-06 से 2010-11 के दौरान `81.81 लाख की राशि क्लस्टर अकादमिक कॉरीडोर (सी.ए.सी.) को विद्यालयों के एस.एच.जी. तथा सी.सी.एच. को भोजन पकाने की लागत तथा मानदेय के संवितरण हेतु प्रदान किए गए थे परंतु केवल `52.78 लाख का नगद संवितरण किया गया था तथा शेष `29.03 लाख की राशि का गबन किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर बी.ई.ओ. ने बताया कि सी.ए.सी. के विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज (फरवरी 2012) कर दी गई थी।
2.	चौकी	`35.38 लाख	`35.38 लाख की राशि का बी.ई.ओ. द्वारा अप्रैल 2011 तथा जून 2013 के बीच 36 सैल्फ चैको के माध्यम से आहरण किया गया था परंतु इसका एम.डी.एम. उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया था। इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि बी.ई.ओ. के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है तथा मामला न्यायालय में अनिर्णित है।

4.9 राज्य अंश का कम निर्गम

अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि तीन राज्यों में राज्य सरकार द्वारा 2009-14 के दौरान कुल `114.78 करोड़ के अपने संबंधित अंश की निधियों का कम निर्गम किया गया था जैसा नीचे तालिका 4.9 में दिया गया है:

तालिका 4.9 राज्य अंश के कम निर्गम के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	जारी की जाने वाली राशि	वास्तविक निर्गम	कमी
1.	आन्ध्र प्रदेश	92.83	शून्य	92.83
2.	झारखंड	97.87	76.12	21.75
3.	नागालैंड	1.61	1.41	0.20
कुल				114.78

राज्य अंश की कमी ने प्रतिकूल रूप से योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों की उपलब्धता को प्रभावित किया है।

4.10 अन्य वित्तीय अनियमितताएं

(i) निधियों का अवरोधन

दो नमूना जांच किए गए राज्यों में अभिलेखों की जांच ने ₹ 2.50 करोड़ की निधियों के अवरोधन के उदाहरणों को प्रकट किया जैसा नीचे तालिका 4.10 में दिया गया है:

तालिका 4.10 निधियों के अवरोधन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्गम की अवधि	राशि
1.	मध्य प्रदेश	2006-07 से 2011-12	1.75
2.	ओडिशा	अप्रैल 2012 से अगस्त 2012	0.75
कुल			2.50

(ii) मेघालय में 2009-14 के दौरान सी.सी.एच को मानदेय के भुगतान के प्रति व्यय की गई कुल राशि ₹ 62.76 करोड़ थी, जबकि मापदण्डों के अनुसार मानदेय हेतु कुल स्वीकार्य व्यय ₹ 61.96 करोड़ (एक वर्ष में 10 महीनों हेतु ₹ 1000 प्रति माह प्रति सी.सी.एच. पर परिकल्पित) होना चाहिए। इसका परिणाम 2009-14 के दौरान ₹ 80 लाख के अधिक व्यय में हुआ।

iii) वैट का अधिक भुगतान-उत्तराखण्ड मूल्य संबंधित कर 2005, के अनुसार, पी.डी.एस. के माध्यम से अनाज की बिक्री वैट के उदग्रहण से घूट प्राप्त हैं परंतु लेखापरीक्षा ने पाया कि एफ.सी.आई. ने 2010-14 के दौरान एम.डी.एम. हेतु अनाज पर वैट लगाया था तथा ₹ 2.16 करोड़ की राशि राज्य के जिला नोडल

कार्यालयों द्वारा वैट के रूप अदा की गई थी, जिसका परिणाम ₹2.16 करोड़ के अधिक व्यय में हुआ।

iv) नमूना जांच किए गए उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹20.45 लाख का अधिक व्यय 2011-14 के दौरान, मापदण्डों के विरुद्ध भोजन पकाने की लागत पर किया गया था।

v) क्लस्टर रसोई घरों को चालू करने में विलम्ब तथा गैर-इस्ततम उपयोग के कारण, भोजन पकाने की लागत पर ₹5.61 करोड़ का परिहार्य व्यय

चण्डीगढ़ में, 10,000 से 15,000 भोजन प्रति दिन प्रति रसोईघर की भोजन पकाने की क्षमता वाले सात क्लस्टर रसोईघर-सह-भण्डरों का, चण्डीगढ़ के सभी 116 विद्यालयों को पके हुए भोजन की आपूर्ति हेतु, वर्ष 2009-10 के दौरान ₹1.51 करोड़ की कुल लागत पर, निर्माण किया गया था।

जबकि एक क्लस्टर रसोईघर को अप्रैल 2012 में चालू किया गया था तथा शेष छः जूलाई 2013 में चालू किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि क्लस्टर रसोईघरों का उनकी इस्ततम क्षमता तक उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि इन रसोईघरों में भोजन केवल उन्हीं सात विद्यालयों हेतु बनाया गया था जिनमें वह स्थित थे। शेष 109 विद्यालयों हेतु भोजन की आपूर्ति, भोजन पकाने वाले तीन संस्थानों (सी.आई.एच.एम., ए.आई.एच.एम., सी.आई.टी.सी.ओ.) द्वारा की गई थी। क्लस्टर रसोईघर में ₹5.71 प्रति भोजन की औसत भोजन पकाने की लागत, भोजन पकाने वाले संस्थानों को अदा की गई ₹7.25 प्रति भोजन की औसत भोजन पकाने की लागत से कम थी। इस प्रकार, विभाग क्लस्टर रसोई घरों के प्रत्याशित लाभ प्राप्त करने में विफल रहा तथा परिणामस्वरूप उनके निर्माण पर उपयोग की गई ₹1.51 करोड़ की राशि बड़े पैमाने पर निष्फल प्रस्तुत हुई थी। प्रक्रिया में, इसने 2011-12 से 2013-14 के दौरान 3,64,28,646 भोजन की आपूर्ति करने हेतु, भोजन पकाने वाले संस्थानों को अदा की गई उच्च लागत के प्रति ₹5.61 करोड़ का अधिक व्यय भी किया।

विभाग ने अपने उत्तर (दिसंबर 2014) में बताया कि कोई अधिक व्यय नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने श्रम तथा अन्य उपरि प्रभारों की गणना नहीं की थी। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा ने विद्यालय आधारित क्लस्टर रसोईघरों द्वारा पकाए गए भोजन की औसत लागत को परिकलित

करते समय, सभी अनिवार्य संघटको अर्थात् खाद्य पदार्थों की लागत, श्रम लागत, एल.पी.जी. की लागत तथा अन्य प्रासंगिक प्रभारों पर ध्यान दिया था।

vi) गनी बोरो का निपटान


एफ.सी.आई. बच्चों को भोजन प्रदान करने हेतु अनाज प्रदान करता है। अनाज को विभिन्न अभिकरणों द्वारा बोरो में एफ.सी.आई. से विद्यालयों तक ले जाया जा रहा था। मंत्रालय द्वारा जारी योजना दिशानिर्देशों (दिसंबर 2004) ने विचार किया था कि अनाज के खाली थैली का ग्राम शिक्षा समिति/अभिभावक शिक्षक संघ/विद्यालय प्रबंधन सह विकास समिति/विद्यालय प्रबंधन द्वारा एक पारदर्शी ढंग से निपटान किया जाना चाहिए जिससे उत्तम संभावित मूल्य उत्पन्न किया जा सके तथा इसकी बिक्री प्राप्तियों का एम.डी.एम. योजना के आगे के संवर्धन हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। तथापि, एम.डी.एम. दिशानिर्देश 2006 खाली बोरो के निपटान के संबंध में अनभिव्यक्त थे। किसी भी दिशानिर्देश के अभाव में विद्यालयों ने बोरो के निपटान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। परिणामस्वरूप बोरो की बिक्री प्राप्तियों के कारण राजस्व प्राप्त करने का अवसर खो दिया गया था। केवल छः राज्यों में ₹87.85 करोड़ के मूल्य के खाली बोरो बिना हिसाब के रहे। ब्यौरे अनुबंध-XVI में दिए गए हैं।

अध्याय-V

प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन

5.1 प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन (एम.एम.ई.)

एम.डी.एम. योजना को राष्ट्रीय स्तर पर (एच.आर.डी. मंत्रालय द्वारा) तथा राज्य स्तर (संबंधित राज्य सरकार द्वारा) मॉनीटर किया जा रहा है। एम.एम.ई. की संरचना नीचे दी गई-



5.2 राष्ट्रीय स्तरीय परिचालन सह मॉनीटरिंग समिति

मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक राष्ट्रीय स्तरीय निगरानी सह मॉनीटरिंग समिति (एन.एस.एम.सी.) की स्थापना की। एन.एस.एम.सी. के मुख्य कार्य कार्यक्रम कार्यान्वयन को मॉनीटर करना, शोधक कार्रवाई करना, संबंधित विभागों, अभिकरणों (अर्थात् एफ.सी.आई.), में समन्वय तथा अभिसरण करना, केन्द्र तथा राज्य सरकार को नीति सलाह प्रदान करना आदि हैं।

एन.एस.एम.सी. को प्रत्येक छः महीनों में कम से कम एक बार बैठक करनी थी। संवीक्षा ने प्रकट किया की एन.एस.एम.सी. ने निर्धारित सारणी के अनुसार बैठक नहीं की थी। बैठकों में कमी के ब्यौरे नीचे तालिका 5.1 में दिए गये हैं

तालिका 5.1: एन.एस.एम. सी0 बैठको के ब्यौरे

वर्ष	की जाने वाली बैठकों की संख्या	वास्तव में की गई बैठकों की संख्या
2009	2	1
2010	2	1
2011	2	1
2012	2	1
2013	2	2

2009 से 2013 के दौरान, निर्धारित 10 बैठकों के प्रति केवल 6 बैठकें की थी जिसका परिणाम 40 प्रतिशत की कमी में हुआ

5.2.1 एन.एस.एम.सी. द्वारा लिए गए निर्णयों का गैर-कार्यान्वयन

2009-10 से 2013-14 के दौरान हुई एन.एस.एम.सी. की बैठकों के कार्यवृत्त की जांच ने प्रकट किया कि एन.एस.एम.सी. द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को मंत्रालय द्वारा मार्च 2014 तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका था। विवरण नीचे तालिका 5.2 में दिए गए हैं:

तालिका 5.2: एन.एस.एम.सी. के निर्णयों के ब्यौरे

बैठक की तिथि	निर्णय	मंत्रालय का उत्तर
01.08.2011	4.2 भोजन पकाने की लागत का एम.डी.एम. मूल्य सूची से संयोजन	आर्थिक मामलों पर मंत्रीमण्डल समिति (सी.सी.ई.ए.) ने प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया था।
01.08.2011	6.2 जनजातीय क्षेत्रों के गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को एम.डी.एम. के अंतर्गत शामिल करना	प्रस्ताव पर 30 जनवरी 2014 को हुई बैठक में ई.एफ.सी. द्वारा विचार किया गया था तथा यह निर्णय लिया गया था कि इन क्षेत्रों में निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को शामिल करने हेतु योजना के विस्तार के प्रस्ताव पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पूर्ण समीक्षा के माध्यम से विचार किया जाना चाहिए।
24.08.2012	4.2 एम.डी.एम. के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक के बच्चों का आवृत्तन	एम.डी.एम. के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक के बच्चों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव संबंधित विभाग द्वारा समर्थित नहीं था
24.08.2012	4.4 साझेदारी के आधार पर रसाईघर उपकरण अनुदान की वृद्धि	मंत्रालय ने रसोई घर उपकरणों के प्रापण हेतु केन्द्रीय सहायता के मापदण्डों के 5000 प्रति विद्यालय से विद्यालय में नामांकन से संयोजित 10000-25000 की सीमा तक संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, परंतु सी.सी.ई.ए. ने प्रस्ताव को स्थगित कर दिया था।
24.08.2012	4.6 मॉडल रसोईघर-सह-प्रशिक्षण केन्द्र	मंत्रालय द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था।
24.08.2012	4.7 विशेष श्रेणी के राज्यों के अतिरिक्त राज्यों हेतु परिवहन सहायता को बढ़ाना	यह प्रस्ताव सी.सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृत नहीं था।
24.08.2012	4.8 निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 12(1)(ग) के तहत दाखिल बच्चों का आवृत्तन	प्रस्ताव ई.एफ.सी. टिप्पण पर अंतर-मंत्रालयी सलाह के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/संगठनों द्वारा समर्थित नहीं था।
05.08.2013	4.6 एम.डी.एम. योजना के प्रभाव का निर्धारण करने हेतु आधार रेखा अध्ययन	प्रस्ताव सी.सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृत नहीं था।
17.01.2014	5.8 रसोईया-सह-सहायक हेतु मानदेय की 2000 प्रति माह तक वृद्धि	प्रस्ताव सी.सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृत नहीं था।

5.3 राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर परिचालन सह मॉनीटरिंग समिति की बैठकों में कमी

मंत्रालय ने एम.डी.एम. योजना के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर परिचालन सह मॉनीटरिंग समिति के गठन हेतु अनुदेश जारी (अगस्त 2010) किए। इन एस.एम.सी. के कार्य थे:

- (क) विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों को मार्गदर्शन प्रदान करना
- (ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन को मॉनीटर करना, इसका प्रभाव निर्धारण करना तथा शोधक कार्रवाई करना
- (ग) स्वतंत्र मॉनीटरिंग/मूल्यांकन अभिकरणों की रिपोर्टों पर कार्रवाई करना
- (घ) संबंधित विभागों, अभिकरणों (अर्थात् एफ.सी.आई.), तथा योजना में समन्वय तथा अभिसरण करना तथा
- (ङ) सामुदायिक सहयोग को संघठित करना तथा कार्यक्रम हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

इसके अतिरिक्त, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर एस.एम.सी. की बैठक का पिछले महीने में योजना के कार्यान्वयन तथा उस विशिष्ट ब्लॉक के प्रत्येक विद्यालय में योजना का उपर्युक्त रूप से कार्यान्वयन करने, विशेष रूप से अनाज तथा निधियों की उपलब्धता के प्रबंधनों को मॉनीटर करने हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आयोजन किया जाना था। राज्य स्तर पर एस.एम.सी. की बैठक कम से कम प्रत्येक छः माह में की जाएगी जिसमें एस.एम.सी. के आम कार्यों के अतिरिक्त जिला स्तर पर हुई एस.एम.सी. की बैठकों की समीक्षा की जाएगी।

निर्धारित तथा 2009-10 से 2013-14 के दौरान हुई विभिन्न एस.एम.सी. की बैठकों की वास्तविक संख्या की तुलना ने कमी को दर्शाया जैसा अनुबंध-XVII में दिया गया है बैठकों में सार्थक कमी नीचे दी गई है:

- राज्य स्तर पर बैठकों में 60 प्रतिशत से अधिक की कमी आठ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी में पाई गई थी ।


- जिला स्तर पर, 18 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, माणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अ. एवं नि. द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दा. एवं ना. हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप में बैठकों में 60 प्रतिशत से अधिक की कमी पाई गई थी।
- ब्लॉक स्तर पर, 15 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, अ. एवं नि. द्वीपसमूह, दा. एवं ना. हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप में बैठकों में 60 प्रतिशत से अधिक की कमी पाई गई थी। विभिन्न एस.एम.सी. द्वारा अनवरत बैठकें सुशासन कार्यों से सुसंगत नहीं थीं तथा इसका एम.डी.एम. योजना की मॉनीटरिंग तथा कार्यान्वयन पर निश्चित रूप से एक प्रतिकूल प्रभाव होगा।

5.4 प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन (एम.एम.ई.) हेतु निधियों का उपयोग

एम.डी.एम. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनाज की लागत, परिवहन लागत, रसोईया-सह-सहायकों को मानदेय तथा भोजन पकाने की लागत का 2 प्रतिशत एम.डी.एम. के लिए उपलब्ध है। इस राशि को निम्न अनुपात में केन्द्र सरकार तथा राज्यों/ सं.शा.क्षे. को आवंटित किया जाएगा:

- (i) केन्द्र सरकार - 0.2 प्रतिशत
- (ii) राज्य / सं.शा.क्षे. - 1.8 प्रतिशत

प्रत्येक वर्ष एम.डी.एम. के अंतर्गत आवंटित निधियों में से व्यय की मदों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है: -



5.4.1 केन्द्रीय स्तर

मॉनीटरिंग एम.डी.एम. योजना का एक अनिवार्य भाग है तथा एम.डी.एम. निधि का उपयोग एम.डी.एम. के केन्द्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर निष्पादन का एक सूचक है। एम.एच.आर.डी. द्वारा एम.डी.एम. निधियों का वर्ष-वार उपयोग नीचे तालिका 5.3 में दिया गया है :

तालिका 5.3: एम.एम.ई. निधियों का वर्ष वार उपयोग


वर्ष	आवंटित राशि (` करोड में)	उपयोग की गई राशि (` करोड में)
2009-10	15.00	0.53
2010-11	10.00	3.92
2011-12	13.15	11.19
2012-13	20.00	9.74
2013-14	26.06	16.86
कुल	84.21	42.24

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रकार, मंत्रालय 2009-10 से 2013-14 के दौरान एम.डी.एम. हेतु आवंटित ₹84.21 करोड में से केवल ₹42.24 करोड (50 प्रतिशत) का ही उपयोग कर सका जो दर्शाता है कि यह पहलू बड़े पैमाने पर उपेक्षित रहा।

5.4.2 राज्य स्तर

2011-12 से 2013-14 के दौरान 27 राज्यों द्वारा एम.डी.एम. निधि के उपयोग की स्थिति नीचे दी गई है:



2011-12 से 2013-14 के दौरान, ₹437.40 करोड की कुल निधियों में से राज्य केवल ₹402.61 करोड का ही उपयोग कर सके थे। एम.डी.एम. निधियों का राज्य वार विवरण अनुबंध-XVIII में दिया गया है। सात राज्य अर्थात् गोवा, झारखण्ड, दा. एवं ना. हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी आवंटित एम.डी.एम. का 60 प्रतिशत से कम उपयोग कर सके थे। एम.डी.एम. निधि का कम उपयोग कार्यक्रम की खराब मॉनीटरिंग को दर्शाता है जिसका परिणाम योजना के अपर्याप्त कार्यान्वयन में हुआ।

5.4.3 विद्यालयों को प्रबंधन, मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन (एम.डी.एम.) अनुदान का गैर निर्गम

दिशानिर्देश 2006 का पैरा 2.3 (VII) तथा पैरा 6.4 तथा जून 2010 का अनुवर्ती संशोधन परिकल्पना करता है कि (क) अनाज की लागत (ख) परिवहन लागत (ग)

भोजन पकाने की लागत तथा (घ) रसोईया-सह-सहायक को मानदेय हेतु कुल सहायता के 1.8 प्रतिशत की दर पर एम.डी.एम. हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्यों/सं.शा.क्षे. को विद्यालय स्तर के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर एम.डी.एम. हेतु निधियों का 50 प्रतिशत तक उपयोग करने की नम्यता होगी जो राज्यों/सं.शा.क्षे. की आवश्यकता पर निर्भर होगी। तथापि, शेष 50 प्रतिशत चिन्हित निधि को विद्यालय स्तर पर तय किया जाना है।

पंजाब में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009-14 के दौरान ₹13.75 करोड़ को एम.एम.ई. संघटक के अंतर्गत जारी किया गया था। एम.डी.एम. दिशानिर्देशों के अनुसार ₹6.88 करोड़ (₹13.75 का 50 प्रतिशत) का विद्यालय द्वारा केवल दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट कार्यों हेतु ही उपयोग किया जाना था। तथापि, दिशानिर्देशों के विपरीत निधियों का निदेशालय/जिला स्तर पर उपयोग किया गया था।

महानिदेशक स्कूली शिक्षा (डी.जी.एस.ई.), पंजाब ने बताया कि एम.डी.एम. निधियां विद्यालय को जारी नहीं की गई थी तथा उनका उपयोग वेतन तथा अन्य व्यय के कारण मुख्यालय स्तर पर किया गया था। तथापि, संबंधित डी.ई.ओ. ने बताया कि मामले को उच्च प्राधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। उतर योजना प्रावधानों के संगत नहीं हैं।

5.5 निरीक्षणों में कमी

एम.डी.एम. दिशानिर्देशों के अनुसार, एम.डी.एम. योजना का यह निर्धारण करने हेतु मॉनीटर किया जाना अपेक्षित है कि सभी बच्चे नियमित रूप से संतोषजनक गुणवत्ता का भोजन प्राप्त कर रहे हैं तथा बच्चों की पौषणिक स्थिति उपस्थिति में नियमितता तथा विद्यालय में बने रहने को सुधारने में भोजन का प्रभाव।

एम.डी.एम. की समग्र गुणवत्ता को मॉनीटर करने हेतु संबंधित राज्य सरकार के राजस्व/प्रशासन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, नोडल, विभागों, महिला एवं बाल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य आदि से संबंधित अधिकारियों खाद्य एवं पौषणिक बोर्ड के अधिकारियों, राज्य सरकार द्वारा चयनित नांमाकित पौषणिक विशेषज्ञों/संस्थानों द्वारा विद्यालयों के नियमित निरीक्षण किए जाने थे।

निरीक्षण के मासिक लक्ष्यों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाना था। औसतन 25 प्रतिशत विद्यालयों/विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रत्येक तिमाही में दौरा किया जाना चाहिए तथा सभी विद्यालयों/ई.जी.एस./ए.आई.ई. केन्द्रों का प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार दौरा किया जाना चाहिए। निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किए जाने चाहिए तथा प्रतिवेदनों के निष्कर्षों को प्रलेखित किया जाना चाहिए तथा सभी स्तरों पर एस.एम.सी. बैठकों में सूचित किया जाना चाहिए। बिना किसी विलम्ब के उचित शोधक कार्रवाई प्रारम्भ की जानी चाहिए।

24 राज्यों (ब्यौरे अनुबंध-XIX में दिए गए हैं), में निरीक्षण से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि हरियाणा, झारखण्ड तथा नागालैण्ड में निरीक्षण की संख्या निर्धारित लक्ष्य के 30 प्रतिशत से कम थी। आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, केरल, मणिपुर, मेघालय, पंजाब तथा चण्डीगढ़ में निरीक्षण की संख्या लक्ष्य के 30 से 60 प्रतिशत के बीच थी। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ए.एन.आई., दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में निरीक्षण 60 प्रतिशत से अधिक थे।

इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा तथा पंजाब में यह पाया गया था कि निरीक्षण किए गए विद्यालयों/स्वयं सेवी समूह (एस.एच.जी.) के संबंध में उपचारी उपायों हेतु कोई निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार तथा प्रलेखित नहीं किया गया था।

बिहार तथा मेघालय में, निरीक्षण प्रतिवेदनों को समीक्षा तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु एस.एम.सी. को प्रस्तुत/सूचित नहीं किया गया था। निरीक्षणों में कमी योजना की मॉनीटरिंग में कमजोर आंतरिक नियंत्रणों को दर्शाती है।

5.6 राज्य सरकार द्वारा मॉनीटरिंग संस्थानों की रिपोर्टों पर निष्क्रियता

मंत्रालय ने प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एम.डी.एम. योजना के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने हेतु पूरे देश में 42 मॉनीटरिंग संस्थानों (एम.आई.) के साथ एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए। एम.आई. को अपनी रिपोर्टों को मंत्रालय को प्रस्तुत करनी थी तथा मंत्रालय को बदले में इन रिपोर्टों को रिपोर्ट में इंगित की गई कमियों पर शोधक कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को प्रेषित करना था।

वर्ष 2010-11 एवं 2013-14 हेतु 15 नमूना जांच किए गए राज्यों की एम.आई. रिपोर्ट ने प्रकट किया कि राज्य सरकारों ने कमियों को सुधारने हेतु कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की थी। परिणामस्वरूप, 2010-11 के दौरान इंगित कमियां अभी भी निरंतर थीं। कुछ महत्वपूर्ण कमियां नीचे दी गई हैं:

- विद्यालयों को अनाज की अनियमित आपूर्ति
- विद्यालयों को खराब गुणवत्ता के अनाज की आपूर्ति
- अनाज के सुरक्षित भण्डार का गैर-अनुरक्षण
- रसोईघर शैड, बर्तन आदि की अपर्याप्त अवसरचरणात्मक सुविधाएं राज्य-बार कमियों को **अनुबंध-XX** में उजागर किया गया है।

इस प्रकार, राज्य सरकारों द्वारा एम.आई. रिपोर्ट पर निष्क्रियता के कारण उद्देश्य जिसके लिए एम.आई. की नियुक्त की गई थी निरर्थक साबित हुआ था।

5.7 शिकायत निवारण प्रक्रिया की विफलता

दिशानिर्देशों के अनुबंध 11 भाग-ख के पैरा 2.8 के अनुसार शिकायतों का समाधान करने हेतु शिकायत निवारण प्रक्रिया स्थापित की जानी है। नमूना जांच किए गए जिलों/विद्यालयों में शिकायत निवारण प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा ने प्रकट किया कि:

- आन्ध्र प्रदेश (4 जिलों), बिहार, छत्तीसगढ़, चण्डीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश में शिकायत निवारण प्रक्रिया को स्थापित नहीं किया गया था।
- दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल तथा उत्तराखण्ड में शिकायत निवारण प्रक्रिया स्थापित थी परंतु प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में अभिलेखों का अनुरक्षण अथवा प्रलेखित नहीं किया गया था।
- अरुणाचल प्रदेश में योजना कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों का निपटान करने हेतु सार्वजनिक उपयोग के लिए स्थापित टोल फ्री टेलीफोन नम्बर चालू नहीं थे।
- आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर जिले में पांच शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रभावी शिकायत निवारण प्रक्रिया का अभाव योजना कार्यान्वयन में सुधार लाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

5.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा को विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं तथा गतिविधियों के वित्तीय निष्पादन तथा प्रभावकारिता की मॉनीटरिंग हेतु उच्च प्रबंधन को सहायता के रूप में माना गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रधान लेखा कार्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के माध्यम से की जाती है। यह योजना कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने में शामिल विभिन्न जोखिमों को कम करने में भी मदद करता है।

2009-10 से 2013-14 के दौरान, मंत्रालय द्वारा योजना की आंतरिक लेखापरीक्षा केवल 2013-14 के दौरान की गई थी। जिसमें भी केवल पंजाब के चयनित विद्यालयों को शामिल किया गया था। इस प्रकार, स्थापित नियंत्रणों का प्रभावकारिता का पता लगाने हेतु एक महत्वपूर्ण यंत्र को अनदेखा किया गया था।

5.9 तकनीकी सहायता समूह

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा एज्युकेशनल कंसलटेंट इण्डिया लिमिटेड (ई.डी.सी.आई.एल) के बीच एम.एच.आर.डी. को व्यवसायिक रूप से योग्य मुख्य सलाहकार, सलाहकारों, अनुसंधान सहायकों, आवश्यक सहायक स्टाफ आदि की नियुक्ति के माध्यम से विद्यालयों में इसके मुख्य कार्यक्रम एम.डी.एम. के कार्यान्वयन हेतु प्रबंधन सहायता सेवाएं (एम.एस.एस.) प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहायता समूह अब तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) के रूप में जाना जाता है को स्थापित करने हेतु 22 दिसंबर 2005 को एक अनुबंध किया था। टी.एस.जी.-एम.डी.एम. नौ इकाईयों अर्थात् अनुसंधान एवं मूल्यांकन, खाद्य एवं पौषण, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) योजनागत मॉनीटरिंग, सूचना शिक्षा एवं संचार, सिविल निर्माण कार्य, क्षमता निर्माण, सामुदायिक संघटन तथा शिकायत निवारण से बना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- मंत्रालय ने ई.डी.सी.आई.एल. को एम.एस.एस. सौंपते समय सी.वी.सी. दिशानिर्देशों तथा सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार अन्य समान संगठनों से प्रतियोगितात्मक बोलियां आमंत्रित नहीं की थीं। यह प्रतियोगिता के निष्कासन का कारण बना। 2009-10 से 2013-14 के दौरान

ई.डी.सी.आई.एल. का वार्षिक व्यय `78.71 लाख से `6.12 करोड के बीच था।

- मंत्रालय भी ई.डी.सी.आई.एल. को कार्यालय परिसर को किराए पर लेने हेतु `68.72 लाख प्रति वर्ष अदा कर रहा था। तथापि, इसने दक्षिण दिल्ली में उपलब्ध खाली स्थान का उपयोग करने पर विचार नहीं किया था। ई.डी.सी.आई.एल. द्वारा प्रदत्त 26 सहायता स्टाफ को भी शास्त्री भवन में एम.एच.आर.डी. कार्यालय में तैनात किया गया था इसलिए `68.72 लाख प्रति वर्ष के वार्षिक किराए पर कार्यालय परिसर को किराए पर लेना संदेहास्पद था।
- ई.डी.सी.आई.एल. द्वारा प्रदत्त 26 सहायता स्टाफ में से, अनुसंधान सहायक, प्रबंधक आदि के रूप में नियुक्त 14 सहायता स्टाफ वह कार्य संभाल रहे थे जो एम.डी.एम. से संबंधित नहीं था तथा मंत्रालय के अधिकारियों को सहायता प्रदान कर रहे थे। इसलिए, इन सहायता स्टाफ को अदा किया गया वेतन एवं भत्ते संदेहास्पद है।
- वर्ष 2010-11 तथा 2013-14 के दौरान ई.डी.सी.आई.एल. द्वारा राष्ट्रीय /क्षेत्रीय कार्यशालाओं/बैठकों/समीक्षा मिशन तथा फील्ड दौरे करने में 19.32 प्रतिशत तथा 56.45 प्रतिशत के बीच कमी पाई गई थी।

अनुशासन :

- *मॉनीटरिंग तथा निरीक्षण प्रक्रियाओं को चोरी तथा हेराफेरी से बचने हेतु सभी स्तरों पर सुदृढ़ किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु आकस्मिक निरीक्षणों की प्रणाली भी प्रारम्भ की जानी चाहिए। योजना के सुगम कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग हेतु परिचालन सह मॉनीटरिंग समिति (एस.एम.सी.) की बैठकों की निर्धारित संख्या का आयोजन किया जाए।*
- *मंत्रालय को मॉनीटरिंग संस्थानों द्वारा प्रस्तुत सूचना के प्रवाह की प्रणाली तथा राज्यों के साथ उनकी अनुवर्ती कार्रवाई को सुदृढ़ करना चाहिए जिससे कि मॉनीटरिंग संस्थानों द्वारा इंगित कमियों को सुधारने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जा सके। शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को स्थापित किया जाना चाहिए जिससे की प्राप्त शिकायतों को शीघ्रता से सुलझाया जा सके।*

अध्याय-VI

निष्कर्ष

दोपहर के भोजन की योजना अब लगभग दो दशको से अस्तित्व में रही है। जबकि सरकार ने वर्षों में योजना के विषयों में कुछ सुधार किए हैं फिर भी जहां तक योजना की संपूर्णता का संबंध है अभी भी अधिक सकारात्मक सुधार सामने नहीं आए हैं। योजना की पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा, 2007-08 के दौरान की गई थी। उस निष्पादन लेखापरीक्षा ने कई अनियमितताओं, जैसे कि नामांकन आकड़ों का अधिक बताया जाना, चोरी के मामले, वित्तीय अनुशासनहीनता, भोजन की खराब गुणवत्ता तथा अपर्याप्त मानीटरिंग को प्रस्तुत किया था। वर्तमान लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि, हालांकि योजना प्रभावशाली दिशानिर्देशों के साथ, दस्तावेज पर अच्छी प्रतीत होती है परंतु वास्तविक कार्यान्वयन अभी भी बोर्ड में विभिन्न कमियों तथा चूकों से पीड़ित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.डी.एम के नामांकन डाटा में, पांच वर्षों की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तरों में, निजी विद्यालयों को शामिल किया, जिसने प्रतिकूल प्रवृत्ति दर्ज की। जबकि निजी विद्यालयों में नामांकन 38 प्रतिशत तक बढ़ा फिर भी एम.डी.एम. में शामिल सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में यह 5.58 प्रतिशत तक कम हुई थी। इस आकड़े से सुस्पष्ट हस्तक्षेप हैं। पहला, जनसंख्या का एक बढ़ता समूह है जो व्यय पर भी मुफ्त भोजन से शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करता है। दूसरा, यह दर्शाता है कि एक मुफ्त एम.डी.एम. अपने आप में, बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने हेतु पर्याप्त शर्त नहीं है। तीसरा, एक विरकात धारणा है कि निजी विद्यालय एक अच्छा शिक्षण वातावरण प्रदान करते हैं।

एक समस्या का क्षेत्र, जो योजना को बर्बाद कर रहा है, वो चोरियां तथा वित्तीय अनुशासनहीनता का है। लेखापरीक्षा ने एम.डी.एम. प्राप्त कर रहे बच्चों की संस्थानों द्वारा नमूना विद्यालयों के दौरे के दिन के दौरान वास्तव में एम.डी.एम प्राप्त कर रहे बच्चों की संख्या का बेमेल होना पाया। ये निष्कर्ष लेखापरीक्षा प्रमाण से समर्थित हैं। तथ्य कि संख्या की इस प्रकार की नकली वृद्धि लगभग सभी नमूना जांच किए गए राज्यों में पाई गई थी, योजना कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न अभिकरणों के योजना से स्वयं को अनुचित लाभ हेतु, प्रयासों के प्रति स्पष्ट संकेतक है।

निर्धारित अनुबंध कि कम से कम स्पष्ट औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के अनाज एफ.सी.आई. द्वारा जारी किए गए थे, को नियमित निरीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना था। तथापि, अधिकतर राज्यों में, इस संबंध में निरीक्षण नहीं किए गए थे, जो बच्चों को चावल की घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति का कारण बने। घटिया गुणवत्ता के चावल को अच्छी गुणवत्ता के चावल से बदले जाने के उदाहरण भी सामने आए। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बच्चों को प्रदान किए गए भोजन की गुणवत्ता तथा भोजन के पौषणिक महत्व की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने हेतु जांच केवल कागजों पर रहीं। अस्वस्थकर परिस्थितियों में, खराब गुणवत्ता के भोजन पकाने, रसोईघर शैड तथा बर्तनों के संबंध में अवसंरचना की अपर्याप्त तथा खराब गुणवत्ता के मामले सभी राज्यों में अनियमित थे, जो बच्चों को स्वास्थ्य संकट का जोखिम डालते थे। उपयुक्त रसोईघर शैडो का अभाव, विद्यालयों की कक्षाओं तथा कारिडॉर में भोजन पकाए जाने का कारण बना, जो बच्चों को प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता से गंभीरता से समझौता कर रहे थे।

बच्चों के स्वास्थ्य जांचों की पर्याप्त संख्या का आयोजन नहीं किया गया था जिसके अभाव में बच्चों की पौषणिक स्थिति तथा अपेक्षित सूक्ष्म पुष्टिकार अनुपूरकों पर एम.डी.एम. योजना के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता था।

वित्तीय अनुशासनहीनता, जैसे कि उपयोग प्रमाणपत्रों का गलत प्रस्तुत किया जाना, निधियों का दुरुपयोग, अनाज की उच्च लागत का दावा करने हेतु डाटा को झूठा तैयार करने, के मामले व्यापक थे।

मंत्रालय तथा राज्यों द्वारा योजना की अपर्याप्त मानीटरिंग, योजना कार्यान्वयन में एक मुख्य बाधा थी। मानीटरिंग तथा मूल्यांकन हेतु चयनित निधियों का समग्र रूप से कम उपयोग किया गया था। जिला, तहसील/तालुका, ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के निरीक्षणों में कमी थीं। शिकायतों का समाधान करने हेतु, शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना नहीं की गई थी। इस प्रकार सुशासन प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। मंत्रालय को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित कमियों का एक प्रणालीगत तथा समयबद्ध प्रकार से निपटान किया गया है।

नई दिल्ली

दिनांक: 19 नवम्बर 2015



(मुकेश प्रसाद सिंह)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 23 नवम्बर 2015



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-1
(पैराग्राफ सं. 1.7 के संदर्भ में)
राज्यों में नमूना चयन का विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	चयनित जिले	चयनित विद्यालयों/केंद्रों
1.	आंध्र प्रदेश	4	120
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	90
3.	असम	4	120
4.	बिहार	6	180
5.	छत्तीसगढ़	4	120
6.	गोवा	2	60
7.	गुजरात	4	120
8.	हरियाणा	3	90
9.	हिमाचल प्रदेश	2	60
10.	जम्मू एवं कश्मीर		संयुक्त निदेशक (योजना) तथा सचिव द्वारा अनुरक्षित किए जा रहे राज्य स्तर के अभिलेखों की जाँच परीक्षा की जाती थी तथा राज्य में बाढ़ की स्थिति के कारण संचालित नहीं की जा सकी थी।
11.	झारखंड	4	120
12.	कर्नाटक	4	120
13.	केरल	2	60
14.	मध्य प्रदेश	10	300
15.	महाराष्ट्र	5	150
16.	मणिपुर	2	60
17.	मेघालय	2	60
18.	नागालैंड	2	60
19.	ओडिशा	5	150
20.	पंजाब	3	90
21.	राजस्थान	5	150
22.	सिक्किम	2	60
23.	तमिलनाडु	5	150
24.	त्रिपुरा	2	96
25.	उत्तराखंड	2	60
26.	उत्तर प्रदेश	12	360
27.	पश्चिम बंगाल	3	90
28.	अं.एवं नि. द्वीप समूह	2	60
29.	चंडीगढ़	1	30

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

30.	दा.एवं.ना.हवेली	1	30
31.	दमन एवं दीव	1	30
32.	दिल्ली	2	60
33.	लक्षद्वीप	2	10
34.	पुदुचेरी	2	60
	कुल	113	3376

अनुबंध-II

(पैराग्राफ सं. 2.2 तथा 2.6 के संदर्भ में)

2009-10 से 2013-14 के दौरान बच्चों के नामांकन तथा प्राथमिक एवं उच्चतर प्राथमिक स्तर पर आवृत्त का राज्य वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे	वर्ष	नामांकित बच्चों की सं.		कुल	एम.डी.एम. के अंतर्गत आवृत्त बच्चों की सं.		कुल	प्रतिशतता
			प्राथमिक	उच्चतर प्राथमिक		प्राथमिक	उच्चतर प्राथमिक		
1.	आंध्र प्रदेश	2009-10	4546650	2496615	7043265	3985837	2122125	6107962	87
		2010-11	4590771	2496615	7087386	4075385	2228854	6304239	89
		2011-12	4227205	2149089	6376294	3700179	1961430	5661609	89
		2012-13	4123057	2030011	6153068	3469144	1526575	4995719	81
		2013-14	3985038	2322594	6307632	3605071	2000840	5605911	89
2.	अरुणाचल प्रदेश	2009-10	201463	68100	269563	118285	56094	174379	65
		2010-11	201855	70747	272602	200018	68984	269002	99
		2011-12	201755	72476	274231	198952	69522	268474	98
		2012-13	202620	74111	276731	195621	71472	267093	97
		2013-14	192846	73825	266671	189098	70338	259436	97
3.	असम	2009-10	3244364	1787857	5032221	2922148	1210470	4132618	82
		2010-11	3518294	2188166	5706460	2994566	1521318	4515884	79
		2011-12	3649013	1611448	5260461	3139869	1553979	4693848	89
		2012-13	3445133	1635059	5080192	3177819	1467336	4645155	91
		2013-14	3394936	1598940	4993876	3074194	1448612	4522806	91
4.	बिहार	2009-10	14476688	4271215	18747903	8789645	2451691	11241336	60
		2010-11	14476688	4221661	18698349	7832405	2045212	9877617	53
		2011-12	15253464	5244628	20498092	6872599	2009843	8882442	43
		2012-13	14195644	5365579	19561223	9844873	3347395	13192268	67
		2013-14	14151915	5767204	19919119	9720470	3738691	13459161	68
5.	छत्तीसगढ़	2009-10	2925817	1141534	4067351	2199551	827670	3027221	74
		2010-11	3156343	1366404	4522747	2718490	1142558	3861048	85
		2011-12	3170011	1341239	4511250	2633643	1117355	3750998	83
		2012-13	2462193	1414078	3876271	2216987	1188043	3405030	88
		2013-14	2308729	1398861	3707590	1977681	1190038	3167719	85
6.	गोवा	2009-10	74773	89679	164452	74496	88712	163208	99
		2010-11	99791	69239	169030	93893	62823	156716	93
		2011-12	95860	69718	165578	91324	62528	153852	93
		2012-13	93749	70735	164484	89756	62608	152364	93
		2013-14	92645	68438	161083	92396	60369	152765	95
7.	गुजरात	2009-10	4605620	1515879	6121499	2933545	887055	3820600	62
		2010-11	4356569	1811665	6168234	2889045	988650	3877695	63
		2011-12	4367392	1906624	6274016	2938041	1172681	4110722	66
		2012-13	4225492	2052697	6278189	2961157	1400542	4361699	69
		2013-14	3859101	2281273	6140374	2806248	1493555	4299803	70
8.	हरियाणा	2009-10	1529978	693988	2223966	1369026	624589	1993615	90
		2010-11	1478887	687805	2166692	1371801	633879	2005680	93
		2011-12	1449617	699807	2149424	1423062	685757	2108819	98

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

		2012-13	1409458	731655	2141113	1381268	708995	2090263	98
		2013-14	1260814	772984	2033798	1229138	753372	1982510	97
9.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	445093	330170	775263	430669	310345	741014	96
		2010-11	426658	314611	741269	411894	303856	715750	97
		2011-12	408900	296813	705713	385179	276772	661951	94
		2012-13	382729	269926	652655	371632	263812	635444	97
		2013-14	364957	260537	625494	334387	236859	571246	91
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2009-10	895367	405125	1300492	742732	313394	1056126	81
		2010-11	870717	421041	1291758	571120	268924	840044	65
		2011-12	856793	417321	1274114	522807	247086	769893	60
		2012-13	809672	408677	1218349	484785	246750	731535	60
		2013-14	742300	359202	1101502	706570	328499	1035069	94
11.	झारखंड	2009-10	4688484	1346315	6034799	3032637	998945	4031582	67
		2010-11	4321982	1388713	5710695	2451496	780425	3231921	57
		2011-12	4083227	1452968	5536195	2400915	815061	3215976	58
		2012-13	3878324	1497036	5375360	2300380	856838	3157218	59
		2013-14	3775843	1504465	5280308	2082159	775852	2858011	54
12.	कर्नाटक	2009-10	4008796	2274289	6283085	3498602	2004333	5502935	88
		2010-11	3658212	2145220	5803432	3292284	1924686	5216970	90
		2011-12	3528193	2097991	5626184	3321907	1956890	5278797	94
		2012-13	3405362	2091643	5497005	3070828	1875916	4946744	90
		2013-14	3406736	2090854	5497590	3155435	1907206	5062641	92
13.	केरल	2009-10	1870576	1361265	3231841	1793789	1108415	2902204	90
		2010-11	1842832	1333357	3176189	1699651	1081966	2781617	88
		2011-12	1702348	1296474	2998822	1622338	1064741	2687079	90
		2012-13	1643914	1222619	2866533	1563844	1068693	2632537	92
		2013-14	1542347	1027061	2569408	1542345	1027060	2569405	100
14.	मध्य प्रदेश	2009-10	7981500	3106522	11088022	6463251	2540333	9003584	81
		2010-11	7809296	3309664	11118960	6135265	2520678	8655943	78
		2011-12	7352733	3449546	10802279	5545762	2538480	8084242	75
		2012-13	7352733	3449546	10802279	5208267	2611387	7819654	72
		2013-14	6490497	3471829	9962326	5084781	2627938	7712719	77
15.	महाराष्ट्र	2009-10	8761094	4812160	13573254	7980928	4206833	12187761	90
		2010-11	8480928	4902345	13383273	6834807	3799392	10634199	79
		2011-12	8480971	4902312	13383283	6940756	3927395	10868151	81
		2012-13	8132569	4849340	12981909	6569543	3883475	10453018	81
		2013-14	7405477	4623929	12029406	6547619	4073014	10620633	88
16.	मणिपुर	2009-10	210692	57992	268684	185570	40148	225718	84
		2010-11	193111	41217	234328	189634	40501	230135	98
		2011-12	189866	41935	231801	162060	35794	197854	85
		2012-13	187622	42933	230555	150098	34346	184444	80
		2013-14	189482	43295	232777	151412	34651	186063	80
17.	मेघालय	2009-10	377079	131725	508804	347093	124645	471738	93
		2010-11	434482	134666	569148	338268	121510	459778	81
		2011-12	430846	169776	600622	363472	121017	484489	81
		2012-13	407997	157970	565967	391441	136818	528259	93
		2013-14	407997	157970	565967	382206	136528	518734	92

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

18.	मिजोरम	2009-10	107439	53854	161293	100452	50117	150569	93
		2010-11	109749	54184	163933	100969	50749	151718	93
		2011-12	133511	49463	182974	116083	51065	167148	91
		2012-13	130463	49746	180209	120026	45766	165792	92
		2013-14	123971	50547	174518	114054	46503	160557	92
19.	नागालैंड	2009-10	210268	63099	273367	179306	42062	221368	81
		2010-11	230010	67051	297061	209151	61993	271144	91
		2011-12	220829	56327	277156	207863	52843	260706	94
		2012-13	209822	51140	260962	209822	51140	260962	100
		2013-14	220457	57159	277616	208724	51096	259820	94
20.	ओडिशा	2009-10	3961686	1726012	5687698	3868417	1657375	5525792	97
		2010-11	4129953	1933347	6063300	3711317	1515835	5227152	86
		2011-12	4038760	1882928	5921688	3370951	1466110	4837061	82
		2012-13	3835632	2006030	5841662	3586563	1542619	5129182	88
		2013-14	3835632	2003994	5839626	3392144	1737517	5129661	88
21.	पंजाब	2009-10	1325592	751083	2076675	1165947	689894	1855841	89
		2010-11	1301895	779104	2080999	1085764	667896	1753660	84
		2011-12	1337964	788201	2126165	1128592	681754	1810346	85
		2012-13	1284134	819131	2103265	1141622	618490	1760112	84
		2013-14	1230991	793349	2024340	1057562	663791	1721353	85
22.	राजस्थान	2009-10	5410877	2082824	7493701	4099097	1883279	5982376	80
		2010-11	5280753	2059803	7340556	3952440	1828958	5781398	79
		2011-12	5280741	2059803	7340544	3921838	1843392	5765230	79
		2012-13	5199533	2158162	7357695	3664153	1403446	5067599	69
		2013-14	4895026	2073535	6968561	3903739	1743424	5647163	81
23.	सिक्किम	2009-10	67707	28791	96498	62196	27236	89432	93
		2010-11	72846	29787	102633	67067	27788	94855	92
		2011-12	64920	34784	99704	59851	30731	90582	91
		2012-13	51064	36686	87750	51064	32896	83960	96
		2013-14	57357	36715	94072	51701	32890	84591	90
24.	तमिलनाडु	2009-10	3577489	2303631	5881120	3203605	1823238	5026843	85
		2010-11	3251355	2212604	5463959	2699771	1574944	4274715	78
		2011-12	3215198	2310101	5525299	2504239	1624999	4129238	75
		2012-13	3028036	2367004	5395040	2663943	2054975	4718918	87
		2013-14	3058766	2442603	5501369	2699500	2111234	4810734	87
25.	त्रिपुरा	2009-10	449353	209344	658697	321557	147064	468621	71
		2010-11	382137	209111	591248	296982	138111	435093	74
		2011-12	370566	206951	577517	302871	139748	442619	77
		2012-13	364480	227187	591667	276895	155602	432497	73
		2013-14	364480	227189	591669	225260	129860	355120	60
26.	उत्तराखण्ड	2009-10	670282	395550	1065832	527681	322870	850551	80
		2010-11	624441	386599	1011040	491275	310634	801909	79
		2011-12	593875	383751	977626	490631	316533	807164	83
		2012-13	554477	376350	930827	417021	284905	701926	75
		2013-14	536544	368283	904827	432858	299688	732546	81

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

27.	उत्तर प्रदेश	2009-10	15865317	4480139	20345456	10030915	2682665	12713580	62
		2010-11	15170833	5832249	21003082	8685569	2628708	11314277	54
		2011-12	14505991	5872175	20378166	8479926	3130922	11610848	57
		2012-13	14087769	5892528	19980297	7638993	3072145	10711138	54
		2013-14	13805026	6004217	19809243	7732933	3223861	10956794	55
28.	पश्चिम बंगाल	2009-10	9577058	4689615	14266673	7048756	2167922	9216678	65
		2010-11	9503055	5079591	14582646	7050814	2452590	9503404	65
		2011-12	8945688	4740474	13686162	8070780	4109337	12180117	89
		2012-13	8417916	5038610	13456526	7879763	4322053	12201816	91
		2013-14	8147291	4880194	13027485	7742213	4476027	12218240	94
29.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	2009-10	26684	19085	45769	21348	15552	36900	81
		2010-11	24169	17536	41705	19036	13413	32449	78
		2011-12	24169	17536	41705	18581	13164	31745	76
		2012-13	22657	16075	38732	16593	11384	27977	72
		2013-14	22885	16075	38960	17130	12227	29357	75
30.	चंडीगढ़	2009-10	70390	36848	107238	39130	22181	61311	57
		2010-11	70390	36848	107238	36232	21950	58182	54
		2011-12	66364	40169	106533	33982	19958	53940	51
		2012-13	66364	40169	106533	30009	16096	46105	43
		2013-14	66364	42454	108818	32047	18821	50868	47
31.	दा.एवं.ना. हवेली	2009-10	34053	10683	44736	26966	8295	35261	79
		2010-11	33445	16593	50038	24688	9881	34569	69
		2011-12	32445	17663	50108	24549	11518	36067	72
		2012-13	27139	18888	46027	21255	14389	35644	77
		2013-14	25447	19255	44702	20456	14700	35156	79
32.	दमन एवं दीव	2009-10	13179	4991	18170	10853	4374	15227	84
		2010-11	11992	7490	19482	9469	5829	15298	79
		2011-12	11916	7668	19584	9396	6053	15449	79
		2012-13	11837	7676	19513	8947	5859	14806	76
		2013-14	11385	7646	19031	8649	6093	14742	77
33.	दिल्ली	2009-10	1175365	698118	1873483	849401	468952	1318353	70
		2010-11	1169709	662339	1832048	731246	419086	1150332	63
		2011-12	1152596	668204	1820800	784768	448704	1233472	68
		2012-13	1161129	713378	1874507	760715	425840	1186555	63
		2013-14	1140732	711723	1852455	687787	438187	1125974	61
34.	लक्षद्वीप	2009-10	6791	3532	10323	6710	3482	10192	99
		2010-11	5999	4022	10021	5321	3714	9035	90
		2011-12	5684	4076	9760	5543	3942	9485	97
		2012-13	5412	4125	9537	5406	4114	9520	100
		2013-14	4605	3407	8012	4592	3226	7818	98
35.	पुदुचेरी	2009-10	55176	46396	101572	51922	39376	91298	90
		2010-11	53357	45446	98803	50337	37801	88138	89
		2011-12	45790	42421	88211	44066	35406	79472	90
		2012-13	40330	39431	79761	21130	31380	52510	66
		2013-14	35748	33420	69168	28614	29617	58231	84

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

कुल	सम्पूर्ण भारत	2009-10	103448740	43494025	146942765	78482063	31971731	110453794	75
		2010-11	101343504	46336840	147680344	73327470	31304096	104631566	71
		2011-12	99495201	46402860	145898061	71837375	33602510	105439885	72
		2012-13	94856462	47225931	142082393	71961363	34844100	106805463	75
		2013-14	91154367	47595026	138749393	71041173	36942184	107983357	78

अनुबंध-III

(पैराग्राफ 2.7 के संदर्भ में)

राज्यों में संग्रहित तथा मंत्रालय द्वारा प्रतिवेदित आंकड़ों के बीच अनिर्तरता

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	वर्ष	नामांकन (प्राथमिक तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर)		अंतर(+)(-)	एम.डी.एम. में आवृत बच्चें		अंतर (+)(-)
			मंत्रालय द्वारा प्रदत्त	राज्यों में संग्रहित आंकड़े		मंत्रालय द्वारा प्रदत्त	राज्यों में संग्रहित आंकड़े	
1.	आंध्र प्रदेश	2009-10	7043265	7043265	0	6107962	5998715	109247
		2010-11	7087386	7087386	0	6304239	6381779	-77540
		2011-12	6376294	6376294	0	5661609	5762031	-100422
		2012-13	6153068	6345353	-192285	4995719	5255026	-259307
		2013-14	6307632	6257770	49862	5605911	5360701	245210
2.	अरुणाचल प्रदेश	2009-10	269563	269563	0	174379	245657	-71278
		2010-11	272602	272602	0	269002	272602	-3600
		2011-12	274231	274231	0	268474	274231	-5757
		2012-13	276731	276731	0	267093	276731	-9638
		2013-14	266671	266671	0	259436	260523	-1087
3.	असम	2009-10	5032221	5032221	0	4132618	3777900	354718
		2010-11	5706460	5706460	0	4515884	4133720	382164
		2011-12	5260461	5162466	97995	4693848	4721566	-27718
		2012-13	5080192	5080192	0	4645155	4890326	-245171
		2013-14	4993876	4993876	0	4522806	4671994	-149188
4.	बिहार	2009-10	18747903	18747902	1	11241336	10863293	378043
		2010-11	18698349	18814004	-115655	9877617	11370384	-1492767
		2011-12	20498092	20560199	-62107	8882442	10141985	-1259543
		2012-13	19561223	20056566	-495343	13192268	8910134	4282134
		2013-14	19919119	19919119	0	13459161	13034353	424808
5.	छत्तीसगढ़	2009-10	4067351	4067351	0	3027221	3081393	-54172
		2010-11	4522747	4522747	0	3861048	3792496	68552
		2011-12	4511250	4044606	466644	3750998	3736941	14057
		2012-13	3876271	3876271	0	3405030	3328242	76788
		2013-14	3707590	3722404	-14814	3167719	4104496	-936777
6.	गोवा	2009-10	164452	164492	-40	163208	164492	-1284
		2010-11	169030	169030	0	156716	169030	-12314
		2011-12	165578	165578	0	153852	165578	-11726
		2012-13	164484	164484	0	152364	164484	-12120
		2013-14	161083	161083	0	152765	161083	-8318
7.	गुजरात	2009-10	6121499	6121499	0	3820600	4044785	-224185
		2010-11	6168234	6168234	0	3877695	3922508	-44813
		2011-12	6274016	6597601	-323585	4110722	4173596	-62874
		2012-13	6278189	6420915	-142726	4361699	4354754	6945

		2013-14	6140374	6171536	-31162	4299803	4304511	-4708
8.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	775263	775263	0	741014	775263	-34249
		2010-11	741269	741269	0	715750	741269	-25519
		2011-12	705713	687009	18704	661951	687009	-25058
		2012-13	652655	659249	-6594	635444	659249	-23805
		2013-14	625494	625494	0	571246	625494	-54248
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2009-10	1300492	1164988	135504	1056126	1164988	-108862
		2010-11	1291758	1291758	0	840044	1291758	-451714
		2011-12	1274114	1000246	273868	769893	1000246	-230353
		2012-13	1218349	1050615	167734	731535	1050615	-319080
		2013-14	1101502	1094641	6861	1035069	1094641	-59572
10.	झारखंड	2009-10	6034799	6237110	-202311	4031582	3913334	118248
		2010-11	5710695	6034799	-324104	3231921	4031582	-799661
		2011-12	5536195	5710695	-174500	3215976	3225145	-9169
		2012-13	5375360	5535339	-159979	3157218	3656144	-498926
		2013-14	5280308	5357912	-77604	2858011	3978713	-1120702
11.	कर्नाटक	2009-10	6283085	6283085	0	5502935	5954377	-451442
		2010-11	5803432	5803432	0	5216970	5437333	-220363
		2011-12	5626184	5629941	-3757	5278797	5333684	-54887
		2012-13	5497005	5499216	-2211	4946744	5133634	-186890
		2013-14	5497590	5305703	191887	5062641	5198729	-136088
12.	केरल	2009-10	3231841	3218834	13007	2902204	2902204	0
		2010-11	3176189	3171823	4366	2781617	2779118	2499
		2011-12	2998822	2998822	0	2687079	2676214	10865
		2012-13	2866533	2866533	0	2632537	2632539	-2
		2013-14	2569408	2771165	-201757	2569405	2569408	-3
13.	महाराष्ट्र	2009-10	13573254	13573254	0	12187761	13492651	-1304890
		2010-11	13383273	13383273	0	10634199	13345379	-2711180
		2011-12	13383283	13074232	309051	10868151	12889554	-2021403
		2012-13	12981909	12515050	466859	10453018	12341929	-1888911
		2013-14	12029406	12029406	0	10620633	11962194	-1341561
14.	मणिपुर	2009-10	268684	268684	0	225718	225718	0
		2010-11	234328	234328	0	230135	229215	920
		2011-12	231801	231801	0	197854	196487	1367
		2012-13	230555	230555	0	184444	181384	3060
		2013-14	232777	232777	0	186063	186685	-622
15.	नागालैंड	2009-10	273367	273367	0	273367	223495	49872
		2010-11	297061	296061	1000	297061	221382	75679
		2011-12	277156	278192	-1036	277156	240000	37156
		2012-13	260962	269678	-8716	260962	260300	662
		2013-14	277616	266375	11241	277616	259285	18331
16.	ओडिशा	2009-10	5687698	5687698	0	5525792	5229051	296741
		2010-11	6063300	6063300	0	5227152	4687521	539631

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

		2011-12	5921688	5921688	0	4837061	5443406	-606345
		2012-13	5841662	5817898	23764	5129182	5199164	-69982
		2013-14	5839626	5689666	149960	5129661	5421728	-292067
17.	पंजाब	2009-10	2076675	2007111	69564	1855841	1862899	-7058
		2010-11	2080999	2111366	-30367	1753660	1727366	26294
		2011-12	2126165	2098582	27583	1810346	1880946	-70600
		2012-13	2103265	2123283	-20018	1760112	1769171	-9059
		2013-14	2024340	2000023	24317	1721353	1616808	104545
18.	राजस्थान	2009-10	7493701	7493701	0	5982376	5593017	389359
		2010-11	7340556	7340556	0	5781398	5921159	-139761
		2011-12	7340544	7357695	-17151	5765230	5545314	219916
		2012-13	7357695	6968561	389134	5067599	5523997	-456398
		2013-14	6968561	6770832	197729	5647163	4651931	995232
19.	सिक्किम	2009-10	96498	96498	0	89432	90202	-770
		2010-11	102633	102633	0	94855	94949	-94
		2011-12	99704	99949	-245	90582	91396	-814
		2012-13	87750	93280	-5530	83960	84934	-974
		2013-14	94072	94334	-262	84591	85963	-1372
20.	तमिलनाडु	2009-10	5881120	6007070	-125950	5026843	4904646	122197
		2010-11	5463959	5044102	419857	4274715	4436343	-161628
		2011-12	5525299	5525299	0	4129238	4379223	-249985
21.	त्रिपुरा	2009-10	658697	658697	0	468621	658697	-190076
		2010-11	591248	634034	-42786	435093	634034	-198941
		2011-12	577517	591248	-13731	442619	591248	-148629
		2012-13	591667	577517	14150	432497	577517	-145020
		2013-14	591669	591669	0	355120	591669	-236549
22.	उत्तराखंड	2009-10	1065832	1141262	-75430	850551	1086194	-235643
		2010-11	1011040	1071532	-60492	801909	1071532	-269623
		2011-12	977626	1011040	-33414	807164	1011040	-203876
		2012-13	930827	977626	-46799	701926	977626	-275700
		2013-14	904827	930827	-26000	732546	930827	-198281
23.	उत्तर प्रदेश	2009-10	20345456	20345463	-7	12713580	20345463	-7631883
		2010-11	21003082	21003082	0	11314277	21003082	-9688805
		2011-12	20378166	20343102	35064	11610848	20343102	-8732254
		2012-13	19980297	20097201	-116904	10711138	20097201	-9386063
		2013-14	19809243	19824273	-15030	10956794	19824273	-8867479
24.	पश्चिम बंगाल	2009-10	14266673	13436806	829867	9216678	10768605	-1551927
		2010-11	14582646	14556572	26074	9503404	11889860	-2386456
		2011-12	13686162	13620955	65207	12180117	11672306	507811
		2012-13	13456526	13369801	86725	12201816	12169033	32783
		2013-14	13027485	12790445	237040	12218240	12322819	-104579
25.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	2009-10	45769	45769	0	36900	32192	4708
		2010-11	41705	41705	0	32449	32450	-1
		2011-12	41705	40715	990	31745	31745	0

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

		2012-13	38732	38732	0	27977	29791	-1814
		2013-14	38960	37553	1407	29357	29060	297
26.	चंडीगढ़	2009-10	107238	103622	3616	61311	59301	2010
		2010-11	107238	107238	0	58182	58182	0
		2011-12	106533	106533	0	53940	54404	-464
		2012-13	106533	106773	-240	46105	52565	-6460
		2013-14	108818	107458	1360	50868	51364	-496
		2009-10	44736	44736	0	35261	31677	3584
27.	दा.एवं.ना. हवेली	2010-11	50038	50038	0	34569	35807	-1238
		2011-12	50108	50199	-91	36067	36430	-363
		2012-13	46027	46027	0	35644	35838	-194
		2013-14	44702	44716	-14	35156	34806	350
		2009-10	18170	18170	0	15227	14869	358
28.	दमन एवं दीव	2010-11	19482	19482	0	15298	15340	-42
		2011-12	19584	19703	-119	15449	15548	-99
		2012-13	19513	19636	-123	14806	15336	-530
		2013-14	19031	19156	-125	14742	14404	338
		2009-10	1873483	1873483	0	1318353	1311438	6915
29.	दिल्ली	2010-11	1832048	1621208	210840	1150332	1167270	-16938
		2011-12	1820800	1820800	0	1233472	1238144	-4672
		2012-13	1874507	1874507	0	1186555	1218430	-31875
		2013-14	1852455	1845664	6791	1125974	1199682	-73708
		2009-10	10323	10323	0	10192	10154	38
30.	लक्षद्वीप	2011-12	9760	9542	218	9485	9485	0
		2012-13	9537	9503	34	9520	9450	70
		2013-14	8012	8015	-3	7818	7756	62
		2009-10	101572	101572	0	91298	95028	-3730
31.	पुदुचेरी	2010-11	98803	99249	-446	88138	88900	-762
		2011-12	88211	88211	0	79472	82210	-2738
		2012-13	79761	73016	6745	52510	71430	-18920
		2013-14	69168	66879	2289	58231	53667	4564

अनुबंध-IV

(पैराग्राफ 3.1 के संदर्भ में)

आवंटित अनाज तथा उठाये गये अनाज का राज्य वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	वर्ष	नामांकित बच्चों की सं.		आवंटित अनाज (एम.टी. में)	उठाये गये अनाज (एम.टी. में)	उठाये जाने की प्रतिशतता
			प्राथमिक	उच्चतर प्राथमिक			
1.	आंध्र प्रदेश	2009-10	4546650	2496615	161014.37	160030.06	99.00
		2010-11	4590771	2496615	155279.01	140428.97	90.00
		2011-12	4227205	2149089	165489.00	157214.96	95.00
		2012-13	4123057	2030011	149793.25	128798.68	86.00
		2013-14	3985038	2322594	139256.85	130728.75	94.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2009-10	201463	68100	4233.48	2421.83	57.00
		2010-11	201855	70747	4544.67	5928.39	130.00
		2011-12	201755	72476	6677.00	7530.00	113.00
		2012-13	202620	74111	6611.00	6580.31	100.00
		2013-14	192846	73825	6625.00	6598.95	100.00
3.	असम	2009-10	3244364	178747	91284.45	60307.30	66.00
		2010-11	3518294	2188166	102808.06	88976.10	87.00
		2011-12	3649013	1611448	127802.00	100327.16	79.00
		2012-13	3445133	1635059	121752.26	95152.17	78.00
		2013-14	3394936	1598940	116360.10	99261.84	85.00
4.	बिहार	2009-10	14476688	4271215	285356.91	217651.22	76.00
		2010-11	14476688	4221661	298568.13	170882.14	57.00
		2011-12	15253464	5244628	284847.00	149348.92	52.00
		2012-13	14195644	5365579	261406.13	239559.99	92.00
		2013-14	14151915	5762204	337642.08	285104.16	84.00
5.	छत्तीसगढ़	2009-10	2925817	1141534	91602.95	80238.95	88.00
		2010-11	3156343	1366404	92726.79	86341.60	93.00
		2011-12	3170011	1341239	105703.00	97310.95	92.00
		2012-13	2462193	1414078	103871.64	91007.96	88.00
		2013-14	2308729	1398861	95151.10	76747.11	81.00
6.	गोवा	2009-10	74773	89679	4567.76	3334.38	73.00
		2010-11	99791	69239	4203.00	4004.66	95.00
		2011-12	95860	69718	4257.00	4213.26	99.00
		2012-13	93749	70735	4114.00	3670.80	89.00
		2013-14	92645	64438	3938.00	3938.02	100.00
7.	गुजरात	2009-10	4605620	1515879	97840.63	91500.70	94.00

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

		2010-11	4356569	1811665	104360.06	77748.43	75.00
		2011-12	4367392	1906624	111571.00	86618.06	78.00
		2012-13	4225492	2052697	117624.29	100425.97	85.00
		2013-14	3859101	2281273	121079.07	109319.95	90.00
8.	हरियाणा	2009-10	1529978	693988	55926.60	30172.42	54.00
		2010-11	1478887	687805	53806.61	25010.21	46.00
		2011-12	1449617	699807	54333.00	43306.28	80.00
		2012-13	1409458	731655	60413.37	45986.38	76.00
		2013-14	1260814	772984	59057.35	43848.86	74.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2009-10	445093	330170	23520.86	20855.70	89.00
		2010-11	426658	314611	20987.61	19892.88	95.00
		2011-12	408900	296813	21120.00	20423.74	97.00
		2012-13	382729	269926	19323.70	19792.52	102.00
		2013-14	364957	260537	18029.00	17002.06	94.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	2009-10	895367	405125	27500.24	24633.68	90.00
		2010-11	870717	421041	26730.00	16290.62	61.00
		2011-12	856793	417321	25308.00	17422.07	69.00
		2012-13	809672	408677	26978.78	22288.18	83.00
		2013-14	742300	359202	28212.00	17652.98	63.00
11.	झारखंड	2009-10	4688484	1346315	97415.10	83383.91	87.00
		2010-11	4321982	1388713	118521.43	100588.85	85.00
		2011-12	4083227	1452968	97052.00	78452.27	81.00
		2012-13	3878324	1497036	97005.16	84997.68	88.00
		2013-14	3775843	1504465	97125.34	76959.76	79.00
12.	कर्नाटक	2009-10	4008796	2274289	145492.01	123280.46	85.00
		2010-11	3658212	2145220	141153.49	123964.36	88.00
		2011-12	3528193	2097991	147394.00	124747.84	85.00
		2012-13	3405362	2091643	150083.53	136586.04	91.00
		2013-14	3406736	2090854	141796.70	126064.01	89.00
13.	केरल	2009-10	1870576	1361265	73096.99	55322.04	76.00
		2010-11	1842832	1333357	72453.47	67504.94	93.00
		2011-12	1702348	1296474	70005.00	61637.71	88.00
		2012-13	1643914	1222619	67731.00	61136.85	90.00
		2013-14	1542347	1027061	66610.00	59062.43	89.00
14.	मध्य प्रदेश	2009-10	7981500	3106522	254151.26	233808.10	92.00
		2010-11	7809296	3309664	233006.00	232068.98	100.00
		2011-12	7352733	3449546	236888.00	213439.94	90.00
		2012-13	7352733	3449546	232297.09	210086.49	90.00
		2013-14	6490497	3471829	221314.46	185383.55	84.00
15.	महाराष्ट्र	2009-10	8761094	4812160	328358.51	274550.51	84.00

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

		2010-11	8480928	4902345	343044.00	251301.16	73.00
		2011-12	8480971	4902312	300879.00	248426.04	83.00
		2012-13	8132569	4849340	297172.53	265684.00	89.00
		2013-14	7405477	4623929	286570.38	258514.46	90.00
16.	मणिपुर	2009-10	210692	57992	6566.95	4854.57	74.00
		2010-11	193111	41217	6391.00	5769.74	90.00
		2011-12	189866	41935	4678.00	3508.85	75.00
		2012-13	187622	42933	5175.60	4259.10	82.00
		2013-14	189482	43295	5400.00	4964.71	92.00
17.	मेघालय	2009-10	377079	131725	11479.70	10989.75	96.00
		2010-11	434482	134666	11049.85	8462.16	77.00
		2011-12	430846	169776	11856.00	11469.00	97.00
		2012-13	407997	157970	12620.00	12589.84	100.00
		2013-14	407997	157970	12378.91	12378.88	100.00
18.	नागालैंड	2009-10	210268	63099	4896.31	4634.26	95.00
		2010-11	230010	67051	6227.56	6570.21	106.00
		2011-12	220829	56327	5828.00	6945.99	119.00
		2012-13	209822	51140	6326.70	5227.93	83.00
		2013-14	220457	57159	6297.83	6297.84	100.00
19.	ओडिशा	2009-10	3961686	1726012	140840.14	133311.59	95.00
		2010-11	4129953	1933347	140467.03	114697.91	82.00
		2011-12	4038760	1882928	145194.00	125600.61	87.00
		2012-13	3835632	2006030	138963.08	131796.54	95.00
		2013-14	3835632	2003994	147176.87	136443.67	93.00
20.	पंजाब	2009-10	1325592	751083	50318.17	37258.12	74.00
		2010-11	1301895	779104	48513.00	43253.12	89.00
		2011-12	1337964	788201	53399.00	53442.39	100.00
		2012-13	1284134	819131	54231.75	49718.24	92.00
		2013-14	1230991	793349	53492.07	43590.51	81.00
21.	राजस्थान	2009-10	5410877	2082824	161520.80	130025.93	81.00
		2010-11	5280753	2059803	163858.26	154416.92	94.00
		2011-12	5280741	2059803	167010.00	136306.76	82.00
		2012-13	5199533	2158162	147638.01	125443.94	85.00
		2013-14	4895026	2073535	149164.54	109630.53	73.00
22.	सिक्किम	2009-10	67707	28791	2259.96	2259.50	100.00
		2010-11	72846	29787	2241.40	2241.40	100.00
		2011-12	64920	34784	2497.00	2491.77	100.00
		2012-13	51064	36686	2492.60	2477.62	99.00
		2013-14	57357	36715	2396.49	2396.50	100.00
23.	तमिलनाडु	2009-10	3577489	2303631	126374.04	91887.01	73.00
		2010-11	3251355	2212604	131215.71	104590.98	78.00

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

		2011-12	3215198	2310101	116498.00	77618.36	67.00
		2012-13	3028036	2367004	117202.36	94999.47	81.00
		2013-14	3058766	2442603	122766.34	109403.70	89.00
24.	त्रिपुरा	2009-10	449353	209344	7949.63	5230.84	66.00
		2010-11	382137	209111	12512.00	12361.38	999.00
		2011-12	370566	206951	11960.00	10569.80	88.00
		2012-13	364480	227187	11822.00	10494.20	89.00
		2013-14	364480	227189	10560.45	8351.49	79.00
25.	उत्तराखंड	2009-10	670282	395550	29945.13	20840.45	70.00
		2010-11	624441	386599	23759.00	21134.39	89.00
		2011-12	593875	383751	24365.00	21655.81	89.00
		2012-13	554477	376350	24623.51	22777.52	93.00
		2013-14	536544	368283	24828.68	21460.22	86.00
26.	उत्तर प्रदेश	2009-10	15865317	4480139	342361.75	285744.41	83.00
		2010-11	15170833	5832249	341418.83	299531.46	88.00
		2011-12	14505991	5872175	305424.00	249596.27	82.00
		2012-13	14087769	5892528	331662.02	296293.03	89.00
		2013-14	13805026	6004217	341186.28	275596.01	81.00
27.	पश्चिम बंगाल	2009-10	9577058	4689615	267043.54	163530.07	61.00
		2010-11	9503055	5079591	232026.28	161608.11	70.00
		2011-12	8945688	4740474	266833.00	179190.62	67.00
		2012-13	8417916	5038610	313816.17	214510.44	68.00
		2013-14	8147291	4880194	322832.03	203298.84	63.00
28.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	2009-10	26684	19085	1223.79	1223.79	100.00
		2010-11	24169	17536	935.00	547.77	59.00
		2011-12	24169	17536	880.00	853.28	97.00
		2012-13	22657	16075	935.00	898.20	96.00
		2013-14	22885	16075	852.50	708.51	83.00
29.	चंडीगढ़	2009-10	70390	36848	1999.29	972.01	49.00
		2010-11	70390	36848	1745.77	1163.07	67.00
		2011-12	66364	40169	1635.00	930.40	57.00
		2012-13	66364	40169	1545.60	907.80	59.00
		2013-14	66364	42454	1545.60	910.00	59.00
30.	दा. एवं ना. हवेली	2009-10	34053	10683	793.58	697.81	88.00
		2010-11	33445	16593	873.14	844.79	97.00
		2011-12	32445	17663	872.00	867.35	99.00
		2012-13	27139	18888	1038.40	935.95	90.00
		2013-14	25447	19255	1074.69	952.39	89.00
31.	दमन एवं दीव	2009-10	13179	4991	467.25	315.29	67.00
		2010-11	11992	7490	477.30	370.13	78.00
		2011-12	11916	7668	408.00	357.02	87.00

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

		2012-13	11837	7676	434.50	424.51	98.00
		2013-14	11385	7646	404.53	358.43	89.00
32.	दिल्ली	2009-10	1175365	698118	41453.69	25595.65	62.00
		2010-11	1169709	662339	77050.00	28382.62	77.00
		2011-12	1152596	668204	35400.00	30536.83	86.00
		2012-13	1161129	713378	32937.00	27501.69	83.00
		2013-14	1140732	711723	29957.40	30950.87	103.00
33.	लक्षद्वीप	2009-10	6791	3532	278.83	0.00	0.00
		2010-11	5999	4022	268.40	0.00	0.00
		2011-12	5684	4076	245.00	0.00	0.00
		2012-13	5412	4125	255.20	0.00	0.00
		2013-14	4605	3407	247.12	269.89	109.00
34.	पुदुचेरी	2009-10	55176	46396	2413.84	2332.57	97.00
		2010-11	53357	45446	2444.28	1583.29	65.00
		2011-12	45790	42421	2315.00	1604.27	69.00
		2012-13	40330	39431	2220.90	1625.94	73.00
		2013-14	35748	33420	1912.87	1387.80	73.00

अनुबंध-V

आवंटित तथा उठाये गये अनाजों में परिवर्तन का विवरण

(पैराग्राफ 3.2 के संदर्भ में)

क्र.सं.	राज्य/के.शा.क्षे.	आवंटित	उठायी गयी	उठायी गयी	अंतर (एम.टी. में) (+) (-)
		अनाजे (एम.टी. में)	अनाजें (एम.टी. में)	अनाजें (एम.टी. में)	
		मंत्रालय के अनुसार	मंत्रालय के अनुसार	राज्यों के अनुसार	
1.	आंध्र प्रदेश	770832.48	717201.42	662395.00	54806.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	28691.15	29059.48	30048.58	-989.10
3.	असम	560006.87	444024.57	418320.39	25704.18
4.	बिहार	1467820.25	1062546.43	1163366.92	100820.49
5.	छत्तीसगढ़	489055.48	431646.57	434259.21	-2612.64
6.	गोवा	21079.76	19161.12	19293.36	-132.24
7.	गुजरात	552475.05	465613.11	493154.08	-27540.97
8.	हरियाणा	283536.93	188324.15	192674.94	-4350.79
9.	हिमाचल प्रदेश	102981.17	97966.90	94736.02	3230.88
10.	जम्मू एवं कश्मीर	134729.02	98287.53	90320.88	7966.65
11.	झारखंड	507119.03	424382.47	424746.1	-363.63
12.	कर्नाटक	725919.73	634642.71	635527.49	-884.78
13.	केरल	349896.46	304663.97	उ.न.	उ.न.
14.	मध्य प्रदेश	1177656.81	1074787.06	1080157.44	-5370.38
15.	महाराष्ट्र	1556024.42	1298476.17	उ.न.	उ.न.
16.	मणिपुर	28211.55	23356.97	23805.86	-448.89
17.	मेघालय	59384.46	55889.63	55732.42	157.21
18.	नागालैंड	29576.4	29676.23	29607.78	68.45
19.	ओडिशा	712641.12	641850.32	616050.34	25799.98
20.	पंजाब	259953.99	227262.38	235698.17	-8435.79
21.	राजस्थान	789191.61	655824.08	660763	-4938.92
22.	सिक्किम	11887.45	11866.79	11867.24	-0.45
23.	तमिलनाडु	614056.45	478499.52	477778.33	721.19
24.	त्रिपुरा	54804.08	47007.71	46676.87	330.84
25.	उत्तराखंड	127521.32	107868.39	107871.43	-3.04
26.	उत्तर प्रदेश	1662052.88	1406761.18	1404756.8	2004.38
27.	पश्चिम बंगाल	1402551.02	922138.02	उ.न.	उ.न.
28.	अं.एवं नि. द्वीप समूह	4826.29	4231.55	4790.49	-558.94
29.	चंडीगढ़	8471.26	4883.28	4882.74	0.54
30.	दा.एवं.ना. हवेली	4651.81	4298.29	3062.47	1235.82

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

31.	दमन एवं दीव	2191.51	1825.38	1828.16	-2.78
32.	दिल्ली	216798.09	142967.66	140341.5	2626.16
33.	लक्षद्वीप	1294.55	269.89	उ.न.	उ.न.
34.	पुदुचेरी	11306.89	8533.87	8586.23	-52.36

अनुबंध-VI

(पैराग्राफ 3.5 के संदर्भ में)

पके हुए भोजन को परोसने में विघटन

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणियां
1.	आंध्र प्रदेश	चावल की अनुपलब्धता तथा कार्यान्वयन अभिकरण की अनुपस्थिति आदि के कारण 1 से 148 दिनों के लिए 120 नमूना परीक्षित स्कूलों में पका हुआ भोजन प्रदान नहीं किया गया था।
2.	असम	खाद्यान्नों की कमी, भोजन पकाने की लागत की अनुपस्थिति तथा स्थानीय बंदों आदि के कारण क्रमशः निम्न प्राथमिक (एल.पी.) एवं उच्चतर प्राथमिक (यू.पी.) स्कूलों के लिए 210 एवं 220 दिनों के लक्ष्य के प्रति 41 से 107 दिनों तथा निम्न प्राथमिक (एल.पी.) के मामले में 53 से 78 दिनों तक की अवधि के लिए 120 नमूना परीक्षित स्कूलों में पका हुआ भोजन प्रदान नहीं किया गया था।
3.	बिहार	2009-13 के दौरान, 180 नमूना परीक्षित स्कूलों में से, स्कूली स्तर पर परिवर्तन लागत एवं खाद्यान्नों की अनु-उपलब्धता के कारण 25 से 81 स्कूलों में 100 दिनों से कम के लिए एम.डी.एम. परोसा गया था। यद्यपि खाद्यान्नों एवं निधियों की कमी के कारण मार्च 2013 और मार्च 2014 के नमूना परीक्षित महीनों में 407 और 240 स्कूलों में एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था।
4.	छत्तीसगढ़	2009-10 से 2013-14 के दौरान 230-240 दिनों के लिए एम.डी.एम प्रदान किया जना था। 120 नमूना परीक्षित स्कूलों में 1 से लेकर 140 दिनों तक की अवधि के लिए पका हुआ भोजन प्रदान नहीं किया गया था। इस प्रकार, 120 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 49 से 88 प्रतिशत स्कूलों में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि खाद्यान्नों की अनुपलब्धता तथा रसोइया सह सहायक की अनुपस्थिति के कारण 2009-14 के दौरान 120 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 1 से 21 स्कूलों में न्यूनतम 200 दिनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश के अनुसार भोजन परोसा नहीं गया था।
5.	जम्मू एवं कश्मीर	2011-12 के दौरान 220 कार्य दिवसों के प्रति 22 जिलों में पका हुआ भोजन केवल 116 तथा 217 दिनों के बीच ही परोसा गया था।
6.	झारखंड	शिक्षकों की हड़ताल, खाद्यान्नों की कमी, पकाने की लागत तथा वी.ई.सी. सदस्यों में झगड़े के कारण 2009-14 के दौरान 6345 स्कूली दिवसों (छात्रा जिलों जहां एम.डी.एम बिल्कुल भी परोसे नहीं गए थे, में दो चयनित स्कूलों के लिए 694 स्कूल दिवसों को मिलाकर)
7.	केरल	60 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 18 में एम.डी.एम. बाधित हुई थी। 2009-2014 के दौरान 136 दिनों तक एक स्कूल में बाध्यता रही थी।
8.	मध्य प्रदेश	2009-14 के दौरान 8668 स्कूल कार्य दिवसों पर 300 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 88 स्कूलों (9 जिलों) में पका हुआ भोजन प्रदान नहीं किया गया था।
9.	महाराष्ट्र	149 नमूना परीक्षित स्कूलों में, ब्लॉक स्तर पर विलंब के कारण तथा खाद्यान्नों की गैर-प्राप्ति के कारण 1 से लेकर 239 दिनों तक की अवधि के लिए व्यवधान

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

		पाया गया था तथा एक वर्ष में सभी कार्य दिवसों में पका हुआ भोजन प्रदान नहीं किया गया था।
10.	मेघालय	2009-14 के दौरान, बच्चों को भोजन न परोसे जाने वाले दिनों की औसतन संख्या प्राथमिक स्तर पर 33 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 37 दिन थे। 60 दिनों की नमूना जांच में से 15 स्कूल हफ्ते में 3 से 4 दिनों के लिए एम.डी.एम. प्रदान कर रहे थे जबकि 28 स्कूलों ने बताया कि खाद्यान्नों की उपलब्धता के आधार पर पका हुआ भोजन प्रदान किया गया था।
11.	नागालैंड	60 नमूना परीक्षित स्कूलों में पका हुआ भोजन एक माह में 1 से 20 दिनों तक परोसा गया था जबकि 55 स्कूलों में प्रमुख अध्यापकों ने बताया कि पका हुआ भोजन सभी स्कूली कार्य दिवसों पर परोसा नहीं गया था।
12.	ओडिशा	148 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 47 में चावल के साथ साथ रसोइया-सह-सहायक की अनुपलब्धता के कारण 2009-14 के दौरान 101 से लेकर 310 दिनों तक 10 स्कूलों में तथा 1 से लेकर 100 दिनों तक पका हुआ भोजन बाधित हुआ था।
13.	पंजाब	90 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 20 में 2009-14 के दौरान खाद्यान्नों एवं पकाने की लागत की अनुपलब्धता के कारण 1800 दिनों के लिए भोजन प्रदान नहीं किया गया था।
14.	राजस्थान	143 नमूना परीक्षित स्कूलों में 7543 दिनों (5.05 प्रतिशत) के लिए भोजन प्रदान नहीं किया गया था जबकि 2009-14 के दौरान 149195 दिनों के लिए स्कूल खुले हुए थे।
15.	त्रिपुरा	2011-12 से 2013-14 के दौरान 1 से 6 महीनों की अवधि के लिए 339 स्कूलों में 19348 बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान नहीं किया गया था।
16.	उत्तर प्रदेश	360 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 235 में, 1 से लेकर 228 दिनों (औसत 32 दिन) के लिए पके हुए भोजन को परोसने में व्यवधान हुआ था। व्यवधान के लिए कारणों का न तो किसी स्तर पर विश्लेषण हुआ था और न ही किसी नमूना परीक्षित जिले/स्कूलों में किसी जिम्मेदार अधिकारी के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
17.	उत्तराखंड	1 से 53 दिनों की अवधि के लिए 60 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 23 में पका हुआ भोजन प्रदान नहीं किया गया था।
18.	पश्चिम बंगाल	90 स्कूलों में से 88 में सभी कार्य दिवसों पर एम.डी.एम. परोसा नहीं गया था तथा 2 स्कूलों में एम.डी.एम. की शुरुआत नहीं हुई थी।
19.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	60 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 27 में पका हुआ भोजन 856 कार्य दिवसों को प्रदान नहीं किया गया था।
20.	दिल्ली	2009-14 के दौरान, प्राथमिक स्कूलों के मामले में, 210 कार्य दिवसों के लक्ष्य के प्रति, कुल 200 मामलों में से 169 मामलों में परोसे गए एम.डी.एम. के दिनों की औसतन संख्या 179 से 209 कार्य दिवसों तक थी। उच्च प्राथमिक स्कूलों के मामले में 220 दिनों (2009-10 में 210 दिन) के लक्ष्य के मुकाबले, यह 76 मामलों में 160 और 206 कामकाज दिनों के बीच था

अनुबंध-VII
(पैराग्राफ 3.6.1 के संदर्भ में)
सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणियां
1.	बिहार	राज्य में क्षेत्र विशिष्ट कमी के बारे में विभाग को पता नहीं था। पांच नमूना परीक्षित जिलों (कटिहार जिले को छोड़कर) में 2009-14 के दौरान न तो सूक्ष्म पोषको और अनुपूरकों का प्रबंधन किया गया था और न ही स्वास्थ्य जांच की गई थी। हालांकि, कटिहार जिले में एक स्वास्थ्य जांच की गई थी तथा डिवर्मिंग दवाइयों एवं आयरन एवं फोलिक एसिड जैसी अनुपूरक दवाइयों का 2013-14 में केवल एक बार प्रबंधन किया गया था, जबकि इसी अपेक्षित खुराक (आयरन एवं फॉलिक एसिड टेबलेटों के लिए साप्ताहिक खुराक तथा डिवर्मिंग टेबलेटों के लिए छः माह की खुराकें) को किसी वर्ष में दी नहीं गयी थी।
2.	छत्तीसगढ़	स्कूलों के भौतिक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया था कि निर्धारित सूक्ष्म-पोषक अनुपूरकों को दिए जाने से संबंधित अभिलेखों को अनुरक्षित नहीं किया गया था।
3.	गोवा	60 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 18 स्कूलों में सूक्ष्म अनुपूरक प्रदान नहीं किए गए थे और जिन 42 स्कूलों में प्रदान किया गया था वहाँ नियमित रूप से प्रदान नहीं किया गया था। साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक एसिड टेबलेटों को केवल 2013-14 से संवितरित किया गया था, हालांकि, उसके विवरण अनुरक्षित नहीं किए गए थे। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक की रिपोर्ट के अनुसार, साप्ताहिक रूप से आयरन एवं फॉलिक एसिड टेबलेटों के संवितरण का कार्यक्रम 2013-14 से शुरू किया गया था तथा राज्य के केवल 139 स्कूल कवर किए गए थे।
4.	हरियाणा	2011-12 की अंतिम तिमाही को छोड़कर जिसमें यह दर्शाया गया था कि 15,596 में से केवल 7,795 स्कूलों को पोषण प्रदान किया गया था, विभाग ने 2009-14 के दौरान बच्चों को निर्धारित सूक्ष्म-पोषक तत्वों तथा डिवर्मिंग दवाइयों प्रदान नहीं की थी।
5.	कर्नाटक	चार नमूना परीक्षित जिलों में 2009-10 से 2013-14 के दौरान कुल 28.98 लाख नामांकित बच्चों में से, 6.13 लाख बच्चों, 12 लाख बच्चों तथा 21.82 लाख बच्चों को क्रमशः विटामिन ए टेबलेट, एलबेन्डाजोल तथा आयरन एवं फॉलिक एसिड नहीं दी थी।
6.	केरल	60 नमूना परीक्षित स्कूलों में से 42 स्कूलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों डिवर्मिंग दवाइयों आदि को प्रदान नहीं किया गया था केवल 2013-14 के दौरान केवल 15 स्कूलों में मासिक आयरन एवं फॉलिक एसिड अनुपूरक प्रदान किया गया था।
7.	मध्य प्रदेश	नमूना-जांच किए गए 300 में से 53 विद्यालयों में 186 बच्चे सूक्ष्म-पोषक पाए गए थे, उनमें विटामिन 'ए' की कमी थी अथवा वे अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त थे। परन्तु सूक्ष्म-पोषक की खुराक केवल 42 विद्यालयों में बांटी गई थी।
8.	महाराष्ट्र	लेखापरीक्षा हेतु जांच किए गए 149 विद्यालयों ने 2009-14 के दौरान सूक्ष्म-पोषक/आयरन एवं फोलिक एसिड (आई.एफ.ए) प्राप्त और वितरित किए थे, तथापि प्राप्ति और वितरण के अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिसके

		परिणामस्वरूप यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या बच्चों को अपेक्षित खुराक समुचित ढंग से बांटी गई थी।
9.	मेघालय	नमून- जांच किए गए 41 विद्यालयों (68 प्रतिशत) में डी-वॉर्मिंग, विटामिन-ए तथा साप्ताहिक खुराकों जैसे आयरन एवं फोलिक एसिड, जिंक, आदि की छः मासिक खुराक बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
10.	राजस्थान	डी-वॉर्मिंग गोलियों की व्यवस्था में औसत कमी 38.73 प्रतिशत विटामिन ए: 51.73 प्रतिशत, आइरन-फोलिक एसिड: 38.26 प्रतिशत, विद्यालयों में चिकित्सा कैम्पों की व्यवस्था: 33.07 प्रतिशत
11.	त्रिपुरा	यह देखा गया था कि जबकि विटमिन ए की गोलियां बच्चों को बिल्कुल बांटी ही नहीं गई थी, 2011-12 में एलबेन्डाजोल गोलियों की आपूर्ति में (42 प्रतिशत) तथा 2009-10 में आई.एफ.ए. गोलियों में 91 प्रतिशत तथा 2013-14 में 69 प्रतिशत की कमी थी। यह भी देखा गया था कि वर्ष 2013 तथा 2014 में एलबेन्डाजोल तथा आई.एफ.ए. गोलियों के ऊपरी भाग पर कुछ स्पॉट और क्रेक देखे गए थे जिसके परिणामस्वरूप इस जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति ने जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारियों को इन गोलियों का प्रयोग बन्द करने का अनुरोध किया (सितम्बर 2013 एवं अप्रैल 2014) परन्तु इसी बीच छः नमूना-जांच किए गए विद्यालयों में यह देखा गया कि आई.एस. ने बच्चों को सूक्ष्म-पोषक बांट दिए थे। तथापि, बच्चों पर उन खराब सूक्ष्म-पोषकों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।
12.	उत्तर प्रदेश	नमूना जांच किए गए 360 में से 161 विद्यालयों ने 2009-14 के दौरान अपने विद्यार्थियों को आइरन एवं फोलिक एसिड, जिंक तथा विटामिन ए की गोलियां कमी उपलब्ध नहीं कराई थी। तथापि, 87 विद्यालयों ने पांच वर्ष की समस्त अवधि के दौरान ये सूक्ष्म-पोषक एक से तीन बार उपलब्ध कराए थे। ये सूक्ष्म-पोषक बच्चों को पोषण कमियों की जांच किए बिना ही उपलब्ध कराए गए थे। निर्धारित छःमाही खुराकों के प्रति, 181 विद्यालयों ने 2009-14 के दौरान अपने विद्यार्थियों को कमी भी डी-वॉर्मिंग गोलियां नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त, 171 विद्यालयों ने पांच वर्ष की समस्त अवधि के दौरान एक बार, दो बार तथा तीन बार दी थी।
13.	उत्तराखंड	एम.डी.एम. कार्यक्रम को "चिरआयु" कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अन्तर्गत अगस्त 2010 में शुरू किया गया था, के अन्तर्गत सूक्ष्म-पोषक पूरकों तथा डी-वॉर्मिंग से संबंधित स्वास्थ्य हस्तक्षेप के साथ पूरा किया गया था। चयनित जिलों में, 2010-14 की अवधि के दौरान 'चिरआयु' कार्यक्रम के अन्तर्गत अलमोड़ा और टिहरी में क्रमशः केवल 40 प्रतिशत तथा 39 प्रतिशत विद्यालय ही आते थे।
14.	अं.एवं नि. द्वीप समूह	नमूना-जांच किए गए विद्यालयों में यह देखा गया था कि डी-वॉर्मिंग की छःमाही खुराके 12 विद्यालयों में नियमित रूप से नहीं बांटी गई थी तथा छः विद्यालयों में बिल्कुल बांटी ही नहीं गई थी। इसी प्रकार, साप्ताहिक आइरन एवं फालिक एसिड पूरक 11 विद्यालयों में नियमित रूप से नहीं बांटे गए थे तथा चार विद्यालयों में बिल्कुल बांटे ही नहीं गए थे। बच्चों को जिंक के नियमित वितरण के संबंध में, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने केवल डायरिया से ग्रस्त बच्चों के लिए ही जिंक की सिफारिश की थी न कि नेमी पूरक के रूप में।
15.	चंडीगढ़	लेखापरीक्षा ने देखा कि बच्चों में पोषण की स्थिति के घटने के बावजूद, सूक्ष्म-पोषक पूरक अपर्याप्त थे क्योंकि केवल 26 प्रतिशत (2012-13) से 69 प्रतिशत (2011-

		12) बच्चों को ही आर्इरन/फोलिक/जिंक पूरक ही दिए गए थे। 2009-10 से 2013-14 के दौरान डी-वॉर्मिंग औषधियों का वितरण नामांकित बच्चों के 25 प्रतिशत (2010-11) से 75 प्रतिशत (2011-12) के बीच था।
16.	दिल्ली	25 विद्यालयों में आर्इरन एवं फॉलिक एसिड पूरक साप्ताहिक के बजाए केवल 1 से 5 बार दिए गए थे तथा 45 विद्यालयों में डी-वॉर्मिंग की गोलियां 2009-14 के दौरान छःमाही के प्रति केवल 1 से 5 बार दी गई थीं। 10 विद्यालयों में गोलियों के वितरण के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
17.	पुदुचेरी	नमूना-जांच किए गए 60 विद्यालयों में, यह देखा गया था कि 2009-14 के दौरान 2107 विद्यार्थियों का भार कम पाया गया था तथा 969 विद्यार्थी रक्तहीनता से पीड़ित थे। यह भी देखा गया था कि जिन विद्यार्थियों की कम-भार तथा रक्तहीनता की पहचान की गई थी, उन्हें समुचित पूरक औषधियां नहीं दी गई थीं।

अनुबंध-VIII

(पैराग्राफ सं. 3.6.6 देखें)

दिए गए भोजन का उष्मीय-मान

क्र.सं.	राज्य	टिपणी																													
1.	अरुणाचल प्रदेश	<p>अभिलेखों से पता चला कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरों में दालों/दाल की क्रमशः 20 एवं 30 ग्राम की अपेक्षित मात्रा के प्रति 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान भोजन में प्रदत्त दालों/दाल की मात्रा क्रमशः केवल 0.18 से 0.20 ग्राम और 0.19 से 0.30 ग्राम थी।</p> <p>इसी प्रकार, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों में तेल/वसा की 5 एवं 7.5 ग्राम प्रति दिन की अपेक्षित मात्रा के प्रति 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान क्रमशः 1.91 से 4.13 ग्राम और 1.71 से 5.91 ग्राम प्रदान की गई थी।</p>																													
2.	असम	<p>नमूना-जांच किए गए 120 विद्यालयों के अभिलेखों से पता चला कि प्रति बच्चा भोजन के लिए आपूर्त खाद्यान्न की मात्रा, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर खाद्यान्न का निर्धारित 100 ग्राम/150 ग्राम मात्रा से कम थी।</p>																													
3.	गोवा	<p>2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान, अधिकतर मामलों के एम.डी.एम. में छात्रों को प्रदत्त मेन्यू केवल भाजीपाव और पुलाव ही था। छात्रों को केवल एक भाजीपाव ही दिया गया था। दिए गए भोजन का पोषण मूल्य अपेक्षित प्रतिमानों से कम था जिसका परिकलन नीचे किया गया है:</p> <table border="1" data-bbox="523 1037 1401 1406"> <thead> <tr> <th rowspan="2">पत्तल भाजी/एक पाव</th> <th colspan="2">प्राथमिक स्तर</th> <th colspan="2">उच्च प्राथमिक स्तर</th> </tr> <tr> <th>ऊर्जा के.सी.एल.</th> <th>प्रोटीन (ग्राम)</th> <th>ऊर्जा के.सी.एल.</th> <th>प्रोटीन (ग्राम)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अन्य मर्दे</td> <td>320</td> <td>10.25</td> <td>312</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>एक पाव</td> <td>75</td> <td>1.875</td> <td>75</td> <td>1.875</td> </tr> <tr> <td>कुल प्रदत्त</td> <td>395</td> <td>12.125</td> <td>387</td> <td>10.875</td> </tr> <tr> <td>अनुशंसित पोषक-तत्व</td> <td>450</td> <td>12.00</td> <td>700</td> <td>20.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2009-2010 से 2011-12 की अवधि के दौरान प्रदत्त मेन्यू, पत्तल भाजी/पाव के संबंध में, प्राथमिक स्तर के संबंध में 55 केलोरी तक उच्च प्राथमिक स्तर के संबंध में 300 केलोरी तक की कमी को दर्शाता था। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को लगभग 9 ग्राम प्रोटीन की भी कमी देखी गई थी। इसके अतिरिक्त, शाकाहारी पुलाव के संबंध में दिया गया चावल प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए क्रमशः 30 ग्राम 60 ग्राम के अनुपात में प्रयोग किया गया था। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए केलोरी तथा प्रोटीन तत्व कम परिकलित किया गया था।</p> <p>इसके अतिरिक्त 2012-13 से 2013-14 में यह मानते हुए कि छात्रों को भाजी के साथ केवल एक पाव दिया गया था, दिए गए भोजन का पोषण मूल्य अपेक्षित प्रतिमानों से कम था जैसाकि नीचे परिकलित किया गया है:</p>	पत्तल भाजी/एक पाव	प्राथमिक स्तर		उच्च प्राथमिक स्तर		ऊर्जा के.सी.एल.	प्रोटीन (ग्राम)	ऊर्जा के.सी.एल.	प्रोटीन (ग्राम)	अन्य मर्दे	320	10.25	312	9	एक पाव	75	1.875	75	1.875	कुल प्रदत्त	395	12.125	387	10.875	अनुशंसित पोषक-तत्व	450	12.00	700	20.00
पत्तल भाजी/एक पाव	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथमिक स्तर																											
	ऊर्जा के.सी.एल.	प्रोटीन (ग्राम)	ऊर्जा के.सी.एल.	प्रोटीन (ग्राम)																											
अन्य मर्दे	320	10.25	312	9																											
एक पाव	75	1.875	75	1.875																											
कुल प्रदत्त	395	12.125	387	10.875																											
अनुशंसित पोषक-तत्व	450	12.00	700	20.00																											

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

		<p>की अवधि के लिए पके भोजन के 1304 नमूनों में से 96 प्रतिशत (1250 नमूने) निर्धारित ऊष्मीय मान और प्रोटीन तत्व को पूरा करने में विफल हो गए। वर्ष-वार विवरण नीचे दिए गए हैं:</p> <p style="text-align: right;">(` लाख में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>जांच हेतु भेजे गए नमूने</th> <th>सफल नमूने</th> <th>असफल नमूने</th> <th>लगाई गई और एकत्र की गई शास्ति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009-10</td> <td>72</td> <td>0</td> <td>72</td> <td>1.44</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td>285</td> <td>5</td> <td>280</td> <td>5.60</td> </tr> <tr> <td>2011-12</td> <td>216</td> <td>48</td> <td>168</td> <td>3.36</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>331</td> <td>1</td> <td>330</td> <td>6.60</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>400</td> <td>8.00</td> </tr> <tr> <td>जोड़</td> <td>1304</td> <td>54</td> <td>1250</td> <td>25.00</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	जांच हेतु भेजे गए नमूने	सफल नमूने	असफल नमूने	लगाई गई और एकत्र की गई शास्ति	2009-10	72	0	72	1.44	2010-11	285	5	280	5.60	2011-12	216	48	168	3.36	2012-13	331	1	330	6.60	2013-14	400	0	400	8.00	जोड़	1304	54	1250	25.00																																
वर्ष	जांच हेतु भेजे गए नमूने	सफल नमूने	असफल नमूने	लगाई गई और एकत्र की गई शास्ति																																																																	
2009-10	72	0	72	1.44																																																																	
2010-11	285	5	280	5.60																																																																	
2011-12	216	48	168	3.36																																																																	
2012-13	331	1	330	6.60																																																																	
2013-14	400	0	400	8.00																																																																	
जोड़	1304	54	1250	25.00																																																																	
6.	नागालैंड	<p>53 विद्यालयों में 60 विद्यालयों के अभिलेखों से पता चला कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक श्रेणियों को दालों, सब्जियों, तेल की अपेक्षित मात्रा प्रदान नहीं की जा रही थी।</p>																																																																			
7.	उत्तराखण्ड	<p>अलमोड़ा और टिहरी जिलों के जांच किए गए विद्यालयों ने सूचित किया कि पकाने की निर्धारित लागतें अपर्याप्त थी और उनके लिए उन लागतों पर बच्चों को पोषक भोजन उपलब्ध कराना व्यवहार्य नहीं था। जब मामला संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों (डी.ई.ओ.) के साथ उठाया गया, तो एम.डी.एम. की अनुमोदित मदों की चालू बाजार दरें ली और इन दरों की वर्ष 2013-14 की निर्धारित दरों के साथ तुलना की जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:</p> <p style="text-align: right;">(मात्रा ग्राम में तथा दरें ` में)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">अनुमोदित मदें</th> <th colspan="2">प्राथमिक स्तर पर अनुमोदित</th> <th rowspan="2">अलमोड़ा में पाई गई दरें</th> <th rowspan="2">टिहरी में पाई गई दरें</th> <th colspan="2">उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुमोदित</th> <th rowspan="2">अलमोड़ा में पाई गई दरें</th> <th rowspan="2">टिहरी में पाई गई दरें</th> </tr> <tr> <th>मात्रा</th> <th>दरें</th> <th>मात्रा</th> <th>दरें</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>दालें</td> <td>20</td> <td>1.16</td> <td>1.80</td> <td>1.60</td> <td>30</td> <td>1.74</td> <td>2.70</td> <td>2.40</td> </tr> <tr> <td>सब्जियाँ</td> <td>50</td> <td>1.11</td> <td>1.55</td> <td>2.21</td> <td>75</td> <td>1.66</td> <td>2.33</td> <td>3.32</td> </tr> <tr> <td>तेल एवं वसा</td> <td>05</td> <td>0.41</td> <td>0.55</td> <td>0.45</td> <td>7.5</td> <td>0.61</td> <td>0.75</td> <td>0.68</td> </tr> <tr> <td>नमक आदि</td> <td>-</td> <td>0.05</td> <td>0.25</td> <td>0.80</td> <td>-</td> <td>0.07</td> <td>0.36</td> <td>1.20</td> </tr> <tr> <td>ईंधन</td> <td>-</td> <td>0.61</td> <td>0.75</td> <td>1.00</td> <td>-</td> <td>0.92</td> <td>1.12</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>जोड़</td> <td></td> <td>3.34</td> <td>4.90</td> <td>6.06</td> <td></td> <td>5.00</td> <td>7.26</td> <td>9.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>तालिका से यह देखा जा सकता है कि अलमोड़ा और टिहरी जिलों में डी.ई.ओ. द्वारा पाई गई अनुमोदित मदों की दरें, प्राथमिक स्तर पर अनुमोदित दरों क्रमशः 47 प्रतिशत और 81 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमशः 45 प्रतिशत और 82 प्रतिशत अधिक थी। चालू बाजार दरों के मद्देनजर पकाए गए भोजन की अनुमोदित दरें अपर्याप्त थी। चूंकि एम.डी.एम. छात्रों को पकाई गई लागत की अनुमोदित दरों के आधार पर दिया जा रहा था जो कुछ हद तक अपर्याप्त थी, अतः इस बात की काफी संभावना है कि प्रदत्त पोषण के स्तर के साथ समझौता किया जा रहा था।</p>	अनुमोदित मदें	प्राथमिक स्तर पर अनुमोदित		अलमोड़ा में पाई गई दरें	टिहरी में पाई गई दरें	उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुमोदित		अलमोड़ा में पाई गई दरें	टिहरी में पाई गई दरें	मात्रा	दरें	मात्रा	दरें	दालें	20	1.16	1.80	1.60	30	1.74	2.70	2.40	सब्जियाँ	50	1.11	1.55	2.21	75	1.66	2.33	3.32	तेल एवं वसा	05	0.41	0.55	0.45	7.5	0.61	0.75	0.68	नमक आदि	-	0.05	0.25	0.80	-	0.07	0.36	1.20	ईंधन	-	0.61	0.75	1.00	-	0.92	1.12	1.50	जोड़		3.34	4.90	6.06		5.00	7.26	9.10
अनुमोदित मदें	प्राथमिक स्तर पर अनुमोदित			अलमोड़ा में पाई गई दरें	टिहरी में पाई गई दरें			उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुमोदित				अलमोड़ा में पाई गई दरें	टिहरी में पाई गई दरें																																																								
	मात्रा	दरें	मात्रा			दरें																																																															
दालें	20	1.16	1.80	1.60	30	1.74	2.70	2.40																																																													
सब्जियाँ	50	1.11	1.55	2.21	75	1.66	2.33	3.32																																																													
तेल एवं वसा	05	0.41	0.55	0.45	7.5	0.61	0.75	0.68																																																													
नमक आदि	-	0.05	0.25	0.80	-	0.07	0.36	1.20																																																													
ईंधन	-	0.61	0.75	1.00	-	0.92	1.12	1.50																																																													
जोड़		3.34	4.90	6.06		5.00	7.26	9.10																																																													

8.	उत्तर प्रदेश	<p>नमूना-जांच किए गए सात जिलों से पता चला कि एन.जी.ओ. सोमवार और बृहस्पति वार को रोटी- सब्जी और रोटी-दाल के स्थान पर बच्चों को पोषक भोजन देने में विफल रहे, उन्होंने दलिया दिया जिसका पोषण-मूल्य कम था।</p> <p>नमूना -जांच किए गए 360 प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लेखापरीक्षा से पता चला कि 259 विद्यालयों ने दालों, सब्जियों और तेल से संबंधित वाऊचर अनुरक्षित नहीं किए थे। परिणामतः, खरीदी गई दालों, सब्जियों और तेल की वास्तविक मात्रा तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए पोषक-मूल्य का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका। इसके अतिरिक्त, 141 विद्यालयों के मुख्याध्यापकों/अध्यापकों को एम.डी.एम. में इन खाद्य मदों की वास्तविक मात्रा की जानकारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, 155 विद्यालयों ने निर्दिष्ट कॉलम खाली छोड़ दिए थे। यह भी इस मामले में उनकी अनभिज्ञता को दर्शाता था।</p>
9.	दिल्ली	<p>दक्षिणी तथा पूर्वी जिले में, छः सेवा प्रदाता, मार्च 2013 से विद्यालयों में पका हुआ भोजन आपूर्त कर रहे थे। वर्ष 2013-14 की नमूना रिपोर्टों से पता चला कि वर्ष 2013-14 के दौरान श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (एस.आर.आई.आई.एस.) द्वारा नमूना जांच किए गए सभी 137 नमूने (इन छः सेवा प्रदाताओं की रसोईयों से 44 नमूने तथा 93 नमूने विद्यालयों से) फेल हो गए थे क्योंकि वे मानक मूल्य को पूरा नहीं करते थे। फेल नमूनों में, केलोरीज का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य 137.90 और 559.40 केलोरी पाया गया था तथा प्रोटीन का मूल्य 4.3 और 15.2 ग्राम पाया गया था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एस.डी.एम.सी.) के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 2012-14 के 137 नमूनों में से 44 नमूने (32 प्रतिशत) तथा 2011-14 के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम (एन.डी.एम.सी.) के 249 नमूनों में से 113 (45.38 प्रतिशत) नमूने प्रोटीन के 450 केलोरी तथा 12 ग्राम के मानक मूल्य को पूरा नहीं करते थे।</p>

अध्याय-IX

(पैराग्राफ सं. 3.6.9 देखें)

अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ मध्याह्न भोजन योजना का अभिसरण

क्र. सं.	मद	योजना कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत निधियां उपलब्ध थी
1.	रसोईसह स्टोर का निर्माण	<p>ग्रामीण विकास मंत्रालय</p> <ul style="list-style-type: none"> ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.)। <p>आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय</p> <ul style="list-style-type: none"> शहरी गरीबों के लिए मूल सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत आवास स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.)। शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम, योजनाओं से बाहर के शहरी क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जी.एस.आर.वाई.) का एक संघटक। <p>पंचायत राज मंत्रालय</p> <ul style="list-style-type: none"> अन्तर को भरने तथा संवर्धन हेतु उपलब्ध पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)। <p>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</p> <ul style="list-style-type: none"> नए विद्यालय के निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)।
2.	जलापूर्ति	<p>ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेय जल आपूर्ति विभाग</p> <ul style="list-style-type: none"> त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)। स्वजलधारा <p>पंचायती राज मंत्रालय</p> <ul style="list-style-type: none"> 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर पंचायतों को ब्लॉक अनुदानों का अन्तरण अन्तर को भरने तथा संवर्धन हेतु संयुक्त निधियों के रूप में उपलब्ध पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.)। <p>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</p> <ul style="list-style-type: none"> नए विद्यालय हेतु सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)
3.	रसोई उपकरण	<p>एस.एस.ए. के अन्तर्गत उपलब्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय निधियां</p> <ul style="list-style-type: none"> 2000 वार्षिक प्रति विद्यालय के वार्षिक विद्यालय अनुदानों से ई.जी.एस. केन्द्रों के लिए 1000 वार्षिक
4.	विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम	<p>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</p> <ul style="list-style-type: none"> आवश्यक हस्ताक्षेप, जैसे नियमित स्वास्थ्य जांच, सूक्ष्म पोषक तत्वों के पूरक, डी-वार्मिंग औषधियां आदि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ली जा सकती हैं।

अनुबंध-X

(पैराग्राफ 3.6.9 देखें)

अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ मध्याह्न भोजन योजना का अभिसरण

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणी
1.	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार, रसोई शैड के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ एम.डी.एम. के कार्यान्वयन का अभिसरण नहीं कर सकी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 581.66 करोड़ तक की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होने के बावजूद इकाईयां पूर्ण नहीं हुई। इस प्रकार, काफी पहले 2006-07 में केन्द्रीय सहायता के जारी होने के बावजूद विद्यालयों के रसोई एवं स्टोर का निर्माण नहीं हुआ था जिसके परिणामस्वरूप एम.डी.एम. खुले क्षेत्रों में ही पकाया जाता रहा जिसके कारण बच्चों को स्वास्थ्यकर स्थितियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
2.	अरुणाचल प्रदेश	विभाग ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से रसोई शैडों के निर्माण, पेयजल के प्रावधान, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आदि से संबंधित इनपुट प्राप्त नहीं किए थे अथवा उनसे बातचित नहीं की थी जिसके कारण एक ही लक्ष्य के प्रति विभिन्न एजेंसियों से अलग-अलग प्रयास करने पड़े। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग ने कहा कि बाल स्वास्थ्य के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) और जलापूर्ति के संबंध में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) के निकट अभिसरण में लोक एम.डी.एम.एस. लागू किया गया था। यह आश्वस्त किया गया था कि अन्य योजनाओं के साथ भी अभिसरण को सुधारने के प्रयास किए जाएंगे।
3.	असम	संवीक्षा से पता चला कि रसोई एवं स्टोर के निर्माण तथा रसोई उपकरणों की खरीद के संबंध में अन्य किसी कार्यक्रम के साथ कोई अभिसरण नहीं था हालांकि 2009-14 के दौरान केवल 68 प्रतिशत लक्षित रसोईयों का निर्माण हुआ था तथा केवल 28 प्रतिशत विद्यालयों के लिए रसोई उपकरण अधिप्राप्त किए गए थे।
4.	बिहार	नमूना-जांच किए गए छः जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अभिसरण कार्यक्रम की न तो योजना बनाई गई थी और न ही उस पर एम.डी.एम. के कार्यान्वयन के दौरान विचार किया गया था।
5.	छत्तीसगढ़	संवीक्षा से पता चला कि निदेशक लोक अनुदेश (डी.पी.आई.) ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से कोई बात नहीं की थी अथवा उनसे रसोई शैड के निर्माण, पेयजल के प्रावधान विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, आदि के संबंध में इनपुट प्राप्त की थी।
6.	गुजरात	लेखापरीक्षा ने देखा कि अन्य विकासात्मक कार्यक्रम के साथ योजना का अभिसरण, नमूना-जांच किए गए चार में केवल एक जिले (बंसकण्ठ) में ही किया गया था। बंसकण्ठ जिले में, खाद्यान्न के भण्डार कंटेनरों की खरीद के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) तथा परियोजना प्रशासक से क्रमशः ₹ 42.46 लाख और ₹ 5.00 लाख की राशियां प्राप्त की गई थी। लेखापरीक्षा में मांगने के बावजूद राज्य में अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण से संबंधित सूचना आयुक्त (एम.डी.एम.) द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
7.	जम्मू व कश्मीर	राज्य में अन्य विकास कार्यक्रम के साथ कोई अभिसरण नहीं हुआ था।
8.	झारखण्ड	झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण (जे.एस.एम.डी.एम.ए) ने अन्य विभागों के साथ अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया।

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

		तथापि, हमने देखा कि नमूना जांच किए गए जिलो में अन्य विभागों के साथ केवल आंशिक अभिसरण था जैसे केवल बोकारो जिले में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना एकीकृत कार्य योजना (बी.आर.जी.एफ. आई.ए.मी.) से 808 रसोई एवं भण्डारों का निर्माण किया गया था। नमूना जांच किए गए 120 विद्यालयों में से 115 में स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (उ.न.च.आर.एम.) द्वारा कोई स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित नहीं किए गए थे।
9.	केरल	अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ रसोई सह स्टोर के निर्माण के संबंध में परिवर्तन और एन.आर.एच.एम. के साथ बच्चों को सूक्ष्म-पोषक देना सन्तोषजनक नहीं था।
10.	मणिपुर	विकास कार्यक्रमों के साथ एम.डी.एम. योजना के अभिसरण के अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।
11.	मेघालय	2009-10 के ए.डब्ल्यू.पी एवं बी के अनुसार, मेघालय सरकार ने मंत्रालय को सूचित किया कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मिशन (एन.आर.एच.एम) के अनुसरण में किया जा रहा था। तथापि, जैसा कि सितम्बर 2011 को समाप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों (क्यू.पी.आर) में स्पष्ट है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम 2011-12 के दौरान अर्थात दो वर्ष के अन्तर के बाद ही शुरू हुआ था। अतः 2009-11 के दौरान विद्यालय के बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, रसोई शैडों के निर्माण हेतु राज्य नोडल विभाग द्वारा एस.एम.ए. के साथ अभिसरण हेतु कोई प्रयास शुरू नहीं किया गया था।
12.	मध्य प्रदेश	<p>सभी जिलों में रसोई शैडों के निर्माण का कार्य का अन्य सरकारी कार्यक्रमों के साथ अभिसरण नहीं किया गया था, क्योंकि 2013-14 के दौरान अन्य योजनाओं के अभिसरण के अन्तर्गत 98462 रसोई सह स्टोरों में से केवल 6115 का ही निर्माण किया गया था।</p> <p>2009-14 के दौरान जलापूर्ति एवं रसोई उपकरणों के लिए कोई अभिसरण नहीं देखा गया था।</p> <p>2009-14 के दौरान स्वास्थ्य जांच और सूक्ष्मपोषकों के वितरण का कार्यक्रम भी एम.डी.एम के साथ अभिसरित नहीं पाया गया था। दस नमूना जांच किए गए 300 विद्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, राज्य, जिला एवं विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम नहीं पाए गए थे। तथापि, नमूना जांच किए गए 53 विद्यालयों द्वारा अनुरक्षित रजिस्ट्रों में स्वास्थ्य जांच रिपोर्टें उल्लिखित की गईं थी। इन विद्यालयों से विशेषज्ञों के लिए 186 बच्चे भेजे गए थे परन्तु रजिस्ट्रों में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं देखी गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम) के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय कक्षाओं के लिए साप्ताहिक आईरन फोलिक एसिड कार्यक्रम के अन्तर्गत 42 विद्यालयों में सूक्ष्म पोषक वितरित किए गए थे। एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग की अन्य चालू योजनाओं के साथ एम.डी.एम कार्यक्रम के अभिसरण के प्रयास किए जाएंगे।</p>
13.	नागालैंड	संवीक्षा से पता चला कि विभाग ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से बातचीत नहीं की अथवा उनसे रसोई शैडों के निर्माण, पेयजल के प्रावधान, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं की जिसके कारण एक ही लक्ष्य के प्रति विभिन्न एजेंसियों के अलग-अलग प्रयास हुए।

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

14.	पंजाब	लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने ऐसे अन्य विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से रसोई शैडो के निर्माण, पेयजल के प्रावधान, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों आदि से संबंधित सूचना प्राप्त नहीं की थी। विभाग ने बताया (दिसम्बर 2014) कि पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति के मामले में आईरन-फोलिक एसिड गोलियों, अन्य डीवॉर्मिंग गोलियों की आपूर्ति, स्वास्थ्य जांच संबंधित विभागों के साथ अभिसरण किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अन्य विभागों के साथ अभिसरण न करने के कारण 4901 फेल जल नमूनों के लिए कोई उपचारी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त डॉक्टरों ने भी छात्रों की चिकित्सा जांच के लिए 14 विद्यालयों का दौरा नहीं किया था।												
15.	राजस्थान	विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम अनिवार्य हस्तक्षेप के साथ योजना का अभिसरण जैसे नियमित स्वास्थ्य जांच, सूक्ष्म-पोषकों की पूरकता डी वार्मिंग औषधियों आदि अभी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शुरू किया जाना था।												
16.	त्रिपुरा	यह देखा गया था कि कई विद्यालयों में पेयजल स्रोतों की कमी थी परन्तु विभाग ने उन विद्यालयों में जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है, पेयजल स्रोतों के सृजन हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए) अथवा अन्य किसी योजना के साथ कोई अभिसरण नहीं किया।												
17.	उत्तर प्रदेश	<p>दिशानिर्देशों में प्रावधान के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार (जी.ओ.यू.पी.) अन्य केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रमों के साथ अभिसरण की योजना बनाने में विफल रही जिसकी चर्चा नीचे की गई है</p> <p>एम.डी.एम. के साथ केन्द्र-प्रवर्तित योजना का अभिसरण न करने और उसके प्रभाव का दर्शाने वाला विवरण</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के नाम</th> <th>अभिसरण की सम्भावना</th> <th>अभिसरण न करने का प्रभाव</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई), शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं (बी.एस.यू.पी) एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.ई.पी) आदि</td> <td>रसोई सह स्टोर का निर्माण</td> <td>मार्च 2014 के अन्त में 34,404 विद्यालय, रसोई शैडों के बिना चल रहे थे।</td> </tr> <tr> <td>त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) स्वजल चारा एवं सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए)</td> <td>जलापूर्ति अपेक्षाएं</td> <td>मार्च 2014 के अन्त तक 3508 विद्यालय पेयजल की उपलब्धता के बिना ही चल रहे थे।</td> </tr> <tr> <td>सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए)</td> <td>रसोई उपकरण</td> <td>रसोई उपकरणों/पर्याप्त रसोई उपकरणों की उपलब्धता के बिना 1,04,755 विद्यालय</td> </tr> </tbody> </table>	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के नाम	अभिसरण की सम्भावना	अभिसरण न करने का प्रभाव	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई), शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं (बी.एस.यू.पी) एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.ई.पी) आदि	रसोई सह स्टोर का निर्माण	मार्च 2014 के अन्त में 34,404 विद्यालय, रसोई शैडों के बिना चल रहे थे।	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) स्वजल चारा एवं सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए)	जलापूर्ति अपेक्षाएं	मार्च 2014 के अन्त तक 3508 विद्यालय पेयजल की उपलब्धता के बिना ही चल रहे थे।	सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए)	रसोई उपकरण	रसोई उपकरणों/पर्याप्त रसोई उपकरणों की उपलब्धता के बिना 1,04,755 विद्यालय
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के नाम	अभिसरण की सम्भावना	अभिसरण न करने का प्रभाव												
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई), शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं (बी.एस.यू.पी) एवं शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू.ई.पी) आदि	रसोई सह स्टोर का निर्माण	मार्च 2014 के अन्त में 34,404 विद्यालय, रसोई शैडों के बिना चल रहे थे।												
त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) स्वजल चारा एवं सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए)	जलापूर्ति अपेक्षाएं	मार्च 2014 के अन्त तक 3508 विद्यालय पेयजल की उपलब्धता के बिना ही चल रहे थे।												
सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए)	रसोई उपकरण	रसोई उपकरणों/पर्याप्त रसोई उपकरणों की उपलब्धता के बिना 1,04,755 विद्यालय												

		<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम) तथा एस.एस.ए के अधीन कुछ विद्यालयों में क्रमश विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा रसोई के निर्माण जैसे क्रियाकलाप, योजना के किसी अभिसरण के बिना ही शुरू कर दिए गए थे। निदेशक, पंचायती राज ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित (जनवरी 2013) एप्रन, दस्ताने और केप, सम्पूर्ण स्वाच्छता अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की (मार्च 2013)। इसी प्रकार, निर्मल भारत अभियान के साथ अभिसरण के माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रसोईयों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल (अप्रैल 2013), जिलों द्वारा खराब प्रतिक्रिया के कारण सफल नहीं हुई । <p>ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अन्य केन्द्र-प्रवर्तित योजनाओं के साथ अभिसरण के प्रति केवल अनौपचारिक प्रयास ही किए गए थे।</p>
18.	उत्तराखण्ड	यह देखा गया था कि एन.आर.एच.एम को छोड़कर किसी भी केन्द्र प्रवर्तित योजना के साथ कोई अभिसरण नहीं हुआ जिसके अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्वास्थ्य जांच के दौरान सभी विद्यालय के बच्चों को सूक्ष्म पोषक पूरक और डी वार्मिंग औषधियां उपलब्ध कराई जानी थी। नमूनागत जिलों में, यह देखा गया था कि 2010-14 की अवधि के दौरान निर्धारित प्रतिमानों के प्रति केवल चालीस प्रतिशत स्वास्थ्य जांच की गई थी। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच के दौरान बच्चों को सूक्ष्म पोषक पूरकों और डी वार्मिंग औषधियों के वितरण के ब्यौरों की जानकारी नहीं थी।
19.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	अभिलेखों से पता चला कि प्रशासन के पास अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से एम.डी.एम.एस के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को तेज करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

अनुबंध-XI

(पैराग्राफ सं. 3.7 के संदर्भ में)

2006-07 से 2013-14 के दौरान संस्वीकृत एवं निर्मित रसोई सह भंडार शैड की संख्या का राज्य वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	2006-07 से 2013-14 के दौरान संस्वीकृत रसोई सह भंडारों की संख्या	31.03.2014 को रसोई सह भंडारों की प्रगति	
			निर्मित	
			संख्या	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	75283	12908	17
2.	अरुणाचल प्रदेश	4131	4085	99
3.	असम	56795	38711	68
4.	बिहार	66550	46140	69
5.	छत्तीसगढ़	47266	38044	80
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	19868	18388	93
8.	हरियाणा	11483	7414	65
9.	हिमाचल प्रदेश	14959	13638	91
10.	जम्मू एवं कश्मीर	11815	11442	97
11.	झारखंड	39001	20654	53
12.	कर्नाटक	40477	28952	72
13.	केरल	2450	318	13
14.	मध्य प्रदेश	100751	86680	86
15.	महाराष्ट्र	71783	41623	58
16.	मणिपुर	3053	1174	38
17.	मेघालय	9491	7613	80
18.	मिजोरम	2396	2396	100
19.	नागालैंड	2223	2209	99
20.	ओडिशा	69152	36121	52
21.	पंजाब	18969	16413	87
22.	राजस्थान	77298	44828	58
23.	सिक्किम	936	800	85
24.	तमिलनाडु	28470	7682	27
25.	त्रिपुरा	5144	4260	83
26.	उत्तर प्रदेश	122572	110245	90
27.	उत्तराखंड	16989	8904	52
28.	पश्चिम बंगाल	81314	58822	72
29.	अं.एवं नि. द्वीप समूह	251	5	2
30.	चंडीगढ़	10	7	70
31.	दा. एवं ना. हवेली	50	1	2

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

32.	दमन एवं दीव	32	26	81
33.	दिल्ली	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	92	92	100
कुल	सम्पूर्ण भारत	1001054	670595	

अनुबंध-XII

(पैराग्राफ सं. 3.7 के संदर्भ में)

भोजन पकाने के लिए आधारभूत संरचना का प्रावधान करना

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणियां
1.	आंध्र प्रदेश	120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 85 में पक्का रसोईघर शैड नहीं था तथा भोजन खुले क्षेत्र/कक्षाओं/सी.सी.एच. घर में पकाया गया था।
		120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 44 विद्यालयों में रसोईघर बर्तन उपलब्ध नहीं थे।
		120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 98 विद्यालयों के पास एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं थे।
		120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 49 में पेय जल सुविधा नहीं थी।
2.	अरुणाचल प्रदेश	90 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 70 (77.77 प्रतिशत) में पक्का रसोईघर सह भण्डार नहीं था। भोजन खाली कक्षाओं में पकाया गया था।
		नमूना जांच किए गए 90 विद्यालयों में से 28 (31 प्रतिशत) में पेय जल सुविधा नहीं थी।
		90 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 88 (98 प्रतिशत) में भोजन पकाने हेतु गैस आधारित (एल.पी.जी.) स्टोव/चूल्हे नहीं थे तथा लकड़ी/सूखे बांस का भोजन पकाने हेतु ईंधन के रूप में उपयोग किया गया था।
3.	असम	120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 33 में पक्का रसोईघर सह भण्डार नहीं थे। निर्माण किए गए किसी भी रसोईघर में भण्डारण सुविधा का प्रावधान नहीं रखा गया था जिसके अभाव में चावल/अनाज को फर्श पर रखा गया था जो खाद्य सामग्री को कीड़े एवं कीटों का जोखिम डाल रहा था।
		120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 50 में अपेक्षित भोजन पकाने के बर्तन नहीं थे जबकि 75 विद्यालयों में बच्चों को भोजन लेने हेतु अपनी स्वयं की प्लेटे लानी होती थी।
		120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 20 में पेयजल सुविधा नहीं थी।
4.	बिहार	180 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 81 में रसोईघर शैड नहीं थे। भोजन कक्षाओं/वरांदा/ करीब के निजी घर आदि में पकाया गया था।
		151 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में अनाज को कक्षाओं में रखा गया था।
		180 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 132 में प्लेटे/ग्लास पूर्ण रूप से अनुपलब्ध थे।
		किसी भी नमूना जांच किए गए विद्यालय में घुंआ रहित चूल्हों का उपयोग नहीं किया जा रहा था बल्कि पर्यावरणीय हित के विरुद्ध लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा था।
5.	छत्तीसगढ़	120 नमूना जांच किए गए में से 24 (20 प्रतिशत) में पक्का रसोईघर सह भण्डार नहीं था तथा एम.डी.एम. को सामुदायिक हाल के खुले क्षेत्र में पकाया जा रहा तथा व्यवस्था को कक्षा में ले जाया गया था।
		120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में स्वच्छ पेय जल सुविधा उपलब्ध नहीं थी तथा बच्चों को जल सुविधा प्रदान करने हेतु हैंड पम्प तथा बोरवैल का उपयोग किया जा रहा था।

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

6.	गुजरात	नमूना जांच किए गए 120 विद्यालयों में से 32 में रसोईघर सह भण्डार नहीं था जिसमें से नौ विद्यालयों में भोजन आयोजक के आवास में पकाया जा रहा था।
		120 नमूना जांच किए विद्यालयों में से 14 में गैस आधारित भोजन पकाने की सुविधा नहीं थी जबकि 52 विद्यालयों में भोजन पकाने हेतु लकड़ियों का उपयोग किया गया था जबकि उनके पास गैस आधारित भोजन पकाने की सुविधा थी।
		6 विद्यालयों में रसोईघर उपकरण (बर्तन) उपलब्ध नहीं थे।
7.	झारखंड	120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 28 में पक्का रसोईघर शैड नहीं था। भोजन को विद्यालय के वारादे अथवा विद्यालय परिसर के भीतर तैयार अस्थायी संरचना में पकाया जा रहा था।
8.	केरल	60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 54 में एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं था तथा भोजन पकाने लकड़ी का उपयोग किया गया था।
		सभी 60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में पक्का रसोईघर शैड सह भण्डार नहीं थे। 18 विद्यालयों में कोई भण्डारण सुविधा नहीं थी तथा एच.एम.कक्ष/स्टाफ रूम का भण्डारण कक्ष के रूप में उपयोग किया गया था।
9.	मध्य प्रदेश	116 विद्यालयों में एम.डी.एम. को रसोईघर शैडों में तैयार नहीं किया गया था। यह पाया गया था कि एम.डी.एम. को 52 विद्यालयों के लिए एस.एच.जी. के अध्यक्ष के आवास में, 27 विद्यालयों के लिए कक्षा में तथा 37 विद्यालयों में अन्य सार्वजनिक बिल्डिंगों में पकाया गया था।
		300 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 102 में भोजन प्रदान करने हेतु बर्तनों की पर्याप्त संख्या नहीं थी।
		300 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 229 में एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं थे तथा लकड़ी/गाय के व्यर्थ का ईंधन के रूप में उपयोग किया गया था।
10.	महाराष्ट्र	149 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से: i) 37 विद्यालयों में रसोईघर शैड नहीं थे। ii) 8 विद्यालयों में पेय जल सुविधा नहीं थी। iii) 52 विद्यालयों में बर्तन नहीं थे। iv) 82 विद्यालयों में एल.पी.जी. गैस/धुंआ रहित चूल्हे नहीं थे।
11.	मणिपुर	60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 56 में पक्का रसोईघर तथा भण्डार शैड नहीं थे।
		60 नमूना जांच किए गए में से 21 में सभी अपेक्षित बर्तन नहीं थे।
		60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 24 में साफ पेय जल नहीं था।
		60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 54 में धुंआ रहित चूल्हा/गैस स्टोव नहीं था। एम.डी.एम. तैयार करने हेतु लकड़ी का उपयोग किया जा रहा था।
12.	मेघालय	60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 3 में रसोईघर सह भण्डार नहीं था।
		60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 13 में रसोई घर उपकरण नहीं थे।
13.	नागालैंड	नमूना जांच किए गए 60 विद्यालयों में से: i) सात विद्यालयों में रसोईघर शैड नहीं थे।

		<p>ii) 26 विद्यालयों में पर्याप्त बर्तन नहीं थे।</p> <p>iii) 55 विद्यालयों में एल.पी.जी कनेक्शन/घुंआ रहित चूल्हे नहीं थे तथा 44 विद्यालयों में एम.डी.एम. हेतु लकड़ी का उपयोग किया जा रहा था।</p> <p>iv) 13 विद्यालयों में पेय जल सुविधा नहीं थी।</p>
14.	ओडिशा	<p>148 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 75 (51 प्रतिशत) में रसोईघर शैड नहीं थे तथा भोजन खुले स्थान/वारांदा/पुरानी कक्षाओं में पकाया गया था। भण्डार कक्ष 135 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थे तथा अनाज का कक्षा/एच.एम.कक्ष में भण्डारण किया गया था।</p> <p>148 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 48 में रसोईघर बर्तन नहीं थे।</p> <p>148 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 31 (21 प्रतिशत) में पेय जल सुविधा नहीं थी।</p>
15.	राजस्थान	<p>143 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 42 में रसोईघर शैड नहीं थे, 31 में भोजन पकाने के बर्तन नहीं थे, 38 में पेय जल सुविधा नहीं थी तथा 82 विद्यालयों में एल.पी.जी. घुंआ रहित चूल्हे नहीं थे।</p>
16.	सिक्किम	<p>60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 19 रसोईघर उपकरणों का उपयोग नहीं कर सके थे क्योंकि इन उपकरणों का आकार भोजन प्रदान करने की आवश्यकता से बड़ा था।</p> <p>2 विद्यालय नामतः तिगदाक्षस तथा गैरिपस में जल आपूर्ति नहीं थी तथा भोजन को निजी जल आपूर्ति से जल लाकर तैयार किया जा रहा था।</p>
17.	तमिलनाडु	<p>नमूना-जांच किए गए 150 में से 48 विद्यालयों में पक्के रसोई शैड नहीं थे जबकि नमूना जांच किए गए 150 में से 7 विद्यालयों में रसोई शैडों के अभाव में ईंधन के रूप में जलाऊ लकड़ी का प्रयोग करके खुले स्थान पर भोजन बनाया गया था।</p> <p>नमूना-जांच किए गए 150 में से 141 विद्यालयों में एल.पी.जी. गैस कनेक्शन नहीं थे तथा ईंधन के रूप में जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल से विद्यालय के बच्चों को आग का खतरा था।</p> <p>नमूना-जांच किए गए 150 में से 11 विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं थी।</p>
18.	त्रिपुरा	<p>नमूना-जांच किए गए 96 में से 20 प्रतिशत (19) विद्यालयों में पर्याप्त रसोई उपकरण नहीं थे।</p> <p>नमूना-जांच किए गए 96 में से 16 (17 प्रतिशत) विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं थी।</p>
19.	उत्तर प्रदेश	<p>नमूना-जांच किए गए 360 में से 73 विद्यालयों में रसोई शैड नहीं थे जबकि रसोई शैडों की उपलब्धता के बावजूद, 11 विद्यालय खुले स्थान में भोजन बना रहे थे।</p> <p>नमूना-जांच किए गए 360 विद्यालयों में से 41 में पर्याप्त रसोई के बर्तन नहीं थे।</p> <p>नमूना-जांच किए गए 360 में से 153 विद्यालयों में गैस के चूल्हे नहीं थे तथा भोजन बनाने के लिए जलाऊ/गाय के गोबर के उपलों का प्रयोग किया जा रहा था।</p>

20.	उत्तराखंड	<p>नमूना-जांच किए गए 60 में से 10 विद्यालयों में पक्के रसोई एवं स्टोर नहीं थे। एम.डी.एम बनाने तथा खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु कक्षा कमरों का इस्तेमाल किया जा रहा था।</p> <p>नमूना-जांच किए गए 60 में से 8 विद्यालयों में पर्याप्त रसोई उपकरण नहीं थे।</p> <p>नमूना जांच किए गए 66 में से 8 विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं थी।</p> <p>नमूना-जांच किए गए 60 में से 50 प्रतिशत (30) विद्यालयों में एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं थे। भोजन जलाऊ लकड़ी वाले चूल्हों पर बनाया जा रहा था।</p>
21.	पश्चिम बंगाल	<p>नमूना-जांच किए गए 88 में से 15 विद्यालयों (2 विद्यालयों में एम.डी.एम. शुरू नहीं किया था) में पक्के रसोई शैड नहीं थे तथा भोजन अस्थायी शैडों, बरामदों, खुले स्थानों आदि में पकाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांच किए गए 88 में से 17 विद्यालयों ने कम स्थान के कारण रसोई शैड इस्तेमाल नहीं किए थे तथा भोजन अन्य अस्वास्थ्यकर स्थानों में पकाया गया था।</p> <p>नमूना जांच किए गए 88 विद्यालयों में से:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 8(9 प्रतिशत) विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 2. 14(16 प्रतिशत) विद्यालयों में पर्याप्त बर्तन नहीं थे। 3. 67(76 प्रतिशत) विद्यालयों में घुएं-रहित चूल्हे नहीं थे।
22.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	उत्तरी एवं मध्य अंडमान जिलों में 30 विद्यालयों में एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं था तथा भोजन जलाऊ लकड़ी की सुविधा के साथ बनाया गया था।
23.	दमन एवं दीव	<p>नमूना-जांच किए गए 30 में से 6 विद्यालयों में पक्की रसोईयां एवं स्टोर नहीं थे तथा भोजन पकाने और खाद्यान्नों के भण्डारण हेतु कक्षा कमरे इस्तेमाल किए जा रहे थे।</p> <p>नमूना-जांच किए गए 30 में से 10 विद्यालयों में न तो कोई आर.ओ. प्लांट था और न ही वाटर फिल्टर उपलब्ध था जबकि शेष 15 विद्यालयों में यह उपलब्ध तो थे परन्तु खराब पाए गए थे।</p>
24.	दादरा एवं नगर हवेली	<p>नमूना-जांच किए गए सभी 30 विद्यालयों में पक्के रसोईघर शैड नहीं थे।</p> <p>नमूना-जांच किए गए 30 में से 10 विद्यालयों में कोई आर.ओ. प्लांट अथवा फिल्टर वाटर उपलब्ध नहीं था।</p>
25.	लक्षद्वीप	कावारत्ती एवं अगत्ती द्वीपसमूह में सभी 10 विद्यालयों में एल.पी.जी. कनेक्शन/घुआं-रहित चूल्हे नहीं थे।
26.	पुदुचेरी	नमूना जांच किए गे 60 में से 22 विद्यालयों में एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं थे। भोजन जलाऊ लकड़ी का प्रयोग करके बनाया जा रहा था।

अनुबंध-XIII

(पैराग्राफ सं. 3.8 देखें)

परिवहन प्रभारों का अधिक दावा

क्र.सं.	राज्य	टिप्पणी																																								
1.	आंध्र प्रदेश	अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2010-14 के लिए जिला प्रबंधक, आंध्र प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड (ए.पी.एस.सी.एस.सी.एल) `151.76 लाख और डी.ई.ओ, अदिलाबाद `162.89 लाख के बीच परिवहन प्रभारों के भुगतान में `11.13 लाख का अन्तर था।																																								
2.	छत्तीसगढ़	वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 4,34,259.22 एम.टी. खाद्यान्नों का परिवहन किया गया था तथा नोडल एजेंसी को नागरिक आपूर्ति निगम (एन.ए.एन.) को 750 प्रति एम.टी. पर `32.57 करोड़ का भुगतान करना था। इसके प्रति, नोडल एजेंसी ने `32.98 करोड़ का भुगतान किया था जिसके परिणामस्वरूप एन.ए.एन. ने खाद्यान्नों की परिवहन लागत के प्रति `41 लाख का अधिक भुगतान किया।																																								
3.	हरियाणा	निदेशालय ने `14.45 करोड़ की देय राशि के प्रति इन एजेंसियों को `14.94 करोड़ का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप `0.49 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>उठाए गए कुल खाद्यान्न (एम.टी. में)</th> <th>750 प्रति एम.टी. की दर पर देय राशि</th> <th>प्रदत्त राशि</th> <th>कम/अधिक भुगतान</th> </tr> <tr> <th colspan="5">(` करोड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009-10</td> <td>30169.73</td> <td>2.26</td> <td>2.14</td> <td>(-) 0.12</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td>29893.90</td> <td>2.24</td> <td>2.04</td> <td>(-) 0.20</td> </tr> <tr> <td>2011-12</td> <td>42776.07</td> <td>3.21</td> <td>4.07</td> <td>(+) 0.86</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>45986.37</td> <td>3.45</td> <td>3.11</td> <td>(-) 0.34</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>43848.86</td> <td>3.29</td> <td>3.58</td> <td>(+) 0.29</td> </tr> <tr> <td>कुल</td> <td>192674.93</td> <td>14.45</td> <td>14.94</td> <td>(+) 0.49</td> </tr> </tbody> </table>			वर्ष	उठाए गए कुल खाद्यान्न (एम.टी. में)	750 प्रति एम.टी. की दर पर देय राशि	प्रदत्त राशि	कम/अधिक भुगतान	(` करोड़ में)					2009-10	30169.73	2.26	2.14	(-) 0.12	2010-11	29893.90	2.24	2.04	(-) 0.20	2011-12	42776.07	3.21	4.07	(+) 0.86	2012-13	45986.37	3.45	3.11	(-) 0.34	2013-14	43848.86	3.29	3.58	(+) 0.29	कुल	192674.93	14.45	14.94	(+) 0.49
वर्ष	उठाए गए कुल खाद्यान्न (एम.टी. में)	750 प्रति एम.टी. की दर पर देय राशि	प्रदत्त राशि	कम/अधिक भुगतान																																						
(` करोड़ में)																																										
2009-10	30169.73	2.26	2.14	(-) 0.12																																						
2010-11	29893.90	2.24	2.04	(-) 0.20																																						
2011-12	42776.07	3.21	4.07	(+) 0.86																																						
2012-13	45986.37	3.45	3.11	(-) 0.34																																						
2013-14	43848.86	3.29	3.58	(+) 0.29																																						
कुल	192674.93	14.45	14.94	(+) 0.49																																						
इसके अतिरिक्त, विभाग ने अधिकतम `75 प्रति क्विंटल की दर पर परिवहन लागत अनुमत की थी जबकि योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि वास्तविक लागत इससे अधिक हो, तो लिफ्टिंग एजेंसी को कम राशि दी जानी थी परन्तु विभाग ने परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति करते समय इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा था।																																										
4.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (एम.पी.एस.सी.एस.सी) के संशोधित अनुदेशों के अनुसार (अप्रैल 2013), खाद्यान्न एम.पी.एस.सी.एस.सी द्वारा वर्ष 2013-14 से उनके अपने आपूर्ति केन्द्र से सीधे एफ.सी.आई. बेस डिपो से खाद्यान्न उठाने के बजाय लीड/लिंक समितियों को आपूर्ति किए गए थे। तथापि, यह पाया गया था कि राज्य सरकार ने एफ.सी.आई. बेस डिपो से एम.पी.एस.सी.एस.सी आपूर्ति केन्द्र को खाद्यान्नों के परिवहन हेतु `38 प्रति क्विंटल की दर पर खाद्यान्नों के परिवहन प्रभारों के रूप में एम.पी.एस.सी.एस.सी को `4.47 करोड़ का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप एम.पी.एस.सी.एस.सी को `4.47 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।																																								

5.	मणिपुर	<p>प्रतिमानों के अनुसार, निकटतम एफ.सी.आई. गोदाम से विद्यालय को खाद्यान्नों के परिवहन हेतु खर्च की गई वास्तविक लागत की मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दिसम्बर 2009 से परिवहन सहायता, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस) के अन्तर्गत प्रचलित दर पर ग्राह्य होगी। मणिपुर राज्य ने 31 अगस्त 2010 से `15.42 प्रति एम.टी. प्रति किलोमीटर पर खाद्यान्न के परिवहन की लागत संशोधित की।</p> <p>इम्फाल पूर्वी जिले के नमूनागत जिलों के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि 2009-13 के दौरान, जिला के विभाग/क्षेत्रीय अधिकारियों ने नौ जिलों की परिवहन एजेंसियों को 2011-14 के दौरान `90.99 लाख की राशि की पी.डी.एस. की ग्राह्य दर के प्रति एफ.सी.आई. इम्फाल कार्यालय से जिला गोदामों को 12,623 एम.टी. खाद्यान्न के परिवहन हेतु `299.15 लाख की राशि के परिवहन प्रभारों का भुगतान किया। इस प्रकार, मंत्रालय के निर्देश के उल्लंघन में पी.डी.एस दर पर परिवहन एजेंसी को परिवहन लागत के भुगतान में विफलता के परिणामस्वरूप लगभग `2.08 करोड़ की परिवहन लागत का अधिक भुगतान हुआ।</p>																																																			
6.	मेघालय	<p>2010-14 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने उपायुक्त (आपूर्ति), पूर्वी खसी हिल्स, शिलांग को 9265.98 एम.टी. खाद्यान्न आबंटित किए तथा खाद्यान्न की परिवहन लागत के लिए, डी.एस.ई.एल. ने उसी अवधि के दौरान उपायुक्त (आपूर्ति) को `104.15 लाख जारी किए। तथापि, यह देखा गया था कि उपायुक्त (आपूर्ति), शिलांग द्वारा 9265.98 एम.टी. में से केवल 8927.90 एम.टी. खाद्यान्न उठाया गया था। इसके परिणामस्वरूप `16.66 लाख अधिक जारी हुए।</p>																																																			
7.	नागालैंड	<p>मंत्रालय ने 1 दिसम्बर 2009 से संबंधित राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रचलित दर `125 प्रति क्विंटल की एक समान दर पर वर्तमान परिवहन सहायता संशोधित थी।</p> <p>दो चयनित जिलों में 5 उप-मण्डलीय शिक्षा अधिकारियों (एस.डी.ई.ओ.) के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि टुलाई ठेकेदार द्वारा दावित परिवहन लागत को स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा संशोधित दर का अनुसरण नहीं किया गया था। एस.डी.ई.ओ. को परिवहन किए गए खाद्यान्नों तथा लागू पी.डी.एस. दरों के विवरण नीचे दिए गए हैं :</p> <table border="1" data-bbox="486 1413 1423 2029"> <thead> <tr> <th>अवधि</th> <th>एफ.सी.आई.एफ. एस.डी. दीमापुर से</th> <th>खाद्यान्नों की ढोई गई मात्रा (क्विंटल में)</th> <th>ग्राह्य दर (प्रति क्विंटल)</th> <th>अनुमत दर (प्रति क्विंटल)</th> <th>अन्तर (प्रति क्विंटल)</th> <th>राशि (अधिक (+)/कम (-) में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">01-12.09 से 31.03.10</td> <td>एस.डी.ई.ओ दीमापुर</td> <td>1534.36</td> <td>6</td> <td>125</td> <td>119</td> <td>182588.84</td> </tr> <tr> <td>एस.डी.ई.ओ. निऊलैंड</td> <td>462.00</td> <td>16</td> <td>125</td> <td>109</td> <td>50358</td> </tr> <tr> <td>एस तुएनसंग</td> <td>974.70</td> <td>80</td> <td>125</td> <td>45</td> <td>43861.5</td> </tr> <tr> <td>एस.डी.ई.ओ. नोकलक</td> <td>372.34</td> <td>130</td> <td>125</td> <td>-5</td> <td>-1861.70</td> </tr> <tr> <td>एस.डी.ई.ओ. शामाटोर</td> <td>206.18</td> <td>130</td> <td>125</td> <td>-5</td> <td>-1030.90</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">01.04.10 से 31.03.14</td> <td>एस.डी.ई.ओ दीमापुर</td> <td>32019.72</td> <td>10</td> <td>125</td> <td>115</td> <td>3682267.80</td> </tr> <tr> <td>एस.डी.ई.ओ. निऊलैंड</td> <td>8892.13</td> <td>26</td> <td>125</td> <td>99</td> <td>880320.87</td> </tr> </tbody> </table>	अवधि	एफ.सी.आई.एफ. एस.डी. दीमापुर से	खाद्यान्नों की ढोई गई मात्रा (क्विंटल में)	ग्राह्य दर (प्रति क्विंटल)	अनुमत दर (प्रति क्विंटल)	अन्तर (प्रति क्विंटल)	राशि (अधिक (+)/कम (-) में	01-12.09 से 31.03.10	एस.डी.ई.ओ दीमापुर	1534.36	6	125	119	182588.84	एस.डी.ई.ओ. निऊलैंड	462.00	16	125	109	50358	एस तुएनसंग	974.70	80	125	45	43861.5	एस.डी.ई.ओ. नोकलक	372.34	130	125	-5	-1861.70	एस.डी.ई.ओ. शामाटोर	206.18	130	125	-5	-1030.90	01.04.10 से 31.03.14	एस.डी.ई.ओ दीमापुर	32019.72	10	125	115	3682267.80	एस.डी.ई.ओ. निऊलैंड	8892.13	26	125	99	880320.87
अवधि	एफ.सी.आई.एफ. एस.डी. दीमापुर से	खाद्यान्नों की ढोई गई मात्रा (क्विंटल में)	ग्राह्य दर (प्रति क्विंटल)	अनुमत दर (प्रति क्विंटल)	अन्तर (प्रति क्विंटल)	राशि (अधिक (+)/कम (-) में																																															
01-12.09 से 31.03.10	एस.डी.ई.ओ दीमापुर	1534.36	6	125	119	182588.84																																															
	एस.डी.ई.ओ. निऊलैंड	462.00	16	125	109	50358																																															
	एस तुएनसंग	974.70	80	125	45	43861.5																																															
	एस.डी.ई.ओ. नोकलक	372.34	130	125	-5	-1861.70																																															
	एस.डी.ई.ओ. शामाटोर	206.18	130	125	-5	-1030.90																																															
01.04.10 से 31.03.14	एस.डी.ई.ओ दीमापुर	32019.72	10	125	115	3682267.80																																															
	एस.डी.ई.ओ. निऊलैंड	8892.13	26	125	99	880320.87																																															

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

		एस.डी.ई.ओ. तुएनसंग	17354.68	128	125	-3	-52064.04	
		एस.डी.ई.ओ. नोकलक	7626.84	208	125	-83	-633027.72	
		एस.डी.ई.ओ. शमाटोर	7251.07	208	125	-83	-601838.81	
		अधिक परिवहन लागत:						3549573.84
		इस प्रकार, विभाग ने पांच वर्ष की अवधि के दौरान खाद्यान्न की परिवहन लागत की संशोधित दर की अवहेलना करके `35.50 लाख का अधिक व्यय किया।						
8.	त्रिपुरा	2012-13 के दौरान मंत्रालय द्वारा आबंटित 10494.200 एम.टी. चावल में से, एफ.सी.आई. ने 10199.164 एम.टी. चावल जारी किया और चावल की उस मात्रा के लिए बिल का दावा किया। तदनुसार, जिला शिक्षा अधीक्षक (डी.एस.ई.) ने केवल 10199.164 एम.टी. के लिए भुगतान किया। परन्तु नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (डी.एफ.सी.एस.सी.ए.डी.) ने `1580 प्रति एम.टी. की दर पर 10494.200 एम.टी. के लिए परिवहन प्रभार एवं डीलर प्रभार का दावा किया तथा तदनुसार डी.एस.ई. ने राशि का भुगतान कर दिया। इस प्रकार डी.एस.ई. ने 295.036 एम.टी. चावल के लिए `4.66 लाख का अधिक भुगतान किया जो एफ.सी.आई. द्वारा जारी नहीं किया गया था।						
9.	उत्तर प्रदेश	<p>नमूना जांच किए गए जिलों की लेखापरीक्षा से पता चला कि:</p> <p>(i) 6 चयनित जिलों में से पांच के संबंध में (कानपुर नगर ने वांछित सूचना नहीं दी), जहां उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (यू.पी.एफ एवं सी.एस.डी) परिवहन एजेंसी थी, पता चला कि `3.67 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया था।</p> <p>(ii) कानपुर नगर जिले के संबंध में एक विश्लेषण से पता चला कि `18.23 लाख की भुगतान योग्य परिवहन लागत के प्रति, यू.पी.एफ एवं सी.एस.डी को वास्तव में किया गया भुगतान `77.54 लाख था। इसके परिणामस्वरूप यू.पी.एफ. एवं सी.एस.डी को `59.31 लाख का अधिक भुगतान हुआ।</p> <p>(iii) शाहजहांपुर (2009-14) तथा सम्बल (2012-14) जिलों में, 31541.54 एम.टी. खाद्यान्न के परिवहन के प्रति, संबंधित जिलों के बी.एस.ए ने खाद्यान्न के परिवहन पर वास्तविक व्यय सुनिश्चित किए बिना 63 प्रति क्विंटल (कोटेदारों को 12 प्रति क्विंटल का लाभ मार्जिन जोड़ने के पश्चात 75 प्रति क्विंटल) की अधिकतम अनुमत दर पर उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक माल निगम (यू.पी.एफ. एवं ई.सी.सी) को `198.71 लाख का भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यू.पी.एफ एवं ई.सी.सी ने परिवहन ठेकेदारों को केवल `52.47 लाख का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप `146.24 लाख का अधिक भुगतान हुआ।</p> <p>(iv) बिजनौर, मुरादाबाद तथा बरेली के नमूना जांच किए गए जिलों से पता चला कि निकटतम एफ.सी.आई गोदामों से विद्यालयों की दूरी की आधार पर परिवहन लागत का भुगतान करने के बजाए, जिलों ने यू.पी.एफ. एवं ई.सी.सी. को `63 प्रति क्विंटल की अनुमत दर पर परिवहन लागत का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप `2.80 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।</p>						

		<p>(v) नमूना जांच किए गए हरदोई जिले की परिवहन लागत से पता चला कि अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2011 के दौरान खाद्यान्नों के परिवहन पर यू.पी.एफ एवं ई.सी.सी को `47.19 लाख (अनुपातिक आधार पर) का अधिक भुगतान किया गया।</p> <p>(vi) दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय प्रबंध करना अपेक्षित था कि खाद्यान्न ब्लॉक स्तर से प्रत्येक विद्यालय को समयबद्ध ढंग में ढोए जाते हैं। एम.डी.एम दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार ने मंत्रालय द्वारा `75 प्रति क्विंटल की परिवहन लागत में से कोटेदारों को `12 प्रति क्विंटल का लाभ मार्जिन देने का भी निर्णय किया (फरवरी 2007)। इसके परिणामस्वरूप 2009-14 के दौरान उठाए गए 1404757 एम.टी. खाद्यान्नों पर `16.86 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।</p> <p>(vii) लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि जी.ओ.यू.पी. द्वारा जारी निर्देशो (फरवरी 2007) के अनुसार, लाभ-मार्जिन (यद्यपि अनियमित रूप से अनुमत की गई) का भुगतान कोटेदारों को ब्लॉक गोदामों से खाद्यान्न उठाते समय किया जाना था तथा यू.पी.एफ एवं ई.सी.सी./यू.पी.एफ एवं सी.एस.डी को केवल वास्तविक प्रतिपूर्ति की जानी थी। तथापि नमूना जांच किए गए 12 जिलों के बी.एस.ए. से पता चला कि कोटेदारों को वास्तविक भुगतान सुनिश्चित किए बिना 2010-14 के दौरान खाद्यान्नों की कुल ढोई गई मात्रा (2272985 एम.टी.) के आधार पर यू.पी.एफ. एवं ई.सी.सी./यू.पी.एफ. एवं सी.एस.डी. को `272.74 लाख के लाभ मार्जिन का भुगतान किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन जिलों के यू.पी.एफ. एवं ई.सी.सी./यू.पी.एफ. एवं सी.एस.डी. ने कोटेदारों को केवल `60.69 लाख का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप 212.05 लाख का अधिक भुगतान हुआ।</p> <p>(viii) `750 प्रति एम.टी. की अधिकतम अनुमत दर के आधार पर वर्ष 2009-14 के दौरान एफ.सी.आई से उठाए गए 1404753.39 एम.टी. खाद्यान्न के परिवहन पर कुल भुगतान योग्य परिवहन लागत `10535.65 लाख बनती है। इन वर्षों के दौरान भुगतान की गई वास्तविक परिवहन लागत `11670.38 लाख थी। इसके परिणामस्वरूप अनुमत प्रतिमानों के संबंध में `11.35 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान हुआ।</p>
10.	पश्चिम बंगाल	<p>चार ब्लॉकों (बहरामपुर, हरिहरपारा, नाबाग्रन तथा मुर्शिदाबाद-जियागंज) तथा तीन नगरपालिकाओं (बहरामपुर, मुर्शिदाबाद एवं जियागंज-अजीमगंज) में `2.81 लाख का अधिक भुगतान किया गया था।</p>

अनुबंध-XIV

(पैराग्राफ सं. 3.9 के संदर्भ में)

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एम.डी.एम.एस. के कार्यान्वयन में कमियों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	129 से 1068 श्रमदिवसों को बच्चों को एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था जिन्हें 2009-10 से 2013-14 के दौरान सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किया गया था।
2.	बिहार	राज्य सरकार ने 2009-10, 2010-11 तथा 2013-14 में सूखा प्रभावित के रूप में क्रमशः 26,38 तथा 33 जिलों की घोषणा की थी। 2011-12 के दौरान, मंत्रालय ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एम.डी.एम. प्रदान करने हेतु ₹ 37.64 करोड़ जारी किए थे परंतु इसके बावजूद भी उस वर्ष में निदेशालय द्वारा सूखा प्रभावित जिलों में उस विशिष्ट उद्देश्य हेतु कोई अनुदेश तथा निधि जारी नहीं की गई थी तथा किसी भी सूखा प्रभावित क्षेत्र में एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था।
3.	छत्तीसगढ़	2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान राज्य में 127 ब्लॉकों को सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए इन क्षेत्रों के विद्यालयों में बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी एम.डी.एम. प्रदान किया जाना चाहिए था। 2011-12 के दौरान डी.पी.आई. द्वारा यह सूचित किया गया था कि कोरिया जिले में पांच सूखा प्रभावित ब्लॉकों के 960 विद्यालयों में योजना का परिचालन नहीं था। 2009-10, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान डी.पी.आई. द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्रों हेतु निधियां जारी नहीं की गई थीं। इसे इंगित किए जाने पर डी.पी.आई. ने बताया कि बच्चों के उपस्थित न होने के कारण गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राधिकारियों को गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एम.डी.एम. की उपलब्धता के संबंध में छात्र को सूचित करने के प्रयास करने चाहिए थे।
4.	झारखंड	आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार (जी.ओ.जे.) ने 2009-10 के दौरान जूलाई एवं अगस्त 2009 में तथा 2010-11 हेतु अगस्त 2010 में सभी 24 जिलों को सूखा प्रभावित के रूप में अधिसूचित किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2009-11 की अवधि के दौरान जी.ओ.जे. द्वारा सूखे की अधिसूचना के बावजूद नमूना जांच किए गए जिलों के किसी भी विद्यालय में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कोई एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था। इस प्रकार, जे.एस.एम.डी.एम.एम.ए. चार नमूना जांच किए गए जिलों में 2010-11 तथा 2011-12 की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान क्रमशः 4.72 लाख तथा 4.25 लाख बच्चों को एम.डी.एम. के लाभ प्रदान करने में विफल था।
5.	केरल	वर्ष 2012-13 को पूरे राज्य को सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किया गया था परंतु उस वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विद्यालय के बच्चों को एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था। डी.पी.आई. ने बताया कि राज्य सरकार से सूखा प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए, राज्य

		सरकार तथा नोडल विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण लाभार्थी बच्चों को प्रत्याशित लाभ नहीं मिला जिसको नकारा नहीं जा सकता।
6.	मध्य प्रदेश	10 जिलों में, जिन्हे सूखा प्रभावित घोषित किया गया था, 2009-10 से 2013-14 के दौरान एम.डी.एम. 305 दिवसों, राजपत्रित अवकाशों तथा रविवार को प्रदान नहीं किया गया था।
7.	मणिपुर	2009 में, सभी 9 जिले सूखे से प्रभावित थे। मणिपुर राज्य सरकार ने 25 जून 2009 को सभी नौ जिलों के संबंध में सूखे की घोषणा की थी। विभाग ने सूखा प्रभावित जिलों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान विद्यालयों में एम.डी.एम. प्रदान करने हेतु कोई योजना प्रारंभ नहीं की थी जिसने प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों के बच्चों को योजना के लाभों से वंचित रखा।
8.	राजस्थान	2009-10 से 2013-14 के दौरान 1 से 28 के बीच के जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया था परंतु 2009-10 से 2013-14 के दौरान कम उपस्थिति के कारण सूखा प्रभावित क्षेत्रों में दोपहर के भोजन के संवितरण को बंद करने के आदेश जारी किए गए थे।
9.	तमिलनाडु	राज्य सरकार ने फरवरी 2013 अर्थात् 2012-13 में 31 जिलों की सूखा प्रभावित क्षेत्रों के रूप में घोषणा की थी। राज्य सरकार ने इन जिलों में एम.डी.एम. प्रदान करने हेतु निधि जारी नहीं की थी जिसका परिणाम हुआ कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विद्यालयों में संबंधित गर्मी की छूटी अर्थात् मई 2013 में कोई दोपहर का भोजन प्रदान नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने केवल 2014-15 के दौरान ही सूखा प्रभावित जिलों हेतु सहायता के रूप में ₹ 9636.91 लाख के प्रस्ताव के साथ अपना ए.डब्ल्यू.पी. एवं बी. प्रस्तुत किया था जिसके लिए मंत्रालय ने कुल ₹ 11178.50 लाख जारी किए। इस प्रकार, बाद की तिथि में निधियों की प्राप्ति ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विद्यालयों में संबंधित सूखा प्रभावित गर्मियों की छुट्टियों के दौरान बच्चों को भोजन प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा नहीं किया था तथा ₹ 11178.50 तक की निधियों को उस उद्देश्य, जिसके लिए इसे मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत किया गया था, हेतु उपयोग में नहीं लाया जा सका था तथा उपयुक्त नहीं।
10.	उत्तराखंड	13 जिलों में से, राज्य के 66 तहसीलों वाले 11 जिलों को 2008-09 के दौरान सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किया गया था। 2009-10 में गर्मी की छूटी के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विद्यालय के बच्चों को एम.डी.एम. प्रदान करने हेतु मंत्रालय द्वारा कुल ₹ 511.01 लाख की निधियां (जून 2009) जारी की गई थी। चूंकि विद्यालय गर्मी की छूटी के दौरान बंद रहे इसलिए राज्य सरकार द्वारा बच्चों के मां-बाप को बिना पका भोजन तथा भोजन पकाने की लागत प्रदान करने का निर्णय लिया गया था तथा संबंधित जिलों को अतिरिक्त निधियों के जारी के जाने तक उपलब्ध अनाज तथा निधियों में से इसे प्रदान किए जाने के अनुदेश जारी किए गए थे। नमूना जिलों में, सभी तहसीलों (तेहरी जिले की आठ तहसीलें तथा अलमोड़ा जिले की 13 तहसीले) को सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किया गया था। चयनित जिलों के डी.ई.ओ. (मूल) के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान,

	<p>यह पाया गया था कि राज्य सरकार द्वारा कथित उद्देश्य हेतु विद्यालयों को न तो अनाज और न ही भोजन पकाने के संबंध में निधियां जारी की गई थी। चयनित विद्यालयों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि अलमोड़ा में 70 प्रतिशत विद्यालयों तथा तेहरी में 97 प्रतिशत विद्यालयों में वर्ष 2009-10 में गर्मी की छूटी के दौरान बिना पका भोजन तथा भोजन पकाने की लागत प्रदान नहीं की गई थी। विद्यालयों हेतु अतिरिक्त अनाज तथा निधियां प्रदान न किए जाने के कारणों के संबंध में इंगित किए जाने पर एस.पी.ओ. अतिरिक्त अनाज प्रादन न किए जाने के मामले के संबंध में मौन था। तथापि, यह बताया गया था कि जिलों को नियमित निर्गमों के साथ अतिरिक्त निधियां जारी की गई थीं परंतु यह उल्लेख नहीं किया गया था कि कितनी निधियां सूखा प्रभावित बच्चों को भोजन के संवितरण से संबंधित थीं।</p> <p>इस प्रकार, वर्ष 2009-10 की गर्मी छूटी के दौरान सूखा प्रभावित बच्चों को एम.डी.एम. प्रदान किए जाने को कथित उद्देश्य हेतु मंत्रालय द्वारा ` 511.01 लाख के निर्गम के बावजूद भी सुनिश्चित नहीं किया गया था।</p>
--	--

अनुबंध-XV

(पैराग्राफ सं. 4.1 के संदर्भ में)

विभिन्न स्तरों पर निधियों के निर्गम में विलंब का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य वित्त विभाग से राज्य नोडल विभाग को निर्गम में विलंब	राज्य नोडल विभाग से जिले को निर्गम में विलंब	जिले में ब्लॉकों/विद्यालयों को निर्गम में विलंब
1.	आंध्र प्रदेश	13 दिन से 75 दिन	2 दिन से 10 दिन	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1 माह 20 दिन से 2 वर्ष 8 माह 20 दिन	20 दिन	7 माह 20 दिन से 8 माह 20 दिन
3.	असम	7 दिन से 5 माह 20 दिन	20 दिन से 2 माह 27 दिन	
4.	बिहार	4 दिन से 4 माह 14 दिन	3 दिन से 7 माह 7 दिन	कोई विलंब नहीं
5.	छत्तीसगढ़	1 माह से 5 माह 17 दिन	2 दिन से 1 माह 7 दिन	
6.	गोवा	कोई विलंब नहीं	कोई विलंब नहीं	कोई विलंब नहीं
7.	गुजरात	1 वर्ष 2 माह 20 दिन	1 दिन से 1 माह 11 दिन	3 दिन से 9 दिन
8.	हरियाणा	3 दिन से 3 माह 21 दिन	2 दिन से 1 माह 10 दिन	3 दिन से 4 माह 10 दिन
9.	हिमाचल प्रदेश	7 दिन से 8 माह 14 दिन	कोई विलंब नहीं	1 माह 20 दिन से 8 माह 11 दिन
10.	कर्नाटक	20 दिन से 1 वर्ष 8 माह 9 दिन	8 दिन से 4 माह 18 दिन	4 दिन से 2 माह 24 दिन
11.	केरल	11 दिन से 1 माह 24 दिन	3 माह 10 दिन से 3 माह 20 दिन	कोई विलंब नहीं
12.	मध्य प्रदेश	9 दिन से 2 माह 10 दिन	1 दिन से 1 माह 11 दिन	उ.न.
13.	महाराष्ट्र	2 से 5 माह	उ.न.	2 से 3 माह
14.	मणिपुर	3 माह 28 दिन से 2 वर्ष 4 माह 30 दिन	0 से 4 माह 5 दिन	उ.न.
15.	ओडिशा	4 दिन से 1 माह 7 दिन	3 दिन से 1 माह 2 दिन	कोई विलंब नहीं
16.	राजस्थान	3 दिन से 8 माह 11 दिन	4 से 263 दिन	कोई विलंब नहीं
17.	तमिलनाडु	कोई विलंब नहीं	कोई विलंब नहीं	1 से 2 माह

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

18.	त्रिपुरा	9 दिन से 11 माह	5 दिन से 8 माह 28 दिन	19 दिन से 13 माह 10 दिन
19.	उत्तराखंड	06 दिन से 5 माह 06 दिन	16 दिन से 10 माह 21 दिन	12 दिन से 7 माह 26 दिन
20.	पश्चिम बंगाल	4 दिन से 2 माह 18 दिन	5 दिन से 1 माह 11 दिन	कोई विलंब नहीं
21.	अं.एवं नि. द्वीप समूह	1 दिन से 1 माह 11 दिन	कोई विलंब नहीं	कोई विलंब नहीं
22.	चंडीगढ़	2 दिन से 6 माह 5 दिन	1 दिन से 1 माह 19 दिन	कोई विलंब नहीं
23.	दा.एवं.ना. हवेली	उ.न.	लागू नहीं	लागू नहीं
24.	दमन एवं दीव	16 दिन से 4 माह 16 दिन	कोई विलंब नहीं	कोई विलंब नहीं
25.	दिल्ली	1 माह 10 दिन से 5 माह 26 दिन	जिलों को निजी निर्गत नहीं की गई	
26.	लक्षद्वीप	6 दिन से 6 माह 20 दिन		5 दिन से 1 माह 8 दिन

अनुबंध-XVI
पैराग्राफ सं.4.10 के संदर्भ में)
बोरो का गैर-निपटान

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	चार नमूना जांच किए गए जिलों में एफ.सी.आई. ने 107172.818 एम.टी. अनाज को 50 कि.ग्रा. वजन वाले चावल के थैले में आपूर्ति की तथा 2009-14 के दौरान चावल की आपूर्ति हेतु उपयोग किए गए थैलों की संख्या को 2143457 तक परिकल्पित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि खाली (बोरो) चावल के थैलो की मुफ्त में उचित दर दुकान को आपूर्ति की गई थी। अगर खाली (बोरो) थैलों को ` 10 प्रत्येक की दर पर बेचा जाता तो ` 2,14,34,570 की वसूली की जा सकती थी। परंतु यह नहीं किया गया था तथा राज्य सरकार को ` 2.15 करोड़ (लगभग) की हानि हुई थी।
2.	बिहार	बिहार के छः नमूना जांच किए गए विद्यालयों ने 205355.69 एम.टी. अनाज का उपयोग किया तथा इस प्रकार 4107113 थैलों का संचयन किया। तथापि, अपेक्षित ` 410.71 लाख (` 10 प्रति थैला की दर पर) के प्रति मुजफ्फरनगर में खाली थैलों को बेच कर केवल ` 18 लाख की वसूली की गई थी। इस प्रकार, खाली थैलों के कुल ` 392.71 लाख के मूल्य को वसूला नहीं गया था।
3.	छत्तीसगढ़	नि.ले.प. अवधि (2009-14) के दौरान नागरिक आपूर्ति निगम (उ.न..एन) ने विद्यालयों को अनाज की 434259.22 एम.टी. की प्रमात्रा की आपूर्ति की है तथा इससे विद्यालयों ने 86,85,184 (4,34,259.22 एम.टी. X 20 थैले) खाली बोरो का संचयन किया है। तथापि, डी.पी.आई. लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान खाली बोरो की बिक्री हेतु कोई अनुदेश नहीं दिया था। इसका परिणाम राज्य राजकोष को ` 8.68 करोड़ (न्यूनतम ` 10 प्रति थैले का माना गया मूल्य) के राजस्व की हानि में हुआ। तथापि, डी.पी.आई. ने खाली बोरो की बिक्री हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं (जून 2014)। इसके बावजूद डी.ई.ओ./बी.ई.ओ. डी.पी.आई. द्वारा जारी अनुदेश का पालन नहीं कर रहे हैं तथा वर्तमान में बोरो को एस.एच.जी. द्वारा रखा जा रहा है।
4.	झारखंड	एफ.सी.आई. द्वारा अनाज की आपूर्ति 50 कि.ग्रा. की क्षमता के जूट के थैलो में की गई थी। खाली जूट के थैले सरकारी परिसम्पत्ति होने से जे.एस.एम.डी.एम.ए ने जुलाई 2009 तथा दिसंबर 2013 में सभी डी.एस.ई. को क्रमशः ` 11.40 तथा ` 14.40 प्रति थैले की दर पर एफ.सी.आई. को खाली जूट के थैलो की बिक्री तथा विद्यालयों में उपलब्ध खाली जूट के थैलो के तिमाही लेखे का अनुरक्षण करने का आदेश जारी किए थे। खाली थैलों की बिक्री प्राप्तियों को संबंधित सरस्वती वाहिनी के खातों में जमा कराया जाना था जिसे थालियों तथा गिलासों की खरीद हेतु प्रयोग किया जाना था।

		हमने पाया कि अनाज का उपयोग करने के पश्चात खाली जूट के थैलों पर किसी भी नमूना जांच किए गए जिलों में 2009-14 के दौरान किसी लेखो/सूचना का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, जूट के थैलों का निपटान करने हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी।
5.	मणिपुर	निदेशालय में अनुरक्षित अभिलेखों की संवीक्षा पर यह पाया गया था कि विभाग ने 2009-14 दौरान आपूर्ति किए गए अनाज हेतु किए गए बोरो (` 15 प्रति थैले की दर पर) का जिले के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपयोग को मानीटर नहीं किया था परिणामस्वरूप दो नमूना जांच किए गए जिलों के ` 13.64 लाख सहित ` 68.34 लाख के मूल्य पर 22780.861 एम.टी. अनाज वाले 4.56 लाख एस.एच.एस बोरे बिना हिसाब के रहे।
6.	ओडिशा	राज्य नोडल विभाग (डब्ल्यू एवं सी.डी.) ने एस.एम.सी./प्रधानाध्यपक को ` 5 प्रति थैले की दर पर खाली बोरो का निपटान करने तथा बिक्री प्राप्तियों का योजना के अंतर्गत साबुन/तोलिया/फिनाईल अथा अन्य आकस्मिक मद के उद्देश्य हेतु उपयोग करने का निर्देश (अक्टूबर 2005 एवं सितंबर 2007) दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-14 के दौरान राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत 3.94 एम.टी. चावल का उपयोग किया गया था तथा इस प्रकार 78.80 लाख खाली बोरो की वसूलनीय बिक्री प्राप्तियों को लेखापरीक्षा में ` 3.94 करोड़ होना परिकलित किया गया था। तथापि, राज्य में वसूली तथा उपयोग की गई बोरो की वास्तविक बिक्री प्राप्तियां एस.एन.ओ के साथ-साथ नमूना जिलों के डी.एन.ओ. के पास उपलब्ध नहीं थीं। 148 नमूना जांच किए गए विद्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 147 विद्यालयों (सिवाए वालंगिर जिले में रेगांली पचायत उच्च प्राथमिक विद्यालय के) में खाली बोरो का निपटान नहीं किया गया था। इस प्रकार, न केवल बोरो की बिक्री प्राप्तियों को वसूल नहीं किया गया था बल्कि इसका प्रत्याशित उद्देश्य हेतु उपयोग भी नहीं किया गया था जबकि इन विद्यालयों के सभी एच.एम. ने बताया कि आकस्मिकता हेतु प्रदत्त निधि पर्याप्त नहीं थी।
7.	उत्तर प्रदेश	लेखापरीक्षा ने पाया कि: <ul style="list-style-type: none"> दिसंबर 2004 में जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में राज्य सरकार ने कोटेदारों द्वारा एम.डी.एम. के बोरो के प्रतिधारण को अनुमत (फरवरी 2007) किया परंतु मार्च 2010 में अपने आदेशों को रद्द कर दिया। इसका परिणाम 2007-10 के दौरान उठाए गए 797020.43 एम.टी.अनाज पर कोटेदारों को ` 24.06 करोड़¹ का अनुचित लाभ में हुआ राज्य सरकार ने अपने आदेशों (फरवरी 2007) को इस टिप्पणी के साथ कि एम.डी.एम.ए./शिक्षा विभाग अपनी स्वयं नियमों के अनुसार

¹ 2009-10 के दौरान राबी तथा खारीफ विपणन मौसम में, एक बार उपयोग किए गए बोरे हेतु, लागू 60 प्रतिशत की दर पर परिकलित

		<p>खाली थैलों का निपटान करेगा, रद्द किया (मार्च 2010)। एम.डी.एम.ए. ने 2004 के एम.डी.एम. दिशानिर्देशों के दृष्टिकोण में विद्यालयों को नए निर्देश जारी करने के बजाए बार-बार मामले को मंत्रालय को प्रेषित (अप्रैल 2010/अक्टूबर 2011/नवम्बर 2014) किया। तथापि इस संबंध में मंत्रालय से कोई निदेश प्राप्त (दिसंबर 2014) नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप 44.41 करोड़² के मूल्य के 22292629 खाली बोरे बिना हिसाब के रहे जो उसी सीमा तक एम.डी.एम. के गैर-संवर्धन का कारण बना।</p>
--	--	--

² 2009-10 के दौरान राबी तथा खारीफ विपणन मौसम में, एक बार उपयोग किए गए बोरे हेतु, लागू 60 प्रतिशत की दर पर परिकल्पित मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

अनुबंध-XVII

(पैराग्राफ सं. 5.3 के संदर्भ में)

2009-10 से 2013-14 के दौरान विषय निर्वाचन सह मॉनीटरिंग समिति बैठकों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे.	आयोजित होने वाली एस.एम.सी. बैठकों की सं.	आयोजित बैठकों की सं.	कमी प्रतिशत में	आयोजित होने वाली एस.एम.सी. बैठकों की सं.	आयोजित बैठकों की सं.	कमी प्रतिशत में	आयोजित होने वाली एस.एम.सी. बैठकों की सं.	आयोजित बैठकों की सं.	कमी प्रतिशत में
		राज्य स्तर	राज्य स्तर		जिला	जिला		ब्लॉक स्तर	ब्लॉक स्तर	
1.	आंध्र प्रदेश	16	3	81	240	14	94	960	70	93
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	5	50	180	8	96	720	37	95
3.	असम	20	7	65	20	8	60	20	9	55
4.	बिहार	10	5	50	120	9	93	2260	23	99
5.	छत्तीसगढ़	10	5	50	उ.न.	26		0	0	
6.	गोवा	10	3	70	20	2	90	20	3	85
7.	गुजरात	10	6	40	282	26	91	658	110	83
8.	हरियाणा	10	3	70	180	1	99	720	5	99
9.	हिमाचल प्रदेश	10	6	40	120	22	82	उ.न.	उ.न.	-
10.	झारखंड	10	3	70	80	6	93	उ.न.	उ.न.	-
11.	कर्नाटक	16	6	63	600	498	17	3500	2805	20
12.	केरल	10	7	30	6	उ.न.	-	6	उ.न.	-
13.	मध्य प्रदेश	10	4	60	600	345	43	3720	1944	48
14.	मणिपुर	10	8	20	60	0	100	60	0	100
15.	नागालैंड	20	10	50	उ.न.	उ.न.	-	उ.न.	उ.न.	-
16.	ओडिशा	10	5	50	उ.न.	उ.न.	-	उ.न.	उ.न.	-
17.	तमिलनाडु	10	5	50	260	8	97	1040	20	98
18.	त्रिपुरा	2	2	शून्य	4	1	66	6	4	33
19.	उत्तर प्रदेश	10	11	शून्य	4392	2420	45	49260	13850	72
20.	उत्तराखंड	10	6	40	260	68	74	1900	32	98
21.	पश्चिम बंगाल	10	5	50	180	35	81	660	31	95
22.	अं.एवं नि. द्वीप समूह	10	7	30	50	13	74	50	0	100
23.	चंडीगढ़	11	8	27	48	17	65	उ.न.	उ.न.	
24.	दा.एवं.ना. हवेली	10	5	50	50	5	90	50	0	100
25.	दमन एवं दीव	10	8	20	50	7	86	50	0	100
26.	दिल्ली	10	4	60	उ.न.	उ.न.	-	उ.न.	उ.न.	-

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

27.	लक्षद्वीप	10	3	70	60	1	98	60	1	98
28.	पुदुचेरी	10	1	90	उ.न.	उ.न.	-	उ.न.	-	-

अनुबंध-XVIII

(पैराग्राफ सं. 5.4.2 के संदर्भ में)

2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिए प्रबंधन, मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन (एम.एम.ई.) हेतु उपयोग की गई
निधियों का राज्य वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षे	आबंटित (₹ लाख में)				उपयोग की गई (₹ लाख में)			
		2011-12	2012-13	2013-14	कुल	2011-12	2012-13	2013-14	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	793.65	734.69	876.19	2404.53	546.6	627.06	522.44	1696.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.02	58.33	36.2	129.55	34.71	58.25	36.19	129.15
3.	असम	944.42	955.73	951.12	2851.27	888.72	742.13	851.66	2482.51
4.	छत्तीसगढ़	719.36	753.76	715.23	2188.35	395.6	569.63	558.55	1523.78
5.	गोवा	25.33	25.82	60	111.15	0	0	1.89	1.89
6.	गुजरात	667.33	723.91	775.94	2167.18	667.33	723.91	775.94	2167.18
7.	हरियाणा	317.67	366.99	376.7	1061.36	317.67	366.77	225.03	909.47
8.	हिमाचल प्रदेश	143.37	107.74	135.38	386.49	121.01	135.72	122.73	379.46
9.	जम्मू एवं कश्मीर	99.09	117.08	186.63	402.8	98.36	117.84	175.11	391.31
10.	झारखंड	602.58	569.71	638.67	1810.96	396.46	338.15	335.42	1070.03
11.	कर्नाटक	819.21	771.46	1016.93	2607.6	671.8	973.36	1030.26	2675.42
12.	मध्य प्रदेश	732.58	1398.16	1462.51	3593.25	692.47	803.34	1110.22	2606.03
13.	महाराष्ट्र	1831.79	1898.62	1919.63	5650.04	1781.24	1826.96	1906.4	5514.6
14.	मणिपुर	42.33	42.52	27.59	112.44	14.13	16.45	37.9	68.48
15.	नागालैंड	43.57	49.99	51.72	145.28	43.57	49.99	51.72	145.28
16.	ओडिशा	692.17	854.19	893.74	2440.1	597.01	854.19	893.79	2344.99
17.	पंजाब	331.89	351.65	361.53	1045.07	267.39	357.03	361.51	985.93
18.	सिक्किम	18.11	18.64	19.08	55.83	18.11	11.04	19.08	48.23
19.	तमिलनाडु	767.91	759.79	828.74	2356.44	716.31	767.91	860.4	2344.62
20.	उत्तर प्रदेश	2114.18	2342.18	2430.77	6887.13	2114.18	2319.52	2851.58	7285.28
21.	उत्तराखंड	162.76	184.42	167.97	515.15	168.61	168.61	185.34	522.56
22.	पश्चिम बंगाल	1200.01	1537.62	939.47	3677.1	1090.66	1483.95	1926.33	4500.94
23.	अं.एवं नि. द्वीप समूह	5.38	5.82	5.6	16.8	5.19	4.24	0.44	9.87
24.	चंडीगढ़	9.2	8.87	30	48.07	9.2	8.87	26.58	44.65
25.	दा.एवं.ना. हवेली	2.91	0	4.33	7.24	0	0	3.72	3.72
26.	दमन एवं दीव	2.46	2.14	60	64.6	2.46	2.14	12.01	16.61
27.	दिल्ली	278.98	357.59	188.62	825.19	47.82	214.07	122.28	384.17

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

2015 की प्रतिवेदन सं. 36

28.	लक्षद्वीप	1.35	1.34	30	32.69	0	1.07	0.99	2.06
29.	पुदुचेरी	13.1	13.09	120	146.19	0	0	6.6	6.6
	कुल	13417.71	15011.85	15310.29	43739.85	11706.61	13542.2	15012.11	40260.92

अनुबंध-XIX
(पैराग्राफ सं 5.5 के संदर्भ में)
संचालित की गयी निरीक्षणों का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	मानदंड के अनुसार संचालित की जानेवाली निरीक्षण	निरीक्षित विद्यालय/केन्द्र की कुल संख्या	निरीक्षित विद्यालय/केन्द्रों की प्रतिशतता
1.	आंध्र प्रदेश	394914	235954	59.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	20792	16563	79.66
3.	असम	45359	23809	52.49
4.	छत्तीसगढ़	235089	235089	100.00
5.	गोवा	7764	20036	258.06
6.	गुजरात	486000	205113	42.20
7.	हरियाणा	155876	15697	10.07
8.	हिमाचल प्रदेश	73914	54773	74.10
9.	झारखंड	120	0	0
10.	कर्नाटक	279349	322005	115.27
11.	केरल	61924	32725	52.85
12.	मध्य प्रदेश	117091	72122	61.59
13.	महाराष्ट्र	347875	264601	76.06
14.	मणिपुर	15297	6197	40.51
15.	मेघालय	51446	18687	36.32
16.	नागालैंड	60	13	21.67
17.	ओडिशा	132550	123899	93.47
18.	पंजाब	4028	1476	36.64
19.	तमिलनाडु	217999	291775	133.84
20.	उत्तर प्रदेश	243382	229064	94.11
21.	अं.एवं नि. द्वीप समूह	1702	1657	97.36
22.	चंडीगढ़	622	352	56.59
23.	दा.एवं.ना. हवेली	1389	1389	100.00
24.	दमन एवं दीव	485	485	100.00

अनुबंध-XX

(पैराग्राफ सं. 5.6 के संदर्भ में)

वर्ष 2010-11 तथा 2013-14 के लिए मानीटरिंग संस्थानों की रिपोर्ट में इंगित कमियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल किए गए जिलों का नाम	शामिल किए गए विद्यालयों की संख्या	वर्ष	इंगित कमियां
1.	आंध्र प्रदेश	गुंटुर, करीमनगर, कृष्णा, कुर्नूल, नागलौडां रंगारेड्डी	240	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • 21 प्रतिशत विद्यालयों में अनाज की आपूर्ति नियमित नहीं थी। • 82 प्रतिशत विद्यालय भोजन पकाने की लागत को अग्रिम में प्राप्त नहीं कर रहे थे। • 54.58 प्रतिशत विद्यालयों में पक्का रसोईघर शैड नहीं था। कुछ विद्यालय अनुपयुक्त निर्माण के कारण निर्मित रसोईघर का उपयोग नहीं कर रहे थे। 24 प्रतिशत विद्यालयों में भोजन पकाने हेतु पर्याप्त बर्तन नहीं है।
		चित्तूर, खम्मम, कृष्णा, मेदक, नैलोर, श्रीककुलम	240	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 22 प्रतिशत विद्यालयों में अनाज की आपूर्ति नियमित नहीं थी। • अधिकांश विद्यालयों में भोजन पकाने की लागत समय पर प्राप्त नहीं की गई थी। विद्यालयों में भोजन पकाने की लागत पहुंचने में एक से दो महीनों का विलम्ब था। • कृष्णा, मेदक, चित्तूर तथा खमाम के लगभग सभी नमूना विद्यालयों में एम.डी.एम. के अंतर्गत आपूर्ति किए गए चावल की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। • 75 प्रतिशत विद्यालयों में पक्का रसोईघर शैड नहीं हैं।
2.	छत्तीसगढ़	बिलासपूर	40	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • सभी विद्यालयों ने अग्रिम में भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं की थी तथा दो से तीन महीनों का विलम्ब था।
		बालोड़, बिलासपूर, धमतारी, जंजगीर	280	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 60 प्रतिशत विद्यालयों ने अग्रिम में भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

		चम्पा, महासमुंद रायपूर, राजनंदगांव			की थी तथा दो से तीन महीनों का विलम्ब था।
3.	दिल्ली	नई दिल्ली, मध्य दिल्ली उत्तर दिल्ली	126	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • आपूर्तिकर्ताओं द्वारा एम.डी.एम. प्रदान नहीं किया गया था। उत्तर दिल्ली के आपूर्तिकर्ता अग्रिम में अनाज प्राप्त नहीं कर रहे थे। वह भोजन प्रदान किए जाने के प्रत्येक 30 से 35 दिनों के पश्चात अनाज प्राप्त कर रहे थे। • सभी विद्यालय अग्रिम में भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं कर रहे थे। भोजन पकाने की लागत प्राप्त करने में 40 से 50 दिनों का विलम्ब था।
		नई दिल्ली मध्य दिल्ली पश्चिम दिल्ली	123	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • एम.डी.एम. आपूर्तिकर्ता भोजन की आपूर्ति के 40-70 दिनों के पश्चात भोजन पकाने की लागत प्राप्त कर रहे थे।
4.	गुजरात	कच्छ पोरबंदर सुरेन्द्रनगर	102	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • बच्चों का कुल नामांकन 27277 था। दौरे के दिन केवल 35.68 प्रतिशत बच्चों ने एम.डी.एम. का लाभ उठाया था। • 100 विद्यालयों में से, 21 विद्यालयों में रसोईघर शैड का उपयोग नहीं किया गया था तथा 8 विद्यालयों में रसोईघर शैड का निर्माण किया गया था।
		अहमदाबाद अमरेली आनन्द खेड़ी	135	2013 - 14	<ul style="list-style-type: none"> • अधिकांश विद्यालयों में अनाज की किसी भी लिफ्टिंग एजेंसी द्वारा संपूर्ण नहीं की गई थी। जब भण्डार निजी वाहनों/रिक्शा/टैम्पो में पहुंचता है तो एम.डी.एम. प्राधिकारियों द्वारा विशिष्ट दुकान से विद्यालयों को अनाज पहुंचाया गया था। • कुछ विद्यालयों में अनुपयुक्त भण्डारण व्यवस्था के कारण अनाज बिखर रहा था। • बच्चों का कुल नामांकन 38142 था। दौरे के दिन केवल 39.85 प्रतिशत

					बच्चों ने एम.डी.एम. का लाभ उठाया था।
5.	झारखंड	बोकारो धनबाद गिरीडीह, कोडरमा चतरा हजारीबाग	214	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • विद्यालय कुछ मामलों के सिवाए जिनमें विलम्ब सूचित किया गया था, नियमित रूप से अनाज प्राप्त कर रहे थे। विलम्ब की सीमा 15 तथा 60 दिनों के बीच है। • 51 प्रतिशत विद्यालयों में रसोईघर सह भण्डार उपलब्ध नहीं था।
		खुन्थी गुमला रांची लोहरदगा	160	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 21 प्रतिशत विद्यालय समय पर भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं कर रहे थे। दो से तीन महीनों का विलम्ब था। प्रधान शिक्षकों को अपने स्वयं की जेब से भोजन पकाने की लागत को पूरा करने का प्रबंध करना था। • 7.5 प्रतिशत विद्यालयों में रसोईघर सह भण्डार नहीं हैं।
6.	कर्नाटक	बैंगलोर, चिकमा-गलूर चित्रदुर्ग कोडागो तुमकूर	200	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • 18 प्रतिशत विद्यालय नियमित रूप से भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं कर रहे थे। एक माह तक का विलम्ब था। • अधिकांश विद्यालयों का व्ययजंन सूची में चावल दाल तथा सब्जी को दर्शाने के बावजूद सब्जियों के मूल्य में वृद्धि तथा मूल्य परिवर्धन के कारण दाल तथा सब्जियों का उपयोग सीमित प्रमात्रा में था। यह बच्चों को प्रदान किए जा रहे भोजन के पौषणिक महत्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
		बैंगलोर शहरी, चमराजनगर, रामानगर, बैंगलोर ग्रामीण	160	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • रामानगर तथा बैंगलोर ग्रामीण में सभी विद्यालयों में आपूर्ति किया गया अनाज कोटि क एफ.ए.क्यू. का नहीं था। • चमराजनगर तथा रामानगर में 30 प्रतिशत विद्यालय समय पर भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं कर रहे थे। 1 से 6 महीनों का विलम्ब था।

					<ul style="list-style-type: none"> • चमराजनगर, रामानगर तथा बेंगलोर ग्रामीण में 69 प्रतिशत विद्यालय भोजन की सूची को प्रदर्शित नहीं कर रहे थे।
7.	मध्य प्रदेश	शाहजापूर, भोपाल, सेहोर, राजगढ़, विदिशा, दामोह, रेवा, शाहडोल, गुना, , अशोक नगर हार्दा, अनूपनगर, उमरिया	560	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • 25 प्रतिशत विद्यालय पहले ही भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं कर रहे थे। भोजन पकाने की लागत प्राप्त करने में 1 से 3 महीनों के बीच का विलम्ब था। विलम्ब के मामले में विद्यालय काफी अधिक ब्याज दर पर साहूकारों से कर्ज ले रहे थे, क्रेडिट आधार पर अनाज खरीदा था जबकि कुछ विद्यालयों में कार्यन्वयन अभिकरणों ने एम.डी.एम. प्रदान करना बंद कर दिया था। • कई विद्यालयों में गर्म पका हुआ भोजन तैयार करने तथा प्रदान करने हेतु अवसंरचना अपर्याप्त थी।
		अशोक नगर, सेहोर, हार्दा, राजगढ़, गुना, शेहोपुर		2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • राजगढ़ तथा अशोक नगर जिले में दौरा किए गए 50 तथा 52.5 प्रतिशत के बीच विद्यालयों में अनाज का सुरक्षित भण्डार उपलब्ध नहीं था। • गुना तथा राजगढ़ जिलों में 82.5 प्रतिशत विद्यालयों में अनाज की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं थी। • प्रति बच्चा भोजन पकाने की लागत काफी कम थी। • गुना जिले में, 35 प्रतिशत दौरा किए गए विद्यालयों ने रसोईघर शैडो का उपयोग नहीं किया था।
8.	महाराष्ट्र	लातूर परभानी ओसमानाबाद बीद औरंगाबाद	200	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • 64.5 प्रतिशत विद्यालयों में अनाज की आपूर्ति नियमित नहीं थी तथा बाधा पाई गई थी। • शत प्रतिशत विद्यालयों में भोजन पकाने की लागत समय पर प्राप्त नहीं की गई थी चार से पांच माह का विलम्ब था।
		रायगढ़, रत्नागिरी कोल्हापुर	147	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 16 प्रतिशत विद्यालयों में अनाज की आपूर्ति नियमित नहीं थी तथा बाधा पाई गई थी।

मध्याह्न भोजन योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

		सिधंदुर्ग			<ul style="list-style-type: none"> • शत प्रतिशत विद्यालयों में भोजन पकाने की लागत समय पर प्राप्त नहीं की गई थी एक माह से अधिक का विलम्ब था।
9.	ओडिशा	पुरी खोरधा, जगतसिंहपूर, नयागढ़, कटक	200	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • सभी विद्यालयों में भोजन पकाने की लागत कभी भी पहले प्राप्त नहीं की गई थी। भोजन पकाने की लागत प्राप्त करने में 1 माह से 2 वर्ष तक का विलम्ब था। • अधिकांश विद्यालयों द्वारा अनाज नियमित रूप से प्राप्त किया जा रहा था परंतु कुछ ने दोनो चावल प्रति 50 कि.ग्रा. तैले की 1 से 12 कि.ग्रा. कम की आपूर्ति प्राप्त की थी। • विद्यालयों द्वारा भोजन की साप्ताहिक व्यंजन सूची को प्रदर्शित नहीं किया गया था।
		मयूरभंज	40	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 42 प्रतिशत विद्यालयों में रसोईघर शैड सह भण्डार उपलब्ध नहीं था। 7 विद्यालयों में रसोईघर शैड का निर्माण किया गया था परंतु उपयोग में नहीं थी। • सभी विद्यालयों में भोजन पकाने हेतु लकड़ी का उपयोग किया जा रहा था। • 73 प्रतिशत विद्यालयों में पर्याप्त रसोई घर उपकरण नहीं थे।
10.	पंजाब	होशियारपुर पटियाला फतेहगढ़ साहिब एस.बी.एस नगर रूपनगर	200	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • होशियारपुर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब तथा रूपनगर में विद्यालय समय पर भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं कर रहे थे तथा प्राधानाध्यापक करीब की दुकानों से भोजन पकाने की सामग्री तथा सब्जियों आदि का प्रबंध कर रहे थे।
		होशियारपुर	40	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • सभी नमूना जांच किए गए विद्यालयों ने नियमित रूप से भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं की थी तथा 2-3 महीनों तक देरी से प्राप्त की थी।
11.	राजस्थान	अजमेर बारन बिकानेर	160	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • 33.9 प्रतिशत विद्यालयों में अनाज की आपूर्ति एफ.सी.आई. स्तर पर विलम्ब तथा परिवहन की कमी के

		चित्तोरगढ़			<p>कारण अनियमित थी जिसके परिणामस्वरूप अनाज पास के विद्वालयों से उधार लिया गया था। अनाज को आपूर्ति करने में विलम्ब आमतौर पर 1-4 सप्ताहों का था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • आपूर्ति किए गए अनाज की गुणवत्ता को 18.2 प्रतिशत शिक्षकों द्वारा अच्छा बताया गया था जबकि 60.3 प्रतिशत शिक्षकों ने सूचित किया कि यह औसतन था जबकि 21.5 प्रतिशत शिक्षकों ने सुस्पष्ट किया कि अनाज की गुणवत्ता खराब थी। • 67.8 प्रतिशत विद्वालयों ने सूचित किया कि उन्होंने पहले ही भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं की थी। भोजन पकाने की लागत में विलम्ब 1 माह से 5 माह के बीच था।
		भीलवाड़ा जयपुर बूंदी	120	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • 17.8 प्रतिशत विद्वालयों में अनाज की आपूर्ति विलम्बित थी। • 53.3 प्रतिशत विद्वालयों ने सूचित किया कि भोजन पकाने की लागत प्राप्त करने में दो से तीन महीनों का विलम्ब था। भोजन पकाने की लागत में विलम्ब के मामलों में शिक्षकों ने अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से आवश्यकताओं को पूरा किया था।
		चूरु, हनुमानगढ़	झून्झून् 120	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • 32.07 प्रतिशत विद्वालयों में भोजन पकाने की लागत प्राप्त करने में 15 दिनों से एक महीने तक का विलम्ब था।
		प्रतापगढ़ बांसवारा डुंगरपुर	120	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 90.8 प्रतिशत विद्वालयों में भोजन पकाने की लागत प्राप्त करने में 3 महीनों का विलम्ब था। 51 विद्वालयों में भोजन पकाने की सामग्री को स्थानीय दुकानदारों से उधार लिया गया था। 58 विद्वालयों में प्रधानाचार्यों ने अपनी स्वयं की जेब से भोजन सामग्री हेतु भोजन पकाने की लागत की व्यवस्था की थी। • 10 विद्वालयों में, निर्माण किए गए रसोईघर उपयुक्त घुंआ निकासी की

					कमी, रसोई घर के छोटे आकार आदि के कारण उपयोग में नहीं थे।
		धोलपूर भरतपूर	71	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 55.17 प्रतिशत विद्यालयों में भोजन पकाने की लागत प्राप्त करने में 16 दिनों से 6 महीनों तक का विलम्ब था।
		बीकानेर जैसलमेर जोधपूर	120	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 70.3 प्रतिशत विद्यालयों में भोजन पकाने की लागत प्राप्त करने में 3 महीनों का विलम्ब था। विद्यालय का प्रधानाध्यापक अपनी स्वयं की जेब से व्यवस्था कर रहे थे। • केवल 53 प्रतिशत विद्यालयों में पका हुआ भोजन रसोइयों द्वारा प्रदान किया गया था तथा 35 प्रतिशत विद्यालयों में छात्रों द्वारा जबकि 11 प्रतिशत शिक्षकों ने यह कार्य किया था।
12.	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	42	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • सभी विद्यालय समय पर भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं कर रहे थे। इसमें तीन माह तक का विलम्ब था। • 37 विद्यालय भोजन पकाने हेतु लकड़ी का उपयोग कर रहे थे। • 15 विद्यालयों में पक्का रसोई घर शैड नहीं था।
		पश्चिम त्रिपुरा ऊनाकोट	80	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 54 विद्यालय समय पर भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं कर रहे थे। 3 से 4 महीनों का विलम्ब था। विद्यालयों ने बाजार से क्रेडिट आधार पर भोजन पकाने की मदों की व्यवस्था की थी। • रसोईया-सह-सहायक को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। • 18 विद्यालयों में स्वास्थ्य जांच नहीं की गई थी। • 9 विद्यालयों में पक्का रसोईघर शैड नहीं था। • 74 विद्यालय भोजन पकाने हेतु लकड़ी का उपयोग कर रहे थे।

13.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर लखिमपूर बजरामपुर बस्ती श्रावस्ती	185	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • 24 प्रतिशत विद्यालयों में बच्चे भोजन की गुणवत्ता से सतुष्ट नहीं थे। • 148 विद्यालयों में से केवल 28 विद्यालयों ने स्वास्थ्य कार्ड का अनुरक्षण नहीं किया था। 30 विद्यालयों ने बच्चों की स्वास्थ्य जांच नहीं की थी। केवल 33 विद्यालयों में बच्चों में आईरन तथा डी-वार्मिंग द्वाइयों का संवितरण नहीं किया गया था।
		शाहजहांपुर बरेली बदाऊ		2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • 28 प्रतिशत विद्यालयों में रसोईघर सह भण्डार उपलब्ध नहीं था।
		फिरोजाबाद मैनपूरी झांसी बांधा अलीगढ़	185	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 29.19 प्रतिशत विद्यालयों में अनाज की आपूर्ति अनियमित थी। • 69 प्रतिशत विद्यालयों में भोजन पकाने की लागत प्राप्त करने में 2 से 3 महीनों का विलम्ब था। प्रधानाध्यापक अथवा ग्राम पंचायत के प्रधान योजना को जारी रखने के लिए स्थानीय व्यापारियों से क्रेडिट पर वस्तुएं लाए थे। • 19 प्रतिशत विद्यालयों में रसोईघर शैड सह भण्डार उपलब्ध नहीं थे।
14.	उत्तराखंड	हरिद्वार पौड़ी उत्तरकाशी	120	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • 40 प्रतिशत विद्यालयों में चावल का एक महीने के सुरक्षित भण्डार का अनुरक्षण नहीं किया गया था। • पोढ़ी तथा उत्तरकाशी में 40 प्रतिशत विद्यालयों में पेय जल सुविधा नहीं थी।
		देहरादून हरिद्वार टिहरी गढ़वाल	120	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 12 प्रतिशत में चावल के एक महीने के सुरक्षित भण्डार का अनुरक्षण नहीं किया गया था। • 6 प्रतिशत विद्यालयों में पेय जल सुविधा नहीं थी।
15.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम बांकूरा	80	2010-11	<ul style="list-style-type: none"> • 69 प्रतिशत विद्यालय समय पर भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं कर रहे थे। प्राधानाध्यापकों ने भोजन

					<p>पकाने की लागत को पूरा करने की व्यवस्था थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 विद्यालयों में, से 41 विद्यालयों में रसोईघर सह भण्डार शैड नहीं था। • दौरे के दिन प्राथमिक कक्षाओं में 2838 बच्चे तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 1813 बच्चे तथापि विद्यालय के अभिलेख के अनुसार पिछले दिन प्राथमिक कक्षाओं में 4159 बच्चों तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 1749 बच्चों ने एम.डी.एम. प्राप्त किया था।
		हृगली, पुरुलिया कोलकात्ता	127	2013-14	<ul style="list-style-type: none"> • 55.11 प्रतिशत विद्यालयों में अनाज की आपूर्ति अनियमित थी। • 98.42 प्रतिशत विद्यालय नियमित रूप से भोजन पकाने की लागत प्राप्त नहीं कर रहे थे। विद्यालयों के प्राधानाध्यापकों ने अपनी स्वयं की जेब से भोजन पकाने की लागत को पूरा करने की व्यवस्था की है। • 66 प्रतिशत विद्यालयों में बच्चों में सूक्ष्मपोषकों का संवितरण नहीं किया गया था। • पेय जल सुविधा 2 विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थी। • 36 विद्यालयों में रसोईघर शैड उपलब्ध नहीं थे।

संकेताक्षरों की सूची

संकेताक्षरों की सूची

ए.आई.ई.	वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा
ए.आई.एच.एम.	अंबेडकर होटल प्रबंधन संस्थान
ए.डब्ल्यू.पी. एवं बी.	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
बी.ई.ओ.	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
बी.एन.ओ.	ब्लॉक नोडल अधिकारी
बी.आर.जी.एफ.-आई.ए.पी.	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना-एकीकृत कार्य योजना
बी.एस.ए.	बेसिक शिक्षा अधिकारी
सी.सी.ई.ए.	मंत्रिमंडल समिति और आर्थिक मामलें
सी.सी.एच.	रसोईया सह सहायक
सी.आई.एच.एम.	चंडीगढ़ होटल प्रबंधन संस्थान
सी.आई.टी.सी.ओ.	चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
सी.वी.सी.	केंद्रीय सतर्कता आयोग
डी.सी.पी.	विकेन्द्रीकृत खरीद
डी.ई.ओ.	जिला शिक्षा अधिकारी
डी.एफ.सी.एस.सी.ए.डी.	नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
डी.जी.एस.ई.	महानिदेशक स्कूल शिक्षा
डी.एस.ई. एवं एल.	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
डी.एस.डब्ल्यू.ओ.	जिला पूर्ति कल्याण अधिकारी
ई.एफ.सी.	कार्यकारी वित्त समिति
ई.जी.एस.	शिक्षा गारंटी योजना
एफ.ए.क्यू.	निवपक्ष औसत गुणवत्ता
एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
आई.एफ.ए.	आईरन एवं फॉलिक एसिड
आई.एफ.आर.एफ.	इस्कॉन खाद्य राहत संस्थान
आई.एस.	विद्यालय निरीक्षक
आई.एस.के.सी.ओ.एन.	अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा चैतन्य समाज
आई.वी.आर.एस	इंटरएक्टिव ध्वनि प्रतिक्रिया प्रणाली समिति
जे.एस.एम.डी.एम.ए.	झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
के.सी.एस.	रसोई सह भण्डार
एम.सी.जी.एम.	वृहत मुम्बई नगर निगम
एम.डी.एम.	मध्याह्न भोजन
एम.डी.एम.एस.	मध्याह्न भोजन योजना
एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एम.एच.आर.डी.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एम.आई.	मानीटरिंग संस्थान
एम.आई.एस.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम.एम.ई.	प्रबंधन मानीटरिंग एवं मूल्यांकन

एम.पी.एस.सी.एस.सी.	मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम
एम.एस.एस.	प्रबंधन समर्थन सेवा
एम.टी.	मीट्रिक टन
एन.ए.एन.	नागरिक आपूर्ति निगम
एन.ई.आर.	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एन.एल.आर.सी.	राष्ट्रीय स्तर समीक्षा समिति
एन.आर.एच.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एन.एस.एम.सी.	राष्ट्रीय स्तर परिचालन एवं मानीटरिंग समिति
पी.डी.एस.	जन वितरण प्रणाली
पी.एच.ई.डी.	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पी.एस.	प्राथमिक विद्यालय
पी.टी.ए.	अभिभावक शिक्षक संघ
क्यू.पी.आर.	त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन
आर.आर.सी.	आम चावल
आर.टी.ई. एक्ट	शिक्षा का अधिकार अधिनियम
एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
एस.एम.सी.	राज्य मानीटरिंग समिति
एस.एम.डी.सी.	विद्यालय प्रबंधन सह विकास समिति
एस.एन.ओ.	राज्य नोडल कार्यालय
एस.ओ.आर.	दर की अनुसूची
टी.ए.	परिवहन एजेंट
यू.सी.	उपयोग प्रमाणपत्र
यू.पी.एफ. एवं सी.एस.डी.	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
यू.पी.एफ. एवं ई.सी.सी.	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक माल निगम
यू.पी.एस.	उच्च प्राथमिक विद्यालय
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर
वी.ई.सी.	ग्राम शिक्षा समिति

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in